

▼▼▼▼▼▼▼▼
निक्षेप
बीमा और प्रत्यय
गारंटी
निगम

DEPOSIT INSURANCE
& CREDIT
GUARANTEE
CORPORATION

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1995-96



With Best Compliments from :

D.S.R. Simhudu

Chief General Manager

DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre, 17, Cooperage Road, Mumbai - 400 039.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

प्रधान कार्यालय : छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड, मुम्बई-400039

निदेशक बोर्ड की 34 वीं वार्षिक रिपोर्ट,
31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र और लेखे

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
1. प्रेषण पत्र	iii और iv
2. निदेशक बोर्ड	v
3. संगठन तालिका	vi
4. निगम के कार्यालय	vii
5. निगम के प्रमुख अधिकारी	viii
6. निगम का स्वरूप	ix
7. विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में	x
8. निदेशकों की रिपोर्ट	1
9. निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में संलग्नक	10
10. तुलन-पत्र और लेखे	42
11. कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा	51
तालिका I से X (Charts I to X)	

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई-400 039.

डीआइसीजीसी/76/06.02.15/96-97

29 जून 1996
8 आषाढ़ 1918 (शक)

मुख्य महाप्रबंधक और सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
मुम्बई-400 001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1995-96 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ भेजने का निदेश दिया है :

- (1) 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रतिलिपि; और
- (2) 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

भवदीय,

ह./-

(के. एल. खेतरपाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई-400 039.

डीआइसीजीसी/75/06.02.16/96-97

29 जून 1996
8 आषाढ़ 1918 (शक)

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग)
“जीवनदीप”, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1995-96 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

1. (1) 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
(2) 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।
2. तुलन-पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।
3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय,

ह./-

(के. एल. खेतरपाल)
मुख्य महाप्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

आर. वी. गुप्ता

उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

जे. आर. प्रभु

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ग) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

सुधीर श्रीवास्तव (27 मई 1996 से)

उप सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(घ) के अंतर्गत नामित

एच. एच. खान

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई

एन. पी. सारडा

सनदी लेखाकार, मुम्बई

पी. डब्ल्यू. रेगे

भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बैंक लि., मुम्बई

इ. चंद्रशेखरन नायर

को-ऑपरेटर, तिरुवनन्तपुरम

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ड) के अंतर्गत नामित

गंगाधर गाडगिल

अर्थशास्त्री, मुम्बई

पी. एन. जोशी

अध्यक्ष, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सातारा, महाराष्ट्र


रशीद जिलानी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

के. आर. राममूर्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कापीरेशन बैंक, मैंगलूर

संगठन तालिका



निगम के कार्यालय

फैक्स नं. : 022-2874168

टेलीफोन संख्या तार

प्रधान कार्यालय :

न्यू इंडिया सेंटर,
4, 5, 6, 7 और 8 वीं मंजिल,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
मुम्बई - 400 039.

'क्रेडिटगार्ड'

मुख्य महाप्रबंधक

202 7323 (सी.ला.)
202 0299

(i) महाप्रबंधक

204 4876 (सी.ला.)
202 0299

(ii) महाप्रबंधक

202 2408 (सी.ला.)
202 0299

(i) उप महाप्रबंधक

287 4281 (सी.ला.)
202 0299

(ii) उप महाप्रबंधक

287 4291 (सी.ला.)
202 0299

(iii) उप महाप्रबंधक

287 4362 (सी.ला.)
202 0299

शाखाएँ :

(1) नागपुर

भारतीय रिज़र्व बैंक भवन,
हाइकोर्ट के समीप,
नागपुर - 440001.

521406 (सी.ला.)
532321
532357

'क्रेडिटगार्ड'

(2) कलकत्ता

8, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट
(पहली मंजिल), पोस्ट बॉक्स सं. 17,
कलकत्ता - 700001.

2481154 (सी.ला.)
2486019

'डिसिनार'

(3) मद्रास

कुरालगम बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड,
पोस्ट बॉक्स सं. 5021,
मद्रास - 600108.

5341524 (सी.ला.)
5340239

'क्रेडिटगार्ड'

(4) नयी दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक,
6, संसद मार्ग,
पोस्ट बॉक्स सं. 123,
नयी दिल्ली - 110001.

3716487 (सी.ला.)
3710538 से 42

'डिपॉजिटिस'

निगम के प्रमुख अधिकारी

मुख्य महाप्रबंधक

आर.एन. वर्मा (31 दिसंबर, 1995 तक)

आर. एस. अवस्थी (1 जनवरी से 15 जनवरी, 1996 तक)

के. एल. खेतरपाल (16 जनवरी, 1996 से 5 जुलाई, 1996 तक)

डी. एस. आर. सिंहडु (8 जुलाई, 1996 से)

महाप्रबंधक

डी. एन. प्रसाद

राम कृष्ण अग्रवाल

उप महाप्रबंधक

जे. पी. शर्मा

के. प्रसाद

जी. के. जोशी

सचिव

श्रीमती श्री. स. शेणाय

शाखा कार्यालयों के प्रभारी उप महाप्रबंधक

नागपुर

वी. सी. कोटीयन

कलकत्ता

एस. एस. शेड्ये

मद्रास

टी. एम. नारायणन

नई दिल्ली

एम. एस. जोगलेकर

बैंकर

भारतीय रिजर्व बैंक

लेखा परीक्षक

मैसर्स मायरा एण्ड खत्री

सनदी लेखाकार

मुम्बई-400 009.

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना 1 जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिजर्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरु की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एक ही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। उद्यु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद निगम ने 1 अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरु किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं में उनकी सभी जमाराशियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगमों और अन्य सावधि ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना। 31 मार्च 1989 तक गारंटी समर्थन लघु ऋणकर्ताओं और लघु उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए ही उपलब्ध था। परंतु 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों

(रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू है। तथापि अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, को गारंटी सुरक्षा से बाहर रखा गया है।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड़ है जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निगम का प्रबंध निदेशक बोर्ड द्वारा देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। मुख्य महाप्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय मुम्बई में है। इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

विशिष्टता - प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. पूँजी	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50	50	50
2. निक्षेप बीमा												
i) निक्षेप बीमा निधि	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@	@	@
ii) बीमाकृत बैंक	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,922	1,931	1,990	2,025	2,122
iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,56,892	2,44,375	2,49,034	3,64,058	3,92,072
iv) बीमाकृत जमा राशियाँ	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,09,316	1,64,527	1,68,405	2,66,747	2,95,575
v) खाते (लाखों में)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,089	3,543	3,529	4,994	4,868
vi) पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	2,983	3,395	3,497	4,956	4,819
vii) अदाकृत दावे	—	1	2	3	3	44	69	131	178	179	181	190
3. ऋण गारंटी												
i) ऋण गारंटी निधि	—	—	27	89	118	@	@	@	@	@	@	@
ii) गारंटीकृत अग्रिम												
(क) छोटे उधारकर्ता	—	208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	27,692	24,444	26,348	25,484	18,910
(ख) लघु उद्योग	—	—	—	3,822	4,891	7,738	10,465	16,826	19,162	15,503	14,177	13,847
iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)												
(क) छोटे उधारकर्ता	—	—	9	25	62	255	364	505	883	1,168	1,348	1,841
(ख) लघु उद्योग	—	—	—	30	71	149	241	247	260	323	379	524
iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान)												
(क) छोटे उधारकर्ता	—	—	3	15	32	225	281	427	566	1,026	1,100	1,031
(ख) लघु उद्योग	—	—	—	27	47	122	177	260	243	288	409	308

@ निगम की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखे के प्रारूप में संशोधन से 1987 से ऋण गारंटी में वर्ष 1989-90 को छोड़कर हर वर्ष घाटा रहा है। निधि की कमी/अतिरिक्त को संबंधित वर्ष के निक्षेप बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले समायोजित किया गया। वर्ष 1995-96 के दौरान ऋण गारंटी निधि में 332.16 करोड़ रुपये का घाटा था। 31 मार्च 1996 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि के लिए 1,538.90 करोड़ रुपये की राशि देय थी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए काम-काज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए इसके द्वारा निगम की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

आर्थिक परिदृश्य

2. हाल के वर्षों में जो आर्थिक उपाय किये गये हैं, उनसे आर्थिक संवृद्धि फिर से आरंभ हो गयी है। वास्तविक उत्पादन में वृद्धि पिछले साल 1994-95 में हुई 6.3 प्रतिशत की वृद्धि के लगभग 6.00 प्रतिशत ऊपर होने का अनुमान है। देशी बचत दर अनुमानतः 24.4 प्रतिशत होगी। औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल और जनवरी 1995-96 के दौरान 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अनुमान है कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन 192.6 मिलियन टन के शिखर स्तर पर पहुँच जायेगा। भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा सांकेतिक सकल देशी उत्पादन का लगभग 1.7 प्रतिशत अनुमानित है। बिन्दु दर बिन्दु आधार पर जहाँ मुद्रास्फीति दर बहुत कम 4.3 प्रतिशत थी, वहीं केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान के अनुसार सकल देशी उत्पाद का 5.9 प्रतिशत अनुमानित है जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का निवल ऋण 19,855 करोड़ रुपये के शिखर पर पहुँच जायेगा।

मुद्रा आपूर्ति में संयमित वृद्धि से कीमतों की वृद्धि को संयमित करने में मदद मिली है। स्थूल मुद्रा (एम₁) में पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान हुई 97,019 करोड़ रुपये (22.3%) की वृद्धि के मुकाबले 69,071 करोड़ रुपये (13.0%) की वृद्धि हुई। मुद्रा आपूर्ति में इस हास का आंशिक कारण वर्ष के दौरान निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में वर्ष 1994-95 में दर्ज वृद्धि की तुलना में मामूली सी वृद्धि हुई। लेकिन खाद्येतर ऋण में 43,023 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी वृद्धि हुई जो 1994-95 में हुई 45,776 करोड़ रुपये की वृद्धि के अतिरिक्त थी।

सितम्बर 1995 में घोषित ऋण नीति द्वारा ब्याज दर विनियंत्रण की सुविधा 2 वर्ष और उससे अधिक के मीयादी जमाराशि वाले खंड को भी उपलब्ध करायी गयी। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के फलस्वरूप बैंक-ऋण की भारी मांग और सरकार की बड़े पैमाने पर उधार लेने की अपेक्षा से ब्याज की बाजार दर की प्रवृत्ति सामान्यतः दृढ़ता की ओर रही। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर 1995-96 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही। वाणिज्य बैंक की प्रमुख उधार दरें भी बढ़ीं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संवितरण

3. मार्च 1996 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को समग्र ऋण संवितरण निवल बैंक

ऋण का 37.75 प्रतिशत अर्थात् 69,609 करोड़ रुपये था जबकि मार्च 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार उक्त संवितरण 61,794 करोड़ रुपये अर्थात् निवल बैंक ऋण का 36.56 प्रतिशत था। मार्च 1995 के अन्त की स्थिति की तुलना में मार्च 1996 के अन्त की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण संवितरण में 7,915 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि हुई। कृषि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम मार्च 1995 के 23,513 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1996 में 26,351 करोड़ रुपये हो गये। लेकिन 18 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले बैंकों का उक्त प्रयोजन के लिए ऋण संवितरण मार्च 1995 और मार्च 1996 के अन्त में क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत रहा। निजी क्षेत्र के भारतीय वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को 4,202 करोड़ रुपये के ऋण दिये जो सितम्बर 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार उनके निवल बैंक ऋण का 32.97 प्रतिशत था। मार्च 1996 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का लघु क्षेत्र को बकाया अग्रिम 29,482 करोड़ रुपये था जो उनके निवल बैंक ऋण का 16.0 प्रतिशत था जबकि मार्च 1995 के अन्त में उक्त अग्रिम 25,843 करोड़ रुपये था जो उनके निवल बैंक ऋण का 15.3 प्रतिशत था। रिजर्व बैंक द्वारा रखी गयी शर्त यह है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग खंड के लिए निर्दिष्ट उनके अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत भाग कुटीर उद्योग, खादी और ग्रामीण उद्योग, दस्तकार और कारीगर छोटे उद्योग, अथवा 5 लाख रुपये तक की ऋण सीमा वाली अन्य लघु उद्योग इकाइयों को दिया जाना चाहिए।

वसूली कार्य

4. मांग-वसूली प्रतिशत से, जो जून 1994 के 57.6 प्रतिशत की अपेक्षा जून 1995 में 59.5 प्रतिशत था, यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की कुल वसूली में सुधार का रुख है। लेकिन सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋणों के संबंध में वसूली कार्य में मामूली सी गिरावट की प्रवृत्ति है जैसा कि मांग-वसूली का प्रतिशत जो जून 1992 के 31.76 प्रतिशत से गिर कर जून 1994 में 30.09 प्रतिशत हो गया, बताता है।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ

नयी कम्प्यूटर प्रणाली की स्थापना

5.1 निगम ने आरआइएससी पर आधारित स्टेट-आफ-द-आर्ट कम्प्यूटर सिस्टम खरीदा है, जिसका स्मृति क्षेत्र 64 मेगा-बाइट है। नया कम्प्यूटर सिस्टम दिसम्बर 1995 में लगाया गया था और टेप पर आये हुए एस आइ-15 श्रेणी के दावों का निपटान करने के लिए दो माह तक इसे पुराने सिस्टम के साथ चलाया गया। इस समय

एन.आइ-15 श्रेणी के सभी दावों (टेप-दावे) के निपटान की कार्रवाई नये सिस्टम पर की जाती है। अन्य गणन प्रविधियों (माइयूल्स) का भी संपरिवर्तन हो गया है और नये सिस्टम पर उनका परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रबंध सूचना प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू हो गया है। वेतन-गणना और व्यवस्था संबंधी अन्य अनेक कार्य भी कम्प्यूटरीकृत किये जा रहे हैं।

निक्षेप बीमा योजना

बैंक ऑफ कराड लि. के परिसमापनकर्ता से धनराशि की वसूली

5.2 बैंक ऑफ कराड लि. (परिसमापन-अधीन) के जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से निगम ने जमाकर्ताओं के दावों को चुकाने के लिए 37.00 करोड़ रुपये का 'आन एकाउण्ट' भुगतान किया है। मुम्बई उच्च न्यायालय के सहमत निर्णय के अनुसार बैंक ऑफ इण्डिया से तथा अन्य वसूलियों से धनराशि प्राप्त होते ही परिसमापनकर्ता निगम की उक्त राशि का भुगतान निगम को कर देगा। परिसमापनकर्ता ने अब तक 34.59 करोड़ रुपये लौटाये हैं। परिसमापनकर्ता से शेष 2.41 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए निगम अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

निगम के क्रियाकलाप - समग्र समीक्षा

5.3 निगम की ऋण गारंटी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए इलाहाबाद बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक श्री बी. राय की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को बोर्ड ने यथावत स्वीकार कर लिया और 1 अप्रैल 1995 से लागू करते हुए तीनों ऋण गारंटी योजनाओं के संचालन में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :

- 1) सहभागी ऋण संस्थाएँ तभी अपने दावे प्रस्तुत करें जबकि संस्था के बहीखातों में बकाया राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेश से बट्टे खाते में डाल दी गई हो।
- 2) ऋण संस्थान द्वारा स्वीकृत प्रत्येक प्रकार की ऋण सुविधा के अंतर्गत नियमिति सीमा के भीतर केवल मूलधन की राशि और नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट और अन्य परिक्रमणशील क्रेडिट संबंधी सुविधाओं को ही निगम की गारंटी प्रदान की जाएगी।
- 3) ऋण संस्थाओं से किसी भी खाते के मामले में ऐसा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें राशि बट्टे खाते डालने की तारीख को किसी खाता-विशेष में उधारकर्ता से प्राप्त वसूली (सब्सिडी के समायोजन को छोड़कर) खाते में कुल नामे राशि के 25% से कम हो, निम्नलिखित परिस्थितियों को अपवादस्वरूप माना जा सकता है :

- क) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो गई हो,
- ख) यदि क्षेत्र किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो गया हो, और
- ग) किसी क्षेत्र-विशेष अथवा उधारकर्ताओं के किसी वर्ग विशेष की ऐसी परिस्थितियाँ निगम के ध्यान में लाई गई हो, जिन्हें अपवादात्मक माना जाने के लिए पर्याप्त कारण हो।

- 4) बही-खातों में धनराशि को बट्टे खाते डालने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निगम को दावे प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- 5) ऐसे दावे जो 1 अप्रैल 1995 को या इस के पश्चात् प्रस्तुत किए जाने के पात्र हैं, उनके लिए दावा प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष की परिबद्धता अवधि के अनुपालन की वर्तमान शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

उक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि निगम की ऋण गारंटी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि समिति ऐसा महसूस करती है कि ये स्कीमें अब सक्षम नहीं है और इनकी उपयोगिता समाप्त हो गयी प्रतीत होती है। लेकिन केन्द्र सरकार के परामर्श से इन योजनाओं की अवधि एक वर्ष और अर्थात् 1996-97 तक के लिए बढ़ा दी गयी है।

5.4 इस वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंक की जमा राशियों के लिए समान अधिकार और क्षमता में प्रति जमाकर्ता बीमा सुरक्षा सीमा 1,00,000/- रुपये तथा प्रति 100/- रुपये पर 5 पैसे प्रति वर्ष की दर से बीमा प्रीमियम अपरिवर्तित रही। बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के 2025 से बढ़कर 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के दौरान 2122 हो गई। इसके अतिरिक्त पूर्ण संरक्षण प्राप्त जमा-खातों की संख्या 4,818.63 लाख थी जो कुल जमा-खातों की संख्या का 98.98 प्रतिशत थी। बीमाकृत जमा राशियाँ 2,95,574.97 करोड़ रुपये रहीं जो 3,92,071.69 करोड़ रुपये की कुल आकलनयोग्य जमा राशियों का 75.38% थी। बीमा किस्त की प्राप्ति गत वर्ष के 193.28 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 226.43 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान निगम ने एक सहकारी बैंक से प्राप्त 8.75 करोड़ रुपये के दावे का निपटान किया और आठ सहकारी बैंकों के संदर्भ में दावे की आकस्मिक देयता को पूरा करने के लिए 6.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अब तक 25 वाणिज्य बैंकों और 29 सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में दावों के भुगतान की कुल राशि 189.65 करोड़ रुपये रही और वर्ष के अंत तक कुल 56.54 करोड़ रुपये की चुकौती प्राप्त हुई।

5.5 इस वर्ष निगम द्वारा संचालित तीनों ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की राशि मार्च 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार 32,757.06 करोड़ रुपये थी जो कि पिछले वर्ष की

तुलना में 17.41 प्रतिशत की गिरावट का द्योतक है। इन योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को निर्दिष्ट गारण्टी अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 2.33 प्रतिशत की कमी आई जबकि गैर-औद्योगिक क्षेत्र के छोटे उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले गारण्टीकृत अग्रिमों में 25.78 प्रतिशत की कमी आई। इन तीनों योजनाओं के अन्तर्गत निगम को प्राप्त होनेवाले दावों में संख्या की दृष्टि से 29.6 प्रतिशत और धनराशि की दृष्टि से 37.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु वर्ष के दौरान निगम

द्वारा निपटाये गये दावों में संख्या की दृष्टि से 10.7 प्रतिशत और धनराशि की दृष्टि से 11.3 प्रतिशत की कमी आयी। प्रति माह निपटाये गये दावों की संख्या पिछले वर्ष 3,42,055 थी जबकि इस वर्ष प्रति माह उक्त संख्या 3,05,421 थी। दावों के निपटान में गिरावट का एकमात्र कारण करीब 6 महीने तक कम्प्यूटर प्रणाली का नहीं चलना था। रिपोर्टगत वर्ष और पिछले वर्ष में प्राप्त तथा निपटाये गए दावों की संख्या और धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

	1994-95 के दौरान		1995-96 के दौरान		प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
I. प्राप्त दावे :						
निगम की योजनाएँ						
i) छोटे उधारकर्ता के लिए	47,93,205	1,348.11	62,64,590	1,841.06	(+) 30.7	(+) 36.6
ii) लघु उद्योगों के लिए	1,89,593	378.71	1,91,034	524.17	(+) 0.8	(+) 38.4
कुल	49,82,798	1,726.82	64,55,624	2,365.23	(+) 28.6	(+) 37.0
II. निपटाये गये दावे						
निगम की योजनाएँ						
i) छोटे उधारकर्ता के लिए	39,11,870	1,100.26	35,09,601	1,031.42	(-) 10.3	(-) 6.3
ii) लघु उद्योगों के लिए	1,92,791	409.31	1,55,448	308.01	(-) 19.4	(-) 24.7
कुल	41,04,661	1,509.57	36,65,049	1,339.43	(-) 10.7	(-) 11.3

5.6 वर्ष 1989-90 से 1995-96 की अवधि के दौरान गारंटी फीस और प्राप्त दावों की राशियाँ तथा भुगतान किये दावों के

तदनुसूची अंतर इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	गारंटी फीस प्राप्तियाँ	गारंटी दावे की प्राप्तियाँ	भुगतान किये गए दावे	अंतराल (2) - (3)	अंतराल (2) - (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1989-90	593.83	548.33	508.54	+ 45.50	+ 85.29
1990-91	524.72	748.76	547.16	- 224.04	- 22.44
1991-92	565.88	627.23	462.29	- 61.35	+ 103.59
1992-93	702.78 *	1143.27	633.55	- 440.49	+ 69.23
1993-94	846.09	1490.76	889.99	- 644.67	- 43.90
1994-95	829.13	1726.82	1179.01	- 897.69	- 349.88
1995-96	704.64	2365.23	1042.27	- 1660.59	- 337.63

* विगत वर्षों के संबंध में पुनर्निवेश प्रावधान सहित

5.7 वर्ष 1989-90 के दौरान गारंटी फीस प्राप्तियों में अच्छी-खासी वृद्धि का कारण 1 अप्रैल 1989 से गारंटी फीस की दर में वृद्धि थी। उस वर्ष प्राप्त दावों की राशि पिछले वर्ष के दावे की राशि की तुलना में गिर गयी थी। इसके बाद चूंकि लगातार तीन वर्ष तक गारण्टी दावों की तुलना में गारण्टी फीस की प्राप्ति कम होती चली गई, प्राप्त गारंटी फीस और प्राप्त दावों के अन्तर तथा प्राप्त गारंटी फीस और दावा भुगतान के अंतर को भी ध्यान में रखते हुए इन तीनों ऋण गारंटी योजनाओं की वित्तीय सक्षमता का परीक्षण किया गया। यह देखा गया कि 1991-92 और 1992-93 के लिए प्राप्त गारंटी फीस दावा भुगतान से अधिक थी, इसका मुख्य कारण निपटान की दर कम होना था जिससे प्राप्त निपटानाधीन दावे बढ़ गये और निगम की समग्र स्थिति बदतर हो गयी। योजना को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 संबंधी गारंटी फीस 1 अप्रैल 1993 से बढ़कर 2.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई। इस बढ़ोतरी के बावजूद गारंटी फीस की प्राप्तियों और गारंटी दावों की प्राप्तियों का अंतराल बढ़ता जा रहा है। 1995-96 के दौरान दावों की प्राप्तियों में अचानक तेज वृद्धि का कारण बहुत सारे बैंकों द्वारा योजनाओं का परित्याग था। वर्ष 1995-96 के लिए योजनावार स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

योजना	गारण्टी दावों की प्राप्ति	गारण्टी फीस की प्राप्ति	अंतराल
i) लघु ऋण गारण्टी योजना, 1971	1,841.06	496.90	(-) 1,344.16
ii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारण्टी योजना, 1984	—	0.03	(+) 0.03
iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारण्टी योजना, 1981	524.17	207.71	(-) 316.46
जोड़	2,365.23	704.64	(-) 1,660.59

वर्ष 1981 के अबतक प्राप्त गारण्टी फीस का योजनावार ब्यौरा संलग्नक-XIII में दिया गया है।

निक्षेप बीमा संबंधी कार्य

6.1 इस वर्ष बीमाकृत बैंकों के रूप में 12 वाणिज्य बैंक और 87 सहकारी बैंक पंजीकृत किए गए और दो सहकारी बैंक विपंजीकृत किए गए। ऐसे बैंकों का विवरण संलग्नक II-क में दिया गया है। निक्षेप बीमा योजना के अन्तर्गत निगम में बीमाकृत बैंकों की कुल

संख्या 31 मार्च 1995 को 2025 थी जो बढ़कर 31 मार्च 1996 को 2122 हो गई। (वर्ष 1962 में निगम की शुरुआत से अब तक निगम द्वारा पंजीकृत बैंकों की संख्या का वर्ष-दर-वर्ष विवरण संलग्नक-I में दिया गया है।)

6.2 फिलहाल निक्षेप बीमा योजना में सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सहित) और 21 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों के सहकारी बैंक शामिल हैं (संलग्नक-II), शेष राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों को इस योजना में शामिल करने से सम्बन्धित मामला राज्य सरकारों के पास विचाराधीन है क्योंकि उन्हें अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने होंगे। अगर सहकारी बैंकों पर उनके अपने-अपने प्रदेशों की राज्य सरकार नमूना उप-नियमावली को उनपर लागू कर देती है तो योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों को भी लिया जा सकता है।

6.3 जून 1994 और जून 1995 के अंत में निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या और जमाराशियों के साथ-साथ जमाकर्ताओं को प्रदत्त संरक्षण की परिसीमा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

	जून 1994	जून 1995
1. खातों की कुल सं. (लाख में)	4994	4868
2. पूर्णतया संरक्षित खाते (लाख में)	4956	4819
3. 2 में 1 की प्रतिशतता	99.2	98.9
4. आकलनीय जमाराशियाँ	3,64,058	3,92,072
5. बीमाकृत जमाराशियाँ	2,66,747	2,95,575
6. 5 में 4 की प्रतिशतता	73.3	75.4

(उक्त ब्यौरे संलग्नक-III और IV में दिये गये हैं।) पूर्णतया संरक्षित खातों तथा आंशिक रूप से संरक्षित खातों में जमाराशियों की मात्रा जून 1995 के अंत में कुल आकलनीय जमाराशियों का क्रमशः 63.05 प्रतिशत और 36.95 प्रतिशत थी।

6.4 वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान बीमाकृत बैंकों से संगृहीत प्रीमियम (अतिदेय/प्रीमियम पर ब्याज सहित) का वर्गानुसार विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

बैंक का वर्ग	प्राप्त प्रीमियम	
	1994-95	1995-96
i) वाणिज्य बैंक	170.95	197.99
ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.74	6.02
iii) सहकारी बैंक	17.59	22.42
जोड़	193.28	226.43

6.5 वर्ष 1995-96 के दौरान निगम ने चेतना को. आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई नामक बैंक के 8.75 करोड़ रुपये के दावे का निपटान किया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बैंकों के जमाकर्ताओं से संबंधित दावों की देयता को पूरी करने के लिए खाते में 6.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

- क) वसावी को. आपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्जला, गुजरात का 0.01 करोड़ रुपये के लिए,
- ख) नवदीप को. आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात के सम्भावित दावे के लिए 5.52 करोड़ रुपये,
- ग) मेट्रोपोलिटन को. आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई, महाराष्ट्र की शेष राशि के लिए 0.34 करोड़ रुपये,
- घ) तारीख 31.5.1989 से परिसमापनाधीन हिन्दुपुर को. आपरेटिव टाउन बैंक लि., हिन्दुपुर के सम्भावित दावे के लिए 0.01 करोड़ रुपये,
- ङ) तारीख 31 अगस्त 1994 से परिसमापनाधीन बीजापुर इण्डस्ट्रियल को. आपरेटिव बैंक लि., के लिए 0.25 करोड़ रुपये,
- च) तारीख 30 अगस्त 1994 से परिसमापनाधीन धारवाड़ इण्डस्ट्रियल को. आपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक के लिए 0.15 करोड़ रुपये,
- छ) तारीख 17 जून 1995 से परिसमापनाधीन कर्नाटक कुरुबारा को. आपरेटिव बैंक लि., के सम्भावित दावे के लिए 0.29 करोड़ रुपये,
- ज) तारीख 19 जून 1995 से परिसमापनाधीन बनिकोप्पा अर्बन को. आपरेटिव बैंक लि., बनिकोप्पा के सम्भावित दावे के लिए 0.11 करोड़ रुपये,

6.6 तारीख 31 मार्च 1996 को 25 वाणिज्य बैंकों के सम्बन्ध में भुगतान और प्रावधान किए गए दावों की कुल धनराशि 172.92 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रही। मार्च 1996 तक परिसमापकों/बैंकों से प्राप्त भुगतानों की सकल धनराशि 55.55 करोड़ रुपये रही (वर्ष के दौरान प्राप्त 19.71 करोड़ रुपये सहित)। 31 मार्च 1996 तक 0.10 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते डाली गई। निगम की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 1996 तक 29 सहकारी बैंकों (इस वर्ष के दौरान भुगतान और प्रावधान किये गये 8.75 करोड़ रुपये सहित) के सम्बन्ध में दावों के लिए भुगतान और प्रावधान की कुल राशि 16.73 करोड़ रुपये थी। परिसमापकों/बैंकों से 31 मार्च 1996 तक चुकौती के रूप में 0.99 करोड़ रुपये (इस वर्ष के दौरान प्राप्त 0.07 करोड़ की राशि सहित) की धनराशि प्राप्त हुई।

दावों का भुगतान, प्रावधान तथा इन्हें बट्टे खाते डालते तथा चुकौती प्राप्त करने से संबंधित 54 बैंकों के 31 मार्च 1996 तक की स्थितिवाला विवरण संलग्नक-V दर्शाया गया है।

ऋण गारण्टी सम्बन्धी कार्य

अ. छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारण्टी योजना

7. निगम द्वारा छोटे उधारकर्ताओं के लिए लघु ऋण गारण्टी योजना, 1971 तथा लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारण्टी योजना, 1984 नामक दो ऋण गारण्टी योजनाएँ चलायी जा रही है, इसके अंतर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप, परिवहन परिचालक, खुदरा व्यापारी, छोटे व्यवसाय, इत्यादि के लिए वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

8. छोटे उधारकर्ताओं की ऋण गारण्टी योजनाओं का समग्र कार्य निष्पादन इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

उधारकर्ताओं का वर्ग	मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावों की राशि			
		मार्च 1995 तक	1995-96 के दौरान	मार्च 1996 तक (3 + 4)	2 की तुलना में 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
काश्तकार और कृषक	12,364.79	2497.05	935.63	3432.68	27.76
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	6,172.94	3079.78	881.31	3961.09	64.17
विभेदक ब्याज दर योजना तथा मकान या आवास के क्रय अथवा निर्माण के लिए ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत उधारकर्ताओं के शेष वर्ग	368.67	140.31	24.12	164.43	44.60
जोड़ :	18,906.40	5717.14	1841.06	7558.20	39.98

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

9.1 इस योजना के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय इत्यादि के लिए दिये गये अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

9.2 इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा 17 वाणिज्य बैंकों और 134 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उक्त योजना के परित्याग की अनुमति प्रदान की गई (संलग्नक-VII)। इसके परिणामस्वरूप इस योजना में शामिल ऋण संस्थाओं की संख्या, जो 31 मार्च 1995 को 214 थी, घटकर 63 (22 वाणिज्य बैंक और 41 क्षेत्रीय ग्रामीण ग्रामीण बैंक) रह गई।

9.3 इस योजना के अंतर्गत कुल गारंटीकृत अग्रिम 31 मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार 18,906.40 करोड़ रुपये थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25.78 प्रतिशत के हास का द्योतक है। इस हास का मुख्य कारण 151 ऋण संस्थाओं द्वारा योजना का परित्याग करना था। यह योजना छोटे उधारकर्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिमों के अधिकांश को गारंटी प्रदान करती रही, जो गैर-लघु उद्योग प्रखण्ड को निर्दिष्ट 18,909.73 करोड़ रुपये के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 99.98 प्रतिशत था। गारंटीकृत अग्रिमों के वर्षवार और क्षेत्रवार विवरण संलग्नक-VIII में दिये गये हैं। इस स्कीम के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की तुलना में प्राप्त दावों का प्रतिशतता के आधार पर क्षेत्रानुसार विवरण इस प्रकार है :

उधारकर्ताओं का वर्ग	कुल का प्रतिशत	
	गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावे
i) काशतकार और कृषक	65.40	50.82
ii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अन्य अग्रिम	32.65	47.87
iii) विभेदक ब्याज दर के अग्रिम	1.95	1.31
	100.00	100.00

9.4 रिपोर्टगत वर्ष के दौरान निगम को 1,841.06 करोड़ रुपये के लिए 62,64,590 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष 1,348.11 करोड़ रुपये के लिये 47,93,205 दावे प्राप्त हुए थे, इस प्रकार

पिछले वर्ष की तुलना में संख्या की दृष्टि से और धनराशि की दृष्टि से क्रमशः 23.49 प्रतिशत और 36.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष के दौरान कुल प्राप्त हुए दावों की राशि 1,841.06 करोड़ रुपये रही जो इस योजना के अंतर्गत 18,906.40 करोड़ रुपये के गारंटीकृत अग्रिमों का 9.74 प्रतिशत है। छोटे उधारकर्ताओं के लिए सभी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्नक - X में दिया गया है।

निगम द्वारा पिछले वर्ष 1,100 करोड़ रुपये के लिए 39,11,870 दावों का निपटान किया गया था, इसकी तुलना में इस वर्ष 1031.42 करोड़ रुपये के लिए 35,09,601 दावों का निपटान किया गया (इसी अवधि के दौरान गत वर्ष प्रतिमाह 3,25,989 निपटाये गये दावों की तुलना में इस वर्ष 2,92,467 दावे प्रतिमाह निपटाए गए)। इसके अतिरिक्त 291.62 करोड़ रुपये के 9,91,990 दावों की संवीक्षा की जा चुकी है, और कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता के कारण इनका निपटान रुका हुआ है। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार 1,300.95 करोड़ रुपये के लिए 44,26,737 दावों पर कारंवाई अपेक्षित थी (संलग्नक-IX)।

9.5 रिपोर्टगत वर्ष के दौरान प्रत्याहरण अधिकार के बल पर वसूली में प्राप्त धनराशि 392.82 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष इस मद में प्राप्त राशि 305.28 करोड़ रुपये थी। इस स्कीम के प्रारम्भ से अबतक वसूली से प्राप्त कुल राशि 1,050.68 करोड़ रुपये थी जो 5,200.02 करोड़ रुपये (संचयी) के दावा भुगतान का 20.20 प्रतिशत था।

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

10.1 वर्ष 1984 में प्रारम्भ की गई इस स्कीम में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों को शामिल किया गया है।

10.2 इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च 1996 को सहभागियों की संख्या 16 से कम होकर 5 रह गई। (संलग्नक - VI)। गारंटीकृत अग्रिमों की कुल राशि 31 मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार 9.59 करोड़ रुपये थी, इसकी तुलना में 31 मार्च 1995 को यह राशि 3.33 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निगम में कोई नया दावा प्रस्तुत नहीं किया गया (संलग्नक-VIII)।

आ. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

(क) सरकारी ऋण गारंटी योजना (अब समाप्त)

11.1 सरकार की योजना बंद हो गयी है और निगम ने अंततः दावे/अभ्यावेदन स्वीकार करने बंद कर दिये हैं। योजना के अंतर्गत विचाराधीन दावों को मार्च 1992 तक निपटा दिया गया। तथापि भारत सरकार के एजेंट के रूप में निगम ने दावा अदाकृत खातों में वसूलियों के लिए ऋण संस्थानों के साथ अनुवर्ता कार्रवाई करना जारी रखा है।

11.2 योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान दावा अदाकृत खातों में प्राप्त वसूलियों की 1.14 करोड़ रुपये की कुल राशि में से निगम ने प्रशासनिक मद में हुए 0.11 करोड़ रुपये के खर्च को काट कर 1.03 करोड़ रुपये की राशि सरकार को भेज दी है।

(ख) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

12.1 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार उक्त योजना में 110 ऋण संस्थान (31 मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार 269) थे जिनमें 21 वाणिज्य बैंक, 32 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 57 सहकारी बैंक थे (संलग्नक-VI) वर्ष के दौरान, 159 ऋण संस्थानों के नाम हटा दिये गये, इसकी दो वजह थीं - एक तो उक्त योजना के परित्याग की उनका निर्णय या फिर गारंटी फीस के भुगतान में चूक (संलग्नक VII)।

12.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पारिभाषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 31 मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार 13,847.33 करोड़ रुपये थी जबकि 31 मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार यह राशि 14,176.95 करोड़ रुपये थी, और इस तरह उक्त स्थिति 2.33 प्रतिशत की गिरावट का सूचक है। गारंटीकृत अग्रिमों में गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि बैंकों ने उक्त योजना का परित्याग कर दिया है।

12.3 वर्ष 1995-96 के दौरान निगम ने 524.17 करोड़ रुपये के 1,91,034 दावे प्राप्त किये जबकि पिछले वर्ष के दौरान 378.71 करोड़ रुपये के 1,89,593 दावे प्राप्त किये थे। वर्ष 1995-96 के दौरान निगम ने 308.01 करोड़ रुपये के 1,55,448 दावों का निपटान किया जबकि 1994-95 के दौरान 409.31 करोड़ रुपये के 1,92,791 दावों का निपटान किया था। 1 अप्रैल 1981 से अबतक प्राप्त और निपटाये गये दावों के वर्षवार ब्यौरे संलग्नक-XI में दिये गये हैं (वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों के राशिवार ब्यौरे संलग्नक-XII में दिये गये हैं)। 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार 275.85 करोड़ रुपये के 76,798 दावे विचाराधीन हैं। इतनी अधिक बकाया राशि का कारण यह है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माह में परित्याग कर चुकी और सहभागी दोनो ऋण संस्थाओं से बहुत बड़ी संख्या में दावे प्राप्त हुए हैं।

12.4 रिपोर्ट के संदर्भाधीन वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निगम के प्रत्याहरण अधिकार के फलस्वरूप वसूल की गई राशि 30.82 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार 1981 से वसूली की राशि कुल 142.98 करोड़ रुपये थी जो कुल 936.06 करोड़ रुपये की दावा अदाकृत राशि का 15.27 प्रतिशत थी।

12.5 इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च 1996 तक प्राप्त हुए दावों की कुल राशि 2,762.76 करोड़ रुपये थी जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों को दिए गए 13,847.33 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिम का 19.95 प्रतिशत है।

12.6 योजना के अंतर्गत प्राप्त 8 लाख रुपये और उससे अधिक के उच्च मूल्यवाले दावों का निपटान दावा समिति करती रही। लेकिन वर्ष 1995-96 के दौरान ऐसे कोई भी दावे समिति के विचारार्थ पात्र नहीं थे।

लेखा

तुलन-पत्र और आय व्यय लेखा

13.1 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय लेखा और 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, जिसमें निगम की तीनों निधियों यथा सामान्य निधि, निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निधि की अलग-अलग स्थितियाँ दर्शायी गयी हैं, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

13.2 वर्ष 1987 से निगम ने निक्षेप और ऋण गारंटी निधियों की देयताओं की बीमांकन पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपना ली है। तदनुसार, तीनों निधियों में निपटानाधीन दावों के लिए प्रावधान करने के बाद निवल घाटा 8.70 करोड़ रुपये का था जबकि 1994-95 के दौरान उक्त निवल घाटा 125.64 करोड़ रुपये था। निक्षेप बीमा निधि में 31 मार्च 1995 के 225.47 करोड़ रुपये के अधिशेष की तुलना में लेखापरीक्षकों की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक प्रावधान करते हुए इस वर्ष 332.97 करोड़ रुपये का अधिशेष परिलक्षित हुआ, लेकिन ऋण गारंटी निधि में निपटानाधीन दावों, आदि के लिए प्रावधान करने और 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकन आधार पर वृद्धिशील देयताओं के आकलन को हिसाब में लेने के बाद 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के दौरान 348.69 करोड़ रुपये के मुकाबले 332.16 करोड़ रुपये का घाटा परिलक्षित हुआ जिसे निक्षेप बीमा निधि से समतुल्य राशि का अंतरण कर प्रतिसंतुलित कर दिया गया है। सामान्य निधि में पिछले वर्ष के 2.42 करोड़ रुपये के मुकाबले 9.51 करोड़ रुपये का घाटा दिखाई पड़ा, 19.51 करोड़ रुपये का घाटा रिजर्व बैंक से स्टाफ व्यय मद में मिली 14.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को हिसाब में लेने के बाद सामान्य रिजर्व से समायोजित कर लिया गया।

13.3 जैसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, 1206.74 करोड़ रुपये की निवल राशि 31 मार्च 1995 को कामकाज की बन्दी की स्थिति के अनुसार ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि की 1987 और उसके बाद से अधिशेष/ घाटे के कारण देय है। ऋण गारंटी निधि में 332.16 करोड़ रुपये का चालू वर्ष का घाटा निक्षेप बीमा निधि से समतुल्य निधि के अंतरण से प्रतिसंतुलित कर लिया गया है। परिणामस्वरूप, निक्षेप बीमा निधि को देय राशि वर्ष के अंत में बढ़कर 1538.90 करोड़ रुपये हो गई।

बजट नियंत्रण

14. निगम ने प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत अनेक प्रकार की विवरणियाँ विकसित की है और अपनी तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत आय और व्यय पर बजट नियंत्रण करती है।

निवेश

15.1 निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार उन राशियों का जिनकी तत्काल जरूरत नहीं थी, खजाना बिलों समेत केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया गया। निवेश संबंधी ब्यौरा संलग्नक-XIV में दिया गया है। तीनों निधियों में लेखा परीक्षकों की संतुष्टि के अनुसार पूर्णरूपेण प्रावधान किए गए हैं।

निवेश समिति

15.2 गत वार्षिक रिपोर्ट में जैसा कि उल्लेख किया गया था, राय समिति के विभिन्न सिफारिशों (निवेश पर लाभ में वृद्धि के लिए उपाय सुझाने के लिए गठित) की जाँच की गई/उन पर आवश्यक कार्रवाई की गई/उपाय शुरू किए गए।

- 1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के संशोधन के संबंध में मामला अब भी भारत सरकार के विचाराधीन है। उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई जारी है।
- 2) निवेश को स्टॉक-इन-ट्रेड मानने के लिए निगम की अनुमति देने से संबंधित मामले को ऋण-बाजार के बदलते परिदृश्य के संदर्भ में उनसे संभावित हित-अहित के आकलन के लिए निगम के कर-परामर्शदाताओं के साथ फिर जाँचा परखा जा रहा है।
- 3) आयकर अधिनियम (धारा 44/115 बी) के संदर्भित प्रावधानों के अंतर्गत जीवन बीमा और सामान्य बीमा निगम के आधार पर कर-देयता के आकलन के प्रयोजन से निगम को विशेष दर्जा

दिये जाने से संबंधित मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा है।

सामान्य

लेखा परीक्षक

16.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड ने रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से मेसर्स मायरा एण्ड खत्री सनदी लेखाकार, मुम्बई को 31 मार्च 1996 के लिए निगम का लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

हिन्दी की प्रोन्नति

16.2 निगम द्वारा अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग और प्रोन्नति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। निगम का प्रधान कार्यालय राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इन बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है और इसके प्रयोग को बढ़ाने के उपायों पर विचार किये जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। परिपत्र, कार्यालय आदेश, आदि भी द्विभाषिक रूप से जारी किये जाते हैं। निगम की वार्षिक रिपोर्ट भी द्विभाषिक रूप से प्रकाशित की जाती है। निगम की बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची और कार्यविवरण भी द्विभाषिक रूप में तैयार किये जाते हैं। स्टाफ के सदस्यों को हिन्दी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ और अखबार उपलब्ध कराये जाते हैं। निगम में "आज का शब्द" प्रदर्शित किया जाता है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवारा के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।

प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति

16.3 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के अनुरोध पर ऋण गारंटी/बीमा योजना के निर्माण तथा प्रशासन और लघु तथा मध्यम उद्योगों के वित्तपोषण और प्रोन्नयन के लिए उपलब्ध सांस्थानिक व्यवस्था पर एक परिचयात्मक कार्यक्रम निगम द्वारा आयोजित किया गया जिसमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के 5 अधिकारियों ने भी भाग लिया। सभी अधिकारियों के लाभार्थ निगम के कामकाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक मार्गदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिदिन एक घंटा के हिसाब से 16 मई 1995 से 26 मई 1995 तक चलाया गया। इसके अतिरिक्त निगम की नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास स्थित शाखाओं के उप महाप्रबंधकों/सहायक महाप्रबंधकों की एक बैठक निगम के प्रधान कार्यालय में बुलायी गयी जिसमें उन्हें निगम के

प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के काम-काज की संक्षिप्त जानकारी दी गयी। निगम ने भी अपने अधिकारियों को वाणिज्य बैंकों के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और रिजर्व बैंक में निगम की योजनाओं और इनके तहत, दावों के निपटान पर व्याख्यान के लिए प्रतिनियुक्त किया। निगम के कर्मचारियों को भी रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिनियुक्त किया गया और संदर्भाधीन वर्ष के दौरान 30 अधिकारी और 33 लिपिकीय कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार निगम के कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर पर आधारभूत प्रशिक्षण दिलाने के लिए भी विचार किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण और वित्तीय लेखापरीक्षा

16.4 भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा निगम के प्रधान कार्यालय की 21 जून 1995 से 29 जून 1995 की प्रणाली और कर्मचारी रिपोर्ट 1994 संबंधी अनुपालना की एक द्रुत समीक्षा की गई। निरीक्षण विभाग ने निगम की नागपुर, कलकत्ता और नई दिल्ली शाखाओं का भी प्रणाली और कर्मचारी संबंधी निरीक्षण इस वर्ष किया है। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कक्ष ने भी निगम के प्रधान कार्यालय का मार्च 1995 और सितंबर 1995 को समाप्त छमाही के लिए लेखा परीक्षण किया है। वर्ष 1995 के दौरान इस कक्ष ने निगम की चारों शाखाओं की भी लेखा परीक्षा की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो अनियमितताएँ/सुझाव बताये हैं, उनमें से अधिकांश निगम द्वारा नियमित/कार्यान्वित कर लिये गए हैं।

प्रबंधन

17. श्री आर. वी. गुप्ता, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक को श्री एस. पी. तलवार, उप गवर्नर के स्थान पर 24 मई 1995 से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत निगम का अध्यक्ष नामित किया गया। श्री जे. आर. प्रभु, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को श्री एस. एन. राजदान, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर 1 दिसंबर 1995 से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ख) के अनुसार नामित किया गया। श्री के. एल. खेतरपाल ने श्री आर. एस. अवस्थी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप 16 जनवरी 1996 से मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

18. 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के निदेशक बोर्ड की चार बैठकें हुईं।

19. बोर्ड निगम के काम-काज की कुशलता को बनाये रखने के लिए स्टाफ के प्रयासों की सराहना करता है।

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम
मुम्बई 400 039

निदेशक मंडल की ओर से
और
उनके वास्ते

(आर. वी. गुप्ता)

अध्यक्ष

दिनांक : 20 जून 1996

संलग्नक - I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण

अवधि/वर्ष	वर्ष/अवधि के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या	वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या	उन विपंजीकृत बैंको की संख्या जहाँ निगम में देयता			वर्ष/अवधि के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या (2 + 3 + 6)
			आयी	नहीं आयी	जोड़ (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	—	2	9	11	276
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1971 से 1975	83	544	—	16	16	611
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 से 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 से 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-91	1921	8	5	2	7	1922
1991-92	1922	14	2	3	5	1931
1992-93	1931	3	2	1	3	1931
1993-94	1931	63	1	3	4	1990
1994-95	1990	36	—	1	1	2025
1995-96	2025	99	1	1	2	2122

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के अंत में बीमाकृत बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का अलग-अलग विवरण

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या			जोड़
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	
1993-94	80	196	1714	1990
1994-95	90	196	1739	2025
1995-96	102	196	1824	2122

संलग्नक - II

बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
(31 मार्च 1996 की स्थिति)

i) वाणिज्य बैंक	102
ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196
iii) सहकारी बैंक	1824
	<u>2122</u>

सहकारी बैंकों का राज्यवार अलग-अलग विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अपैक्स	सेन्ट्रल	प्राइमरी	जोड़
राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	1	22	64	87
2. असम	1	1	8	10
3. बिहार	1	34	4	39
4. दिल्ली	1	—	15	16
5. गोवा	1	—	6	7
6. गुजरात	1	21	296	318
7. हरियाणा	1	13	8	22
8. हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
9. जम्मू और कश्मीर	1	3	3	7
10. कर्नाटक	1	22	220	243
11. केरल	1	14	57	72
12. मध्य प्रदेश	1	45	51	97
13. महाराष्ट्र	1	31	418	450
14. मणिपुर	1	—	5	6
15. उड़ीसा	1	17	14	32
16. राजस्थान	1	27	28	56
17. तमिलनाडु	1	21	133	155
18. त्रिपुरा	1	—	1	2
19. उत्तर प्रदेश	1	57	49	107
20. पश्चिम बंगाल	1	17	48	66
21. पंजाब	1	17	5	23
संघ शासित क्षेत्र				
1. पाँडिचेरी	1	—	1	2
2. दमण और दीव	—	—	—	—
जोड़	22	364	1438	1824

संलग्नक - II क

वर्ष 1995-96 के दौरान पंजीकृत/बीमाकृत बैंक

अ. पंजीकृत

I. वाणिज्य बैंक

1. बैंक आफ पंजाब लि.
2. टाइम्स बैंक लि.
3. ड्रेस्डनर बैंक एजी
4. डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक
5. कामर्ज बैंक एजी
6. बैंक आफ सिलोन
7. सियाम कमर्शियल बैंक लि.
8. चो हुंग बैंक
9. आइडीबीआई बैंक
10. फूजी बैंक
11. दी अरब बंगला देश बैंक लि.
12. बैंक इंटरनेशनल इण्डोनेशिया

II. सहकारी बैंक

राज्य

बैंक का नाम

महाराष्ट्र (28)

1. नन्दुरबार मर्चेन्ट्स को. आप. बैंक लि.
2. श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि.
3. चैतन्य अर्बन को. आप. बैंक लि.
4. गोदावरी अर्बन को. आप. बैंक लि.
5. वसुन्धरा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
6. लातूर अर्बन को. आप. बैंक लि.
7. प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बैंक लि.
8. श्री व्यंकटेश को. आप. बैंक लि.
9. प्रियदर्शिनी नागरी सहकारी बैंक लि.
10. श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन बैंक लि.
11. श्रीपतराव दादा सहकारी बैंक लि.
12. शिव पार्वती महिला नागरी सहकारी बैंक लि.
13. यादव को. आपोरेटिव बैंक लि.
14. पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बैंक लि.
15. सह्याद्री सहकारी बैंक लि.
16. लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लि.
17. भवानी अर्बन को. आप. बैंक लि.
18. मनमन्दिर को. आप. बैंक लि.

19. नासिक डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल एण्ड मर्केन्टाइल को. आप. बैंक लि.
20. द इचलकरंजी मर्चेन्ट्स को. आप. बैंक लि.
21. श्री गजानन महाराज अरबन को. आप. बैंक लि.
22. डा. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अरबन को. आप. बैंक लि.
23. श्री गजानन नागरी सहकारी बैंक लि.
24. वेंकटेश्वर सहकारी बैंक लि.
25. श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बैंक लि.
26. जय शिवराय नागरी सहकारी बैंक लि.
27. जीवाजी को. आप. बैंक लि.
28. अजित नागरी को. आप. बैंक लि.

कर्नाटक (12)

1. सह्याद्रि महिला अरबन को. आप. बैंक लि.
2. सिंघनूर अरबन को. आप. बैंक लि.
3. रामनगरम अरबन को. आप. बैंक लि.
4. रायचूर जिला महिला पट्टण बैंक लि.
5. मानवी पट्टण सहकारी बैंक नियमित
6. मैसूर डिस्ट्रिक्ट महिला बैंक नियमित
7. कित्तूर रानी चन्नमा महिला पट्टण
8. श्री लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक नियमित
9. श्री शरणबसवेश्वर पट्टण सहकारी बैंक नियमित
10. अभिवृद्धि महिला सहकारी बैंक नियमित
11. बिदर महिला अरबन को. आप. बैंक नियमित
12. दक्षिण कन्नड महिला को. आप. बैंक लि.

बिहार (1)

1. माधेपुरा अरबन डेवलपमेंट को. आप. बैंक लि.

मध्य प्रदेश (5)

1. इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
2. जरनेश्वर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
3. डा. आंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
4. उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
5. प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित

दिल्ली (1)

1. जामिया को. आपरेटिव बैंक लि.

आन्ध्र प्रदेश (3)

1. वारंगल अरबन को. आप. बैंक लि.
2. यादगिरि लक्ष्मी नरसिम्हा को. आप. बैंक लि.
3. श्री कल्याणी को. आप. अरबन बैंक लि.

गुजरात (6)

1. गांधीधाम मर्केन्टाइल को. आप. बैंक लि.
2. भुज मर्केन्टाइल को. आप. बैंक लि.
3. प्राईम को. आप. बैंक लि.
4. वराच्छा को. आप. बैंक लि.
5. जामनगर महिला सहकारी बैंक लि.
6. मांडवी मर्केन्टाइल को. आप. बैंक लि.

केरल (1)

पंजाब (23)

1. केरल मर्केन्टाइल को. आप. बैंक लि.
1. पंजाब स्टेट को. आप. बैंक लि.
2. अमृतसर सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
3. फरीदकोट सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
4. होशियारपुर सेन्ट्रल को. आपोरेटिव बैंक लि.
5. कपूरथला सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
6. मोगा सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
7. पटियाला सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
8. संगरूर सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
9. भटिन्डा सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
10. फजिलका सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
11. गुरुदासपुर सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
12. जलंधर सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
13. लुधियाना सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
14. फिरोजपुर सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
15. नवाशहर सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
16. रोपड़ सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
17. फतेहगढ़ साहिब सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
18. मानसा सेन्ट्रल को. आप. बैंक लि.
19. पठानकोट हिन्दू को. आप. अर्बन बैंक लि.
20. नकोदर हिन्दू को. आप. बैंक लि.
21. सिटिजन अर्बन को. आप. बैंक लि.
22. कुराली अर्बन को. आप. बैंक लि.
23. अमृतसर म्यूनिसिपल एम्प्लॉईज सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट को. आप. थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि.

राजस्थान (4)

1. राजपूताना महिला अर्बन को. आप. बैंक लि.
2. दि उदयपुर महिला अर्बन को. आप. बैंक लि.
3. दि उदयपुर महिला समृद्धि अर्बन को. आप. बैंक लि.
4. राजलक्ष्मी महिला अर्बन को. आप. बैंक लि.

उत्तर प्रदेश (3)

1. सिटी को. आप. बैंक लि.
2. हरदोई अर्बन को. आप. बैंक लि.
3. फेडरल को. आप. बैंक लि.

ख. विपंजीकृत

महाराष्ट्र (2)

1. चेतना को. आप. बैंक लि. मुम्बई
परिसमापन के कारण
2. डेवलपमेन्ट को. आप. बैंक लि. मुम्बई
डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक लि. के नाम से वाणिज्य बैंक में परिवर्तन

संलग्नक - III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1995 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या ^७ (लाखों में)	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	(3) के प्रति (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा राशियाँ ^७ (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारणीय जमा राशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.97	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6
1994-95	4,956.05	4,993.99	99.2	2,66,746.65	3,64,057.60	73.3
1995-96	4,818.63	4,868.07	99.0	2,95,574.97	3,92,071.69	75.4

७ अर्थात् खातों की संख्या जिनमें शेष राशियाँ 1967 के अंत तक 1,500/- रुपये; 1981 से 1992-93 तक 30,000/- रुपये और 1993-94 के बाद 1.00 लाख रुपये से कम रहीं।

संलग्नक - IV

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार) प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाशियाँ (करोड़ रुपये में)	कुल निधारण योग्य जमाशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1993-94	वाणिज्य बैंक	80	65	1,41,794.51	2,16,024.27	65.64
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	130	4,003.92	4,398.41	91.03
	सहकारी बैंक	1,714	1,122	22,606.39	28,611.15	79.01
	जोड़	1,990	1,317	1,68,404.82	2,49,033.83	67.62
1994-95	वाणिज्य बैंक	90	67	2,15,264.62	3,03,895.17	70.84
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	152	5,784.95	6,386.63	90.58
	सहकारी बैंक	1,739	1,053	45,697.08	53,775.81	84.98
	जोड़	2,025	1,272	2,66,746.65	3,64,057.61	73.27
1995-96	I. वाणिज्य बैंक					
	(i) स्टेट बैंक समूह	8	7	79,647.35	94,046.17	84.69
	(ii) सरकारी क्षेत्र	19	17	1,47,740.78	1,92,612.38	76.70
	(iii) विदेशी बैंक	35	25	6,301.90	24,293.30	25.94
	(iv) निजी क्षेत्र					
	(क) अनुसूचित	38	32	17,056.62	26,036.61	65.51
	(ख) गैर-अनुसूचित	2	2	62.45	67.52	92.94
		102	83	2,50,809.07	3,37,055.98	74.41
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	160	7,643.56	8,077.91	94.62
	III. सहकारी बैंक	1,824	1,380	37,122.34	46,937.80	79.09
जोड़	2,122	1,623	2,95,574.97	3,92,071.69	75.38	

संलग्नक - v

निक्षेप बीमा दावे जो अदा किए गए व जिनके लिए प्रावधान किया गया और जिनकी चुकौती प्राप्त हो गई
- 31 मार्च 1996 की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम (कोष्ठक में दर्शाया गया है कि दावा किस वर्ष निपटाया गया)	बीमाकृत कुल जमाराशियाँ जिनके लिए भुगतान और प्रावधान किया गया	निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ	शेष राशि (3) - (4)
1	2	3	4	5
I. वाणिज्य बैंक				
i) ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है				
\$	1) बैंक आफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	—
*	2) श्री जादेय शंकर लिंग बैंक लिमिटेड, बीजापुर (1965)	0.12	0.12	—
*	3) बैंक आफ बिहार लिमिटेड, पटना (1970)	46.32	46.32	—
*	4) कोचीन नायर बैंक लिमिटेड, त्रिचूर (1964)	7.04	7.04	—
*	5) लैटिन क्रिश्चियन बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम् (1964)	2.08	2.08	—
	जोड़ 'क' :	64.81	64.81	—
ii) उन बैंकों का विवरण जिनसे निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है।				
*	6) यूनिटी बैंक लिमिटेड, मद्रास (1963)	2.53	1.37 (1.16)	—
*	7) उन्नाव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, उन्नाव (1946)	1.08	0.31 (0.77)	—
*	8) चावला बैंक लिमिटेड, देहरादून (1969)	0.18	0.14 (0.04)	—
*	9) मेट्रोपालिटन बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1964)	8.80	4.42 (4.38)	—
*	10) सर्दन बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1964)	7.34	3.73 (3.61)	—
*	11) बैंक आफ अलगपुरी लिमिटेड, अलगपुरी (1963)	0.28	0.18 (0.10)	—
	जोड़ 'ख' :	20.21	10.15 (10.06)	—
(कोष्ठको में दर्शाए गए आँकड़े बट्टे खाते डाली गयी राशि को दर्शाते हैं)				

(जारी)

संलग्नक - v (जारी)

1	2	3	4	5
iii)	उन बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।			
*	12) नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
*	13) हबीब बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
				(कोष्ठकों में दर्शाए गए आँकड़े समामेलन योजना के अंतर्गत निषिद्ध भुगतानों से संबंधित है।)
*	14) नेशनल बैंक आफ लाहौर लिमिटेड, दिल्ली (1970)	9.69	—	9.69
*	15) बैंक आफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन (1986)	1,162.78	497.32	665.46
*	16) मिरज स्टेट बैंक लिमिटेड, मिरज (1987)	146.59	41.65	104.94
*	17) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, दिल्ली (1987)	3,340.62	750.34	2,590.28
*	18) हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, दिल्ली (1988)	2,191.67	176.56	2,015.11
*	19) यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1990)	3,501.58	58.05	3,443.53
*	20) ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (1990)	306.34	130.92	175.42
*	21) बैंक आफ तंजावुर लिमिटेड, तंजावुर (1990)	1,078.36	303.51	774.85
*	22) बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड, (1990)	764.50	122.17	642.33
*	23) पररु सेंट्रल बैंक लिमिटेड, नार्थ पररु (1990)	260.92	71.71	189.21
*	24) पूर्वांचल बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी (1990)	725.77	51.53	674.24
@	25) बैंक आफ कराड़ लिमिटेड, मुम्बई (1992)	3,700.00	3,258.66	441.34
	जोड़ 'ग' :	17,207.07	5,480.08	11,726.99
	जोड़ 'क' + 'ख' + 'ग' :	17,292.09	5,555.04	11,726.99
II.	सहकारी बैंक			
i)	ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है			
\$\$	26) मालवन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मालवन (1977)	1.84	1.84	+
%	27) बाम्बे पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1978)	10.72	10.72	++
@	28) दाधीच सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1984)	18.37	18.37	+++
@	29) रामदुर्गा अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रामदुर्गा (1981)	2.19	2.19	++++
	जोड़ 'घ' :	33.12	33.12	—
ii)	ऐसे बैंकों का विवरण जिनसे निगम को पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है			
@	30) मुम्बई कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1976)	5.73	—	5.73
@	31) घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1977)	2.76	—	2.76
@	32) आरे मिलक कालोनी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1978)	0.60	—	0.60

(जारी)

संलग्नक - v (जारी)

1	2	3	4	5
*	33) रत्नागिरि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1978)	46.43	12.33	34.10
*	34) विश्वकर्मा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1979)	11.57	5.60	5.97
*	35) प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1979)	7.02	3.06	3.96
*	36) कलाविहार को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुम्बई (1979)	13.17	3.31	9.86
*	37) वैश्य को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर (1982)	91.31	12.95	78.36
*	38) कोल्लूर पार्वती को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्लूर (1985)	13.96	—	13.96
*	39) आदर्श को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैसूर (1985)	2.74	0.65	2.09
*	40) कुर्दुवाडी मर्चेंट्स अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुर्दुवाडी (1986)	4.85	3.65	1.20
@	41) गदग अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, गदग (1986)	22.85	12.16	10.69
@	42) मणिहाल अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, मणिहाल (1987)	9.61	2.28	7.33
@	43) हिंद अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, लखनऊ (1988)	10.95	—	10.95
@	44) येलामंचिली को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, येलामंचिली (1990)	4.36	—	4.36
@	45) वसावी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुरजाला (1991)	3.89	—	3.89
@	46) कुंडारा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कुंडारा (1991)	17.37	7.86	9.51
@	47) मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मनोली (1991)	17.44	1.00	16.44
@	48) सरदार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बड़ौदा (1991)	74.85	—	74.85
@	49) मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (1992)	125.00	—	125.00
*	50) बेलगाम मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगाम (1993)	37.11	1.16	35.95
@	51) भद्रावती टाउन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भद्रावती (1994)	0.26	—	0.26
@	52) भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भिलोड़ा (1994)	19.84	—	19.84
@	53) सिटीजन्स अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर (1994)	220.57	—	220.57
	54) चेतना को-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (1995)	875.49	—	875.49
	जोड़ 'ड' :	1,639.73	66.01	1,573.72
	जोड़ 'घ' + 'ड' :	1,672.85	99.13	1,573.72
	जोड़ 'क' + 'ख' + 'ग' + 'घ' + 'ड' :	18,964.94**	5,654.17	13,300.71

\$ बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया।

\$\$ बैंक ने पुनः कार्यारम्भ किया तथा स्वेच्छापूर्वक 1984 में सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ।

* समामेलन योजना

@ परिसमापन में लिए गए बैंक

+ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 2.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

+++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.14 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

++++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.11 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

% बैंक स्वेच्छापूर्वक 1987 में सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ।

** राशि में बैंक आफ कराड़ लिमिटेड (37 करोड़ रुपये) और मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1.25 करोड़ रुपये) दोनों को परिसमापन में लिया गया, को किए गए खातागत भुगतान शामिल हैं।

टिप्पणी: ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन बाद के हैं।

संलग्नक - VI

लघु उधारकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजना में सहभागी ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1996 को वर्गानुसार स्थिति

गारंटी योजना का नाम	31 मार्च 1995 को सहभागियों की कुल संख्या				अप्रैल 1995-मार्च 1996 अवधि के दौरान शामिल होनेवाली (+)/अलग होनेवाली(-)/ हटा दी गयी (-) ऋण संस्थाएं				31 मार्च 1996 को सहभागियों की कुल संख्या			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	39	175	—	214	(-) 17	(-) 134	—	(-) 151	22	41	—	63
2. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	16	16	—	—	(-) 11	(-) 11	—	—	5	5
3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	39	139	91	269	(-) 18	(-) 107	(-) 34	(-) 159	21	32	57*	110

* स्टेट को-आपरेटिव बैंक	1
सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक	40
प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक	16
	<hr/>
	57
	<hr/>

संलग्नक - VII

वर्ष 1995-96 के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर हुए/हटाए गये बैंकों के योजनावार नाम

क. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

क्र. सं. संस्था का नाम

i) वाणिज्य बैंक

1. बैंक ऑफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. कापेरिशन बैंक
4. इंडियन बैंक
5. इंडियन ओवरसीज बैंक
6. ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स
7. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8. यूको बैंक
9. विजया बैंक
10. बैंक आफ राजस्थान
11. बरेली कापेरिशन (बैंक) लि.
12. कैथलिक सिरियन बैंक लि.
13. धनलक्ष्मी बैंक लि.
14. जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लि.
15. कर्नाटक बैंक लि.
16. साउथ इंडियन बैंक लि.

ii) विदेशी बैंक

1. सकुरा बैंक लि.

iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो अलग हो गये

1. आदियामन ग्राम बैंक
2. अकोला ग्रामीण बैंक
3. अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
4. अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
5. अंबाला-कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
6. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
8. अवध ग्रामीण बैंक
9. वैतरणी ग्राम्य बैंक
10. बांसकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक
11. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
12. वर्धमान ग्रामीण बैंक
13. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14. बस्ती ग्रामीण बैंक
15. भगीरथ ग्रामीण बैंक
16. भंडारा ग्रामीण बैंक

संलग्नक - VII (जारी)

17. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक
19. बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20. विलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
21. बोलांगिर आंचलिक ग्राम्य बैंक
22. बुलढाणा ग्रामीण बैंक
23. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
24. बुँदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
25. चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26. चैतन्य ग्रामीण बैंक
27. चंद्रपुर-गड़चिरोली ग्रामीण बैंक
28. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
29. चिकमगलूर-कोडागु ग्रामीण बैंक
30. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
31. दमोह-पन्नासागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
32. देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
33. देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
34. धेनकनल ग्राम्य बैंक
35. दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
36. डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
37. इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
38. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
39. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक
40. गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक
41. गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
42. गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक
43. गोमती ग्रामीण बैंक
44. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
45. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
46. गुरुदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
47. गुड़गाँव ग्रामीण बैंक
48. ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
49. हाडोति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
50. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
51. हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
52. हिमाचल ग्रामीण बैंक
53. हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
54. हावड़ा ग्रामीण बैंक
55. इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
56. जम्मू रूरल बैंक
57. जामनगर ग्रामीण बैंक
58. जमुना ग्रामीण बैंक
59. जूनागढ़-अमरोली ग्रामीण बैंक
60. कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक

संलग्नक - VII (जारी)

62. कामराज रूरल बैंक
63. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
64. खासी-जयंतियां रूरल बैंक
65. किसान ग्रामीण बैंक
66. कोलार ग्रामीण बैंक
67. कृष्णा ग्रामीण बैंक
68. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (होशंगाबाद)
69. क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक
70. कच्छ ग्रामीण बैंक
71. मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
72. मंजिरा ग्रामीण बैंक
73. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
74. मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
75. मारवाड़ ग्रामीण बैंक
76. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
77. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
78. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
79. मिजोरम रूरल बैंक,
80. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
81. मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
82. नदिया ग्रामीण बैंक
83. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
84. नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
85. नेत्रावती ग्रामीण बैंक
86. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
87. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
88. पंचमहाल ग्रामीण बैंक
89. पाण्डियन ग्राम बैंक
90. पिथौरगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
91. प्राग्ज्योतिष-गांवलियां बैंक
92. प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
93. प्रथमा बैंक
94. पुरी ग्राम्य बैंक
95. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
96. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
98. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
99. रतलाम-मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
100. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक
101. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
102. साबरकंठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक
103. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
104. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
105. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक

संलग्नक - VII (जारी)

106. सथाल परगना ग्रामीण बैंक
107. सरायं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
108. सरयू ग्रामीण बैंक
109. शारदा ग्रामीण बैंक
110. शाहजहाँपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
111. शिवालोक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
112. शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
113. श्री व्यंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
114. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
115. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
116. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
117. श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
118. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
119. श्री राम ग्रामीण बैंक
120. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
121. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
122. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
123. सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक
124. सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक
125. तुलसी ग्रामीण बैंक
126. उत्तर-वंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
127. वल्लालर ग्राम बैंक
128. वलसाड-डंग ग्रामीण बैंक
129. वरदा ग्रामीण बैंक
130. विदुर ग्रामीण बैंक
131. विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक
132. यवतमाल ग्रामीण बैंक

हटाये गये बैंक

1. भागलपुर-बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ख. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

अलग होनेवाले बैंक

क्र. सं. संस्था का नाम

1. सिरकली को.-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
2. भुपतिराजु को.-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
3. श्री बिल्लीपुतूर को.-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
4. शिवकासी को.-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
5. महाड को.-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
6. सिटीजन्स को.-आपरेटिव बैंक लि.
7. अम्बासमुद्रम को.-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.
8. जार्ज टाउन को.-आपरेटिव बैंक लि.

संलग्नक - VII (जारी)

हटाये गये बैंक

1. मदुरै अर्बन को.-आपरेटिव बैंक लि
2. पुदुकोट्टाई को.-आपरेटिव टाउन बैंक लि.
3. नवजीवन को.-आपरेटिव बैंक लि.

ग. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

i) राष्ट्रीयकृत बैंक

1. केनरा बैंक
2. कार्पोरेशन बैंक
3. इंडियन बैंक
4. इंडियन ओवरसीज बैंक
5. ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स
6. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
7. यूको बैंक
8. विजया बैंक

ii) अन्य वाणिज्य बैंक

1. बैंक आफ राजस्थान लि.
2. बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.
3. केथॉलिक सिरियन बैंक लि.
4. धनलक्ष्मी बैंक लि.
5. जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लि.
6. कर्नाटक बैंक लि.
7. साउथ इंडियन बैंक लि.
8. अबूधाबी कमर्शियल बैंक लि.
9. बैंक आफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
10. सकुरा बैंक लि.

iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अदियामन ग्राम बैंक
2. अकोला ग्रामीण बैंक
3. अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
4. अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
5. अम्बाला-कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
6. आरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. वैतरणी ग्राम्य बैंक
8. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
9. वर्धमान ग्रामीण बैंक
10. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. भंडारा ग्रामीण बैंक
12. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक

संलग्नक - VII (जारी)

14. बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. बोलंगिर आंचलिक ग्राम्य बैंक
17. बुलढाणा ग्रामीण बैंक
18. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19. बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20. चैतन्य ग्रामीण बैंक
21. चिकमगलूर-कोडागु ग्रामीण बैंक
22. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
23. दमोह-पन्नासागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
24. देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
25. देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26. धेनकनल ग्राम्य बैंक
27. डूंगरपुर-बाँसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
28. दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
29. फरीदकोट-भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
30. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
31. गोमती ग्रामीण बैंक
32. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
33. गुड़गाँव ग्रामीण बैंक
34. ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
35. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
36. हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
37. हिमाचल ग्रामीण बैंक
38. हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
39. हावड़ा ग्रामीण बैंक
40. इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
41. जामनगर-राजकोट ग्रामीण बैंक
42. जमुना ग्रामीण बैंक
43. झाबुआ-घर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
44. जूनागढ़-अमरेली ग्रामीण बैंक
45. काकथिया ग्रामीण बैंक
46. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
47. कामराज रूरल बैंक
48. कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
49. काशी ग्रामीण बैंक
50. खासी जयंतिया रूरल बैंक
51. कोलार ग्रामीण बैंक
52. कच्छ ग्रामीण बैंक
53. मल्लभुम ग्रामीण बैंक
54. मंजिरा ग्रामीण बैंक
55. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
56. मारवाड़ ग्रामीण बैंक
57. मरूघर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

संलग्नक - VII (जारी)

58. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
59. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
60. मिर्जोरम रूरल बैंक
61. नादिया ग्रामीण बैंक
62. नागाजुन ग्रामीण बैंक
63. नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
64. नेत्रावती ग्रामीण बैंक
65. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
66. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
67. पंचमहाल ग्रामीण बैंक
68. पाण्डियन ग्राम बैंक
69. पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
70. प्राग्ज्योतिष गाँवलिया बैंक
71. प्रथमा बैंक
72. पुरी ग्राम्य बैंक
73. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
74. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
75. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
76. रतलाम-मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
77. रत्नागिरी-सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक
78. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
79. साबरकंठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक
80. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
81. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
82. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
83. संधाल परगना ग्रामीण बैंक
84. सरयू ग्रामीण बैंक
85. शाहजहाँपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
86. शारदा ग्रामीण बैंक
87. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
88. शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
89. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
90. साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक
91. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
92. श्री अनंथ ग्रामीण बैंक
93. श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
94. श्री राम ग्रामीण बैंक
95. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
96. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
97. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
98. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
99. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
100. सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक
101. तुलसी ग्रामीण बैंक

संलग्नक - VII (जारी)

102. उत्तर-बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
103. वलसाड-डांग ग्रामीण बैंक
104. वल्लाल्लर ग्राम बैंक
105. वरदा ग्रामीण बैंक
106. विश्वेश्वरय्या ग्रामीण बैंक
107. यवतमाल ग्रामीण बैंक

iv) सहकारी बैंक

1. भीमवरन को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि. (आंध्र प्रदेश)
2. गुडीवडा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि. (आंध्र प्रदेश)
3. गुजरात स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. (गुजरात)
4. गुंतुर डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. (आंध्र प्रदेश)
5. नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. (आंध्र प्रदेश)
6. मेहसाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. (गुजरात)
7. साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. (गुजरात)
8. सूरत डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि. (गुजरात)
9. सिटीजन्स को-आपरेटिव बैंक लि. (जम्मू एण्ड काश्मीर)
10. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. (कर्नाटक)
11. श्री कन्याकपारमेश्वरी को-आपरेटिव बैंक लि. (कर्नाटक)
12. अलवाये अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. (केरल)
13. पठनमथिदट डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि. (केरल)
14. सुलतान बेटरी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि. (केरल)
15. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. (महाराष्ट्र)
16. महाड को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि. (महाराष्ट्र)
17. पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित (महाराष्ट्र)
18. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लि. (महाराष्ट्र)
19. अम्मापेट अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
20. अत्तूर टाउन को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
21. भुपतिराजू को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लि. (तमिलनाडु)
22. सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. कुम्बकोणम (तमिलनाडु)
23. जॉर्ज टाउन को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
24. कांचीपुरम सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
25. मद्रास सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
26. मदुरई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
27. मन्मरगुडी को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
28. नमक्कल को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि. (तमिलनाडु)
29. शेवपेट अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. (तमिलनाडु)
30. शिवकाशी को-आप. अर्बन बैंक लि. (तमिलनाडु)
31. श्रीविल्लीपुत्तुर को-आप. अर्बन बैंक लि. (तमिलनाडु)
32. तिरुचिरापल्ली हृदयपुरम को-आप. बैंक लि. (तमिलनाडु)
33. तिरुनेलवेली सेंट्रल को-आप. बैंक लि. (तमिलनाडु)
34. विल्लपुरम को-आप. अर्बन बैंक लि. (तमिलनाडु)

संलग्नक - VIII

निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना/उधारकर्ता की श्रेणी	जून के अंत की स्थिति							मार्च के अंत की स्थिति							कुल के प्रति 15 का प्रतिशत
	1972	1981	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
1	2	3	4	5	6	7	8	9₹	10₹	11₹	12₹	13₹	14₹	15₹	16
छोटे उधारकर्ता															
(क) गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ															
I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971															
	205.71	3546.24	7045.38	8842.29	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	24429.24	26339.75	25474.28	18906.40	100.00
i) कृषक और कारखानेदार	134.67	2267.52	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	17075.41	12364.79	65.40
ii) परिवहन चालक	28.29	477.56	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58								
iii) फुटकर व्यापारी	28.34	398.86	709.84	972.45	1191.85	1257.99	1795.38								
iv) व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	9.14	165.66	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99	14519.56 ^{\$}	8727.03 ^{\$}	8973.00 ^{\$}	7514.44 ^{\$}	8102.11 ^{\$}	7840.98 ^{\$}	6172.94 ^{\$}	32.65
v) व्यावसायिक उपक्रम	5.27	150.08	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18								
vi) विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अविशिष्ट श्रेणी	—	86.56	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	557.89	368.67	1.95
II. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971															
	2.56	10.89	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	—	#	#	#	#	
III. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971															
	0.12	1.32	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	#	#	#	#	

(जारी)

संलग्नक - VIII (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
IV. लघु ऋण (सहकारी बैंक)																
गारंटी योजना, 1984	—	—	5.69*	10.76	14.96	25.00	35.19									
i) परिवहन चालक	—	—	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31									
ii) फुटकर व्यापारी	—	—	2.64	4.51	5.53	7.67	8.51	20.70 ^{\$}	10.98 ^{\$}	13.77 ^{\$}	14.34 ^{\$}	8.08 ^{\$}	9.59 ^{\$}	3.33 ^{\$}	—	
iii) व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	—	—	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74									
iv) कारोबारी उद्यम	—	—	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63									
I, II, III तथा IV का जोड़	208.39	3558.45	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	25483.87	18909.73	100.00	
लघु उद्योग उधारकर्ता																
(ख) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना																
V. लघु ऋण (लघु उद्योग)																
गारंटी योजना, 1981																
कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग इकाइयाँ	—	3716.43 [®]	4890.86	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	14176.95	13847.33		
कुल जोड़ (क) + (ख)	208.39	7274.88	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.18⁺	46543.18⁺	43605.50	41850.49	39660.82	32757.06		

® 31 मार्च 1981 की स्थिति * 31 दिसंबर 1984 की स्थिति

£ विभिन्न सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण प्राप्त न होने के कारण इन कालमों में दर्शाए गए आँकड़े (1) वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के रूप में प्रेषणों से वास्तविक प्राप्तियों (2) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आकलनों पर आधारित हैं।

\$ गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

+ वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण 31 मार्च 1990 और 1991 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अनन्तिम आँकड़े क्रमशः 35851.33 करोड़ रुपये और 37410.16 करोड़ रुपये हैं।

1 अप्रैल 1992 से समाप्त।

संलग्नक - IX

छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटायें गये दावे		(कॉलम 4 और 5) के अनुसार निपटायें गये दावों में से					
					अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		अस्वीकृत दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1977 के अंत तक	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23
1978 के दौरान	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
1979 के दौरान	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
1980 के दौरान	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
1981 के दौरान	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77
1982 के दौरान	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
1983 के दौरान	1,47,474	27.81	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
1984 के दौरान	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
1985 के दौरान	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
1986 के दौरान	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
1987 के दौरान	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
1988-89 के दौरान	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	277.29	515	0.11	30,164	8.21
1989-90 के दौरान	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
1990-91 के दौरान	20,87,562	505.05	19,00,904	427.17	18,62,697	415.35	4,202	1.42	34,005	10.40
1991-92 के दौरान	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
1992-93 के दौरान	36,81,272	883.29	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
1993-94 के दौरान	46,72,885	1,167.60	33,58,702	1,026.36	32,88,353	816.44	5,782	188.79	64,567	21.13
1994-95 के दौरान	47,93,205	1,348.11	39,11,870	1,100.26	38,60,522	1,078.15	3,428	0.88	47,920	21.23
जोड़ "क"	2,28,99,464	5,717.14	1,86,66,531	4,644.48	1,79,76,105	4,193.74	2,93,266	324.66	3,97,160	126.08

(जारी)

संलग्नक - IX (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1995-96 के दौरान										
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	62,64,590	1,841.06	35,09,601	1,031.42	34,52,981	1,006.28	738	1.53	55,882	23.61
2. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ "ख" (1 + 2 + 3)	62,64,590	1,841.06	35,09,601	1,031.42	34,52,981	1,006.28	738	1.53	55,882	23.61
कुल जोड़ (क + ख + ग)	2,91,64,054	7,558.20	2,21,76,132	5,675.90	2,14,29,086	5,200.02	2,94,004	326.19	4,53,042	149.69
वापस किये गये टेप "ग"	—	—	+ 15,25,601\$	+ 448.35\$				+15,25,601\$	+448.35\$	
कुल जोड़ (क + ख + ग)	2,91,64,054	7,558.20	2,37,01,733	6,124.25	2,14,29,086	5,200.02	18,19,605	774.54	4,53,042	149.69

विचारधीन दावों का अलग-अलग ब्यौरा

	संख्या	राशि
1. दावों पर कार्रवाई की गयी परन्तु विभिन्न कारणों से भुगतान रोका गया	43,594	12.72
2. ऐसे दावे जिन पर कार्रवाई की जानी है	44,26,737	1,300.95
3. दावों पर कार्रवाई की गयी परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में निपटान बकाया	9,91,990	291.62
जोड़	54,62,321	1,605.29

\$ मैग्रेटिक टेप पर प्रस्तुत किये गये उन दावों की संख्या और मूल्य राशि जो टेप पाठन त्रुटि इत्यादि के कारण बैंको को लौटा दिए गये तथा जब ये दावे पुनः प्राप्त होंगे तो इन्हें नया दावा माना जाएगा।

टिप्पणी: विचाराधीन दावों के विवरण में दर्शाया गया दावों का जोड़, प्राप्ति कालम के सकल जोड़ और निपटाये गये दावों के कालम का अंतर सूचित करता है। वर्ष 1995-96 के लिये दावों की कुल संख्या को निपटाये गये दावों के औसत मूल्य से गुणा कर के इस मूल्य का आकलन किया गया है।

संलग्नक - X

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्र वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उधारकर्ताओं की श्रेणी	31 मार्च 1995 तक प्राप्त कुल दावे		अप्रैल 1995 से मार्च 1996 के दौरान प्राप्त दावे		कॉलम 5 की कुल संख्या की प्रतिशतता	कॉलम 6 की कुल राशि की प्रतिशतता	31 मार्च 1996 तक संचयी जोड़		कॉलम 10 की कुल राशि की प्रतिशतता
		संख्या@	राशि@	संख्या@	राशि@			संख्या@	राशि@	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषक और कारखानेदार	1,07,15,866	2,497.05	31,96,194	935.63	51.02	50.82	1,39,12,060	3,432.68	45.42
2.	परिवहन चालक	8,33,484	515.02	2,02,973	76.77	3.24	4.17	10,36,457	591.79	7.83
3.	फुटकर व्यापारी	61,56,262	1,683.79	18,45,548	555.63	29.46	30.18	80,01,810	2,239.42	29.62
4.	व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति	19,41,570	465.70	3,98,428	115.99	6.36	6.30	23,39,998	581.69	7.70
5.	कारोबारी उद्यम	17,06,150	415.27	4,71,724	132.92	7.53	7.22	21,77,874	548.19	7.25
6.	विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	14,74,513	126.65	1,30,303	18.23	2.08	0.99	16,04,816	144.88	1.92
7.	उपभोग और मकान या आवास की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ	71,619	13.66	19,420	5.89	0.31	0.32	91,039	19.55	0.26
जोड़		2,28,99,464	5,717.14	62,64,590	1,841.06	100.00	100.00	2,91,64,054	7,558.20	100.00

संलग्नक - XI

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		निपटाये गये दावों में से				वर्ष के अंत में विचाराधीन दावे			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे/ आपत्तिवाले लौटाये गये दावे		निरस्त दावे		संख्या	राशि
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	1308	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	1308	1.74
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.01
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.66
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.91
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41	12248	115.82
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67	15672	153.67
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81	20177	197.19
पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 (15 माह)	93716	216.90	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24	32542	257.53
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	74894	192.58	101579	368.08	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27	5857	82.03
पहली अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991	83809	243.71	76148	249.25	65694	131.81	8968	71.53	1486	45.91	13518	76.49
पहली अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992	78447	217.26	80510	255.67	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61	11455	38.08
पहली अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1993	129968	259.98	118147	243.21	100751	94.92	16261	110.35	1135	37.94	23276	54.85
पहली अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1994	144165	323.16	123031	287.72	93008	73.55	25728	162.22	4295	51.95	44410	90.29
पहली अप्रैल 1994 से 31 मार्च 1995	189593	378.71	192791	409.31	153743	100.86	34446	235.51	4602	72.94	41212	59.69
पहली अप्रैल 1995 से 31 मार्च 1996	191034	524.17	155448	308.01	78857	35.99	69005	180.39	7586	91.63	76798	275.85
जोड़	1119054	2762.76	1042256	2486.91	798468	936.06	218916	1116.03	24872	434.82		

31 मार्च 1996 को विचाराधीन दावों की शाखावार स्थिति

	(करोड़ रुपये)	
	संख्या	राशि
नागपुर	6303	30.22
कलकत्ता	24020	82.09
मद्रास	20286	58.24
नई दिल्ली	26189	105.30
जोड़	76798	275.85

संलग्नक - XII

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान दावों की राशिवार प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

दावा राशि	31 मार्च 1995 को विचाराधीन दावे		वर्ष के दौरान प्राप्ति		वर्ष के दौरान निपटान						वर्ष के दौरान कुल निपटान		31 मार्च 1996 की को विचाराधीन दावे	
					अदा किये गये दावे		वापस लिए गए दावे/ आपत्तिवाले लौटाये गये दावे		निरस्त दावे					
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
25,000 रुपये तक	37577	15.06	155782	97.83	77706	31.91	58336	27.57	4050	4.56	140092	64.04	53267	48.85
25,000 रुपये से अधिक किंतु 1 लाख रुपये तक	2652	9.82	27352	108.33	1097	3.13	7570	25.49	2090	7.98	10757	36.60	19247	81.55
एक लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	796	18.08	5925	135.09	53	0.87	2297	53.08	844	20.44	3194	74.39	3527	78.78
5 लाख रुपये से अधिक और 8 लाख रुपये तक	101	6.34	816	51.04	—	—	328	20.65	245	15.14	573	35.79	344	21.59
8 लाख रुपये से अधिक	86	10.39	1159	131.88	1	0.08	474	53.60	357	43.51	832	97.19	413	45.08
जोड़ :	41212	59.69	191034	524.17	78857	35.99	69005	180.39	7586	91.63	155448	308.01	76798	275.85

संलग्नक - XIII

वर्ष 1981 से 1995-96 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
	(15 माह)														
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36	631.64	496.90
2. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना 1971 @	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	—	—	—	—	—
3. सेवा सहकारी समितियों गारंटी योजना 1971 @	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	0.01	0.01	—	—	—	—
4. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	—	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12	0.14	0.03
5. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61	197.35	207.71
जोड़ :	40.21	57.67	71.17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88	702.78	846.09	829.13	704.64

- * 1981 ₹.39,000/- * 1985 ₹.5,000/-
 * 1982 ₹.73,000/- * 1986 ₹.1,000/-
 * 1983 ₹.14,000/- * 1987 ₹.7,000/-
 * 1984 ₹.25,000/- * 1988-89 ₹.58,000/-

@ ये योजनाएँ 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दी गई हैं।

संलग्नक - XIV

31 मार्च 1996 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि से निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	दर	निक्षेप बीमा निधि				ऋण गारंटी निधि				सामान्य निधि			
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(क) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यहास हुआ है।														
1.	6.50% ऋण 2003	67.51	2.66	2.66	1.80	67.67	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	6.75% ऋण 2006	61.60	18.22	18.21	11.22	61.61	0.65	0.65	0.40	61.54	—	—	—	—
3.	6.75% ऋण 2007	59.90	1.12	1.12	0.67	59.82	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	7% ऋण 2009	58.61	40.77	40.71	23.84	58.56	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	7.50% ऋण 2010	60.55	55.59	53.63	33.66	62.76	2.86	2.84	1.73	60.92	—	—	—	—
6.	8% ऋण 2011	62.77	130.98	121.58	82.22	67.63	—	—	—	—	4.85	4.45	3.04	68.31
7.	8.75% ऋण 2010	68.14	3.78	3.78	2.58	68.25	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	9% ऋण 2013	67.86	101.98	100.09	69.20	69.14	—	—	—	—	14.15	14.17	9.60	67.75
9.	9.50% ऋण 2008	75.11	23.19	22.96	17.42	75.87	0.65	0.65	0.49	73.85	—	—	—	—
10.	10% ऋण 2014	73.93	75.78	75.67	56.02	74.03	4.09	4.06	3.02	74.38	10.95	10.97	8.10	73.84
11.	10.25% ऋण 2012	76.29	39.57	39.63	30.19	76.20	—	—	—	—	10.26	10.27	7.83	76.17
12.	10.50% ऋण 2014	77.19	55.98	55.96	43.20	77.21	—	—	—	—	7.39	7.38	5.70	77.24
13.	11.50% ऋण 2006	86.76	85.28	86.47	73.99	85.57	20.57	20.57	17.85	86.78	2.00	2.00	1.74	87.00
14.	11.50% ऋण 2007	86.17	0.02	0.03	0.02	66.67	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	11.50% ऋण 2008	85.66	5.85	5.85	5.01	85.64	8.35	7.80	7.15	91.67	—	—	—	—
16.	11.50% ऋण 2009	85.22	109.60	109.87	93.40	85.01	102.38	102.42	87.25	85.19	—	—	—	—
17.	11.50% ऋण 2011	84.49	81.32	80.37	68.71	85.50	8.68	8.41	7.33	87.16	—	—	—	—
18.	11.50% ऋण 2015	83.51	87.12	87.14	72.75	83.49	—	—	—	—	11.10	11.12	9.27	83.36
19.	11.64% जी.एस. 2000	93.67	105.56	105.96	98.88	93.32	34.44	34.45	32.26	93.64	—	—	—	—
20.	11.75% जी.एस. 2001	92.40	33.70	33.70	31.14	92.40	70.86	68.66	65.48	95.37	0.19	0.18	0.17	100.00
21.	12% जी.एस. 2011	87.59	77.04	76.71	67.48	87.97	348.08	345.62	304.88	88.21	—	—	—	—
22.	12.30% जी.एस. 1998	97.96	36.40	36.40	35.66	97.97	44.55	44.61	43.64	97.83	—	—	—	—
23.	12.50% जी.एस. 2004	93.82	33.28	34.39	31.22	90.78	100.00	101.25	93.82	92.66	—	—	—	—
24.	12.50% ऋण 2007	92.05	160.15	160.78	147.42	91.96	223.85	224.79	206.06	91.66	—	—	—	—
25.	12.60% जी.एस. 2000	97.48	—	—	—	—	45.00	45.09	43.87	97.29	—	—	—	—

(जारी)

संलग्नक - XIV (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	12.70%	जी.एस. 2001	96.85	—	—	—	—	75.00	75.15	72.64	96.97	—	—	—
27.	13.12%	जी.एस. 1999	98.73	1.55	1.68	1.53	91.07	—	—	—	—	—	—	—
28.	13.40%	जी.एस. 2002	98.09	70.92	71.27	69.57	97.61	88.88	89.32	87.18	97.60	—	—	—
29.	12%	जी.एस. 1999	96.05	—	—	—	—	6.00	5.82	5.76	98.97	—	—	—
30.	11.55%	जी.एस. 2002	90.72	—	—	—	—	41.61	38.68	37.75	97.60	—	—	—
31.	13.25%	जी.एस. 2000	98.50	110.01	111.27	108.36	97.38	47.89	48.28	47.17	97.70	—	—	—
32.	12%	जी.एस. 1997	98.98	—	—	—	—	51.00	50.99	50.48	98.98	—	—	—
33.	12.75%	1996	—	46.54	46.97	—	—	77.19	77.50	—	—	—	—	—
34.	10.50%	1996	—	9.11	9.16	—	—	0.17	0.17	—	—	—	—	—
35.	10.50%	1996	—	—	—	—	—	25.00	25.00	—	—	—	—	—
		II श्रंखला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ : (क)			—	1602.98	1594.02	1277.16	—	1427.75	1422.78	1216.21	—	60.89	60.54	45.45
(ख) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि हुई है।														
1.	5.75%	ऋण 2002	67.61	3.00	1.85	2.03	109.14	—	—	—	—	—	—	—
2.	'0'	कूपन बॉण्ड 1999	77.01	125.00	69.35	96.26	138.78	—	—	—	—	—	—	—
3.	'0'	कूपन बॉण्ड 2000	93.67	0.01	0.01	0.01	100.00	—	—	—	—	—	—	—
4.	13.65%	जी.एस. 1999	100.26	6.86	6.86	6.88	100.29	1.02	1.02	1.02	100.00	—	—	—
5.	13.85%	जी.एस. 2000	100.91	—	—	—	—	1.35	1.35	1.36	100.74	—	—	—
6.	13.50%	जी.एस. 1997	100.35	—	—	—	—	70.00	70.00	70.25	100.38	—	—	—
7.	'0'	कूपन बॉण्ड 2000 (द्वितीय निर्गम)	67.29	3.93	2.13	2.64	123.94	—	—	—	—	—	—	—
8.	भारत सरकार के 4 वर्षीय अस्थायी दर वाले बॉण्ड 1999		100.30	—	—	—	—	12.42	12.42	12.46	100.32	—	—	—
9.	14%	जी.एस. 2005	101.15	5.90	5.90	5.97	101.19	30.60	30.60	30.95	101.14	13.50	13.50	13.66
10.	13.65%	3 वर्षीय जी.एस. 1998	100.54	20.37	20.42	20.48	100.29	119.53	119.69	120.17	100.40	—	—	—
11.	13.50%	जी.एस. 1997 (तृतीय निर्गम)	100.35	1.75	1.75	1.75	100.57	6.70	6.70	6.72	100.30	—	—	—
12.	भारत सरकार के अस्थायी दर वाले 1999 (द्वितीय निर्गम)		100.30	—	—	—	—	3.00	3.00	3.01	100.33	—	—	—
जोड़ : (ख)			166.82	108.27	136.02	—	244.62	244.78	245.94	—	13.50	13.50	13.66	—
जोड़ : (क) + (ख)			1769.80	1702.29	1413.18	—	1672.37	1667.56	1462.15	—	74.39	74.04	59.11	—

(जारी)

संलग्नक - XIV (जारी)

(ग) भारत सरकार के 91/364 दिवसीय खजाना बिल :														
देयता तारीख	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर	प्राप्ति	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर	प्राप्ति	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर	प्राप्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. 6 अप्रैल 1996	—	—	—	—	—	1.50	1.46	96.9950	—	—	—	—	—	—
2. 13 अप्रैल 1996	35.85	34.74	96.86	9.30	0.64	0.62	96.86	—	0.88	0.85	96.86	—	—	—
			से											
			97.9913											
3. 20 अप्रैल 1996	30.24	29.29	96.86	9.40	6.37	6.17	96.86	—	—	—	—	—	—	—
			से											
			9.80											
4. 26 अप्रैल 1996	—	—	—	—	7.87	7.65	97.2184	—	—	—	—	—	—	—
5. 27 अप्रैल 1996	51.02	49.44	96.87	8.86	27.77	26.95	96.86	—	0.15	0.15	96.86	—	—	—
			से											
			97.3172											
			9.64											
			97.4849											
6. 4 मई 1996	40.06	38.80	96.86	8.89	41.93	40.66	96.86	—	—	—	—	—	—	—
			से											
			97.7119											
			9.39											
			97.7119											
7. 14 फरवरी 1997	—	—	—	—	30.00	26.52	88.40	—	—	—	—	—	—	—
8. 10 मई 1996	—	—	—	—	15.00	14.57	97.1154	—	—	—	—	—	—	—
9. 11 मई 1996	1.06	1.03	96.86	10.02	0.20	0.19	96.86	—	—	—	—	—	—	—
10. 20 मई 1996	4.94	4.79	96.86	9.23	8.99	8.71	96.86	—	—	—	—	—	—	—
			से											
			97.1038											
			97.1038											
11. 24 मई 1996	0.10	0.09	96.87	9.21	2.57	2.49	96.8700	—	—	—	—	—	—	—
			से											
			9.27											
			96.9033											
12. 25 मई 1996	2.22	2.15	96.86	9.47	8.74	8.47	96.86	—	0.14	0.14	96.86	—	—	—
			से											
			13.30											
13. 1 जून 1996	14.93	14.46	96.86	9.14	21.80	21.11	96.86	—	—	—	—	—	—	—

संलग्नक - XIV (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14. 19 जुलाई 1996			0.10	0.10	95.1965	9.14 से 9.39	1.82	1.73	95.1965	—	—	—	—	—
15. 2 अगस्त 1996			5.70	5.09	89.0122 से 91.7408	—	6.64	5.92	89.0122 से 91.7408	—	1.77	1.58	89.4702 से 89.01222	—
16. 27 सितंबर 1996			0.18	0.16	89.5227	13.50	0.18	0.16	89.5227	—	0.14	0.12	89.5227	—
17. 22 नवंबर 1996			0.50	0.44	88.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. 20 दिसंबर 1996			—	—	—	—	0.58	0.52	88.50	—	—	—	—	—
19. 3 जनवरी 1997			—	—	—	—	1.20	1.06	88.50	—	—	—	—	—
20. 17 जनवरी 1997			0.06	0.05	88.44	13.50	0.95	0.84	88.44	—	—	—	—	—
21. 31 जनवरी 1997			32.00	28.29	88.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ : (ग)			218.96	208.92	—	—	184.75	175.80	—	—	3.08	2.84		
जोड़ : (क) + (ख) + (ग)			1988.76	1911.21	—	—	1857.12	1843.36	—	—	77.47	76.88		

	निकषेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	सामान्य निधि
बही मूल्य	1537.89	1320.12	60.54
हासित मूल्य	1277.16	1216.21	45.45
मूल्य हास के लिए प्रावधान	260.73	103.91	15.09
वर्तमान प्रावधान	184.23	67.20	16.38
अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान	76.50	36.71	कुछ नहीं

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मायरा और खत्री
सनदी लेखाकार
भगवान भुवन, 3री मंजिल,
31 इजराइल मोहल्ला स्ट्रीट,
मस्जिद बन्दर रोड,
मुम्बई-400 009.

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1996 तक के (i) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी निधि और (ii) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को सामाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :

- (i) लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराये गये,
- (ii) उपयुक्त तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीति और लेखों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सूचना प्रस्तुत करते हैं और निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति को दर्शाया गया है :

- (क) तुलन पत्रों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (ii) उपर्युक्त निगम की निधियों की सामान्य निधि की 31 मार्च 1996 की स्थिति।
- (ख) आय-व्यय लेखों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि के मामले में अतिरिक्त और (ii) निगम की ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के घाटे की उपर्युक्त तारीखों की स्थिति।

वास्ते मायरा और खत्री
सनदी लेखाकार

ह.
(नेरेन सेठ)
पार्टनर

मुम्बई,
दिनांक : 20 जून 1996

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के
(विनियम 18 -
31 मार्च 1996 को कारोबार समाप्ति
I - निक्षेप बीमा निधि

पिछले वर्ष		देयताएँ	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
16885.00	179271.00	1. निधि (वर्ष के अंत में शेष)	20273.00	—	177543.00	—
163.88	—	2. अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष)	245.12	—	—	—
16174.88	6720.21	3. निवेश रिजर्व : वर्ष के आरंभ में शेष	18422.76	—	6720.21	—
2247.88	—	जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	7649.86	—	3671.40	—
18422.76	6720.21		26072.62	—	10391.61	—
—	2025.56	4. ऐसे दावे जो प्राप्त हो गये हैं और स्वीकार कर लिए गये हैं परंतु जिनका भुगतान नहीं हुआ है	—	—	1285.80	—
1592.36	101732.90	5. प्राप्त हो चुके दावों और स्वीकार न किये गये दावों के मामले में अनुमानित देयता	667.99	—	171178.45	—
86.56	—	6. अदावाकृत बीमा राशियाँ	87.76	—	—	—
5894.45	4726.51	7. अन्य देयताएँ				
120673.70	—	i) फुटकर लेनदार	6145.88	—	1231.67	—
12081.45	—	ii) ऋण गारंटी निधि	153889.90	—	—	—
138649.60	4726.51	iii) आयकर के लिए प्रावधान	12081.45	—	—	—
			172117.23	—	1231.67	—
175800.16	294476.18	जोड़	219463.72	—	361630.53	—

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मेसर्स मायरा एण्ड खत्री
सनदी लेखाकार

नरेन सेठ
पार्टनर

मुम्बई
दिनांक : 20 जून 1996

आर.वी. गुप्ता
अध्यक्ष

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

जे. आर. प्रभु
निदेशक

एस. एच. खान
निदेशक

के. एल. खेतरपाल
मुख्य महाप्रबंधक

एन. पी. सारडा
निदेशक

पी. एन. जोशी
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म 'क')

के समय का तुलन-पत्र

और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आस्तियाँ	निकषेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निकषेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
6.78	148.98	1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा	18.22		409.23	
143526.82	153683.19	2. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	191120.97		184336.43	
		निकषेप बीमा निधि (लाख रुपये)		ऋण गारंटी निधि (लाख रुपये)		
		अंकित मूल्य	198875.92	185711.87		
		बाज़ार मूल्य	127715.98	121620.52		
6163.01	4205.50	3. निवेशकों पर प्रोदभूत ब्याज	7854.40		5232.48	
		4. अन्य आस्तियाँ				
659.53	10.25	i) बैंकों/ऋण संस्थाओं में किस्त गारंटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के रूप में बकाया	839.74		333.70	
11.68	25.86	ii) अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	97.00		98.84	
0.06	—	iii) गैर संवितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक/बैंकों के परिसमापक के पास राशि	0.06		—	
—	—	iv) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)	—		—	
—	120673.70	v) निकषेप बीमा निधि	—		153889.90	
24139.31	15728.70	vi) स्रोत पर आयकर की कटौती	19533.33		17329.95	
1292.97	—	vii) विविध देनदार	—		—	
			20470.13		171652.39	
175800.16	294476.18	जोड़	219463.72		361630.53	

सुधीर श्रीवास्तव
निदेशक

के. आर. राममूर्ती
निदेशक

के. प्रसाद
उप महाप्रबंधक

पी. डब्ल्यू. रेगे
निदेशक

ई. सी. नायर
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

निक्षेप बीमा और
(फार्म)
31 मार्च 1996 को समाप्त
I - निक्षेप बीमा निधि

पिछले वर्ष		व्यय	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
लाख रुपये	लाख रुपये					
220.51	115256.93	दावे :	875.48		101941.99	
—	2025.56	(क) वर्ष के दौरान अदाकृत (ख) स्वीकारे गये किंतु अदा न किये गये दावे	—		1285.80	
		जोड़िये :				
1592.36	101732.90	वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामले में अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गये परंतु स्वीकृत नहीं किये गये हैं	667.99		171178.45	
1812.87	219015.39		1543.47		274406.24	
		घटाइये :				
811.62	74191.36	उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो प्राप्त हो चुके थे किंतु पिछले वर्ष के अंत तक स्वीकृत नहीं हुए हैं	1592.36		101732.90	
		जोड़िये :				
591.05	—	पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा)	716.87		—	
1592.30	144824.03	निवल दावे		667.98		172673.34
2247.88	—	निवेशों के मूल्य में मूल्य-हास के लिए प्रावधान		7649.86		3671.40
		निवेश की ब्रिकी पर घाटा प्रावधान और आकस्मिकताएँ				
16885.00	179271.00	वर्ष के अंत में निधि (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	20273.00		177543.00	
22547.30	—	नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष		33297.43		—
43272.48	324095.03	जोड़ :		61888.27		353887.74
—	34868.75	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा				33216.19
34868.75	—	ऋण गारंटी निधि में अंतरण (दुतरफा)		33216.19		—
163.88	—	तुलन-पत्र में लाया गया शेष		245.12		—
35032.63	34868.75	जोड़ :		33461.31		33216.19

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मेसर्स मायरा एण्ड खत्री
सनदी लेखाकार

आर.वी. गुप्ता
अध्यक्ष

जे. आर. प्रभु
निदेशक

एन. पी. सारडा
निदेशक

नरेन सेठ
पार्टनर

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

एस. एच. खान
निदेशक

पी. एन. जोशी
निदेशक

मुम्बई

दिनांक : 20 जून 1996

के. एल. खेतरपाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम
'क')

वर्ष का आय-व्यय लेखा
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आय		
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये
8030.00	152073.00	वर्ष के आरंभ में निधि शेष	16885.00	179271.00
19328.56	—	निक्षेप बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित)	22642.89	—
—	82913.71	गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)	—	70464.93
1705.79	33117.22	निक्षेप बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ (अतिदेय चुकोतियों पर ब्याज सहित)	1977.64	42632.56
591.05	—	पुनरांकित निक्षेप बीमा दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा)	716.87	—
13603.80	21101.43	निवेश से प्राप्त आय (सकल)	18653.18	27573.66
			निक्षेप बीमा निधि (लाख रुपये)	ऋण गारंटी निधि (लाख रुपये)
		स्रोत पर कर की कटौती वर्ष 1995-96	3790.67	5483.71
		वर्तमान वर्ष	2943.77	4492.03
—	—	निवेशों के विक्रय से लाभ	5.09	263.51
13.28	20.92	अग्रिम कर/टीडीएस पर ब्याज	1007.60	465.89
—	34868.75	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा	—	33216.19
43272.48	324095.03	जोड़ :	61888.27	353887.74
12485.33	—	पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष	163.88	—
22547.30	—	नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष	33297.43	—
—	34868.75	निक्षेप बीमा निधि से अंतरण (दुतरफा)	—	33216.19
35032.63	34868.75	जोड़ :	33461.31	33216.19

सुधीर श्रीवास्तव
निदेशक

के. आर. राममूर्ती
निदेशक

के. प्रसाद
उप महाप्रबंधक

पी.डब्ल्यू. रेगे
निदेशक

ई.सी. नायर
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(विनियम 18 -
31 मार्च 1996 की समाप्ति
II - सामान्य

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	देयताएँ	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
5,000.00	1. पूँजी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी.			5,000.00
1,129.35	2. प्रारक्षित निधियाँ (क) सामान्य रिज़र्व वर्ष के आरंभ में शेष जोड़िए : कर्मचारी व्यय के लिए भा.रि. बैंक से वित्तीय सहायता.	887.10 1,400.00		
242.25	घटाइए : आय व्यय लेखा से अंतरित घाटा	2,287.10		
887.10	वर्ष के अंत में शेष	951.20	1,335.90	
1,638.47	(ख) निवेश रिज़र्व वर्ष के आरंभ में शेष जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि	1,638.47		
1,638.47	वर्ष के अंत में शेष		1,638.47	
22.51	(ग) पूँजी रिज़र्व		22.51	
2,548.08				2,996.88
623.19	3. चालू देयताएँ और प्रावधान बकाया व्यय	780.40		
0.86	विविध लेनदार	14.36		
223.00	आयकर के लिए प्रावधान	223.00		
847.05				1,017.76
8,395.13	जोड़			9,014.64

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मेसर्स मायरा एण्ड खत्री
सनदी लेखाकार

आर.वी. गुप्ता
अध्यक्ष

जे. आर. प्रभु
निदेशक

एन. पी. सारडा
निदेशक

नरेन सेठ
पार्टनर

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

एस. एच. खान
निदेशक

पी. एन. जोशी
निदेशक

मुम्बई
दिनांक : 20 जून 1996

के. एल. खेतरपाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म 'क')

के समय का तुलन-पत्र

निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	आस्तियाँ	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
	1. नकद		
0.11	i) हाथ में	0.12	
3.53	ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	7.67	
3.64			7.79
7,025.22	2. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		7,688.22
	(लाख रुपये)		
	अंकित मूल्य	7,747.10	
	बाज़ार मूल्य	6,195.11	
250.16	3. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		237.41
	4. अन्य आस्तियाँ		
17.17	क) मूल्यहास घटाकर फर्नीचर जुड़नार और उपकरण	45.16	
1.25	ख) लेखन सामग्री का स्टॉक	1.78	
0.92	ग) पूर्वदत्त व्यय	0.84	
34.32	घ) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिज़र्व बैंक से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भत्ते और अन्य जमा राशियाँ	98.07	
940.84	ङ) आयकर कटौती स्रोत पर	935.37	
	5. बकाया राशि		
121.61	i) ऋण गारंटी निधि में	—	
—	ii) निक्षेप बीमा निधि में	—	
1,116.11			1,081.22
	जोड़		9,014.64
8,395.13			

सुधीर श्रीवास्तव
निदेशक

के. आर. राममूर्ती
निदेशक

के. प्रसाद
उप महाप्रबंधक

पी. डब्ल्यू. रो
निदेशक

ई. सी. नायर
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फॉर्म 'ख')

31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

II - सामान्य निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	व्यय	राशि (लाख रुपये)	पिछले वर्ष (लाख रुपये)	आय	राशि (लाख रुपये)
774.69	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	1,286.78	700.87	निवेशों से आय (सकल) (स्रोत पर आयकर की कटौती 166.02 लाख रुपये) (पिछले वर्ष : 171.27 लाख रुपये)	675.58
27.50	कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि में अंशदान	96.73			
0.04	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.01	21.09	लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन दावा अदाकृत लेखों से प्राप्त वसूलियाँ	23.10
0.28	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	0.35			
88.12	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	192.97	0.69	विविध प्राप्तियाँ	0.94
13.99	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	17.74			
1.34	कम्प्यूटर उपभोज्य सामग्री	2.55	1.25	अग्रिम कर पर ब्याज/स्रोत पर कर कटौती	20.58
5.40	मुद्रण और लेखन सामग्री	6.22			
4.94	डाक, तार और टेलीफोन	5.07	242.25	वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को कम करने पर शेष नीचे लाया गया	951.20
0.49	लेखा परीक्षकों का शुल्क	0.49			
1.93	विधि प्रभार	7.37			
44.19	विविध व्यय	44.90			
3.24	मूल्य-हास	10.22			
	— निवेश पर मूल्य-हास के लिए प्रावधान	—			
	— वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च नीचे लाया गया	—			
966.15	जोड़ :	1,671.40	966.15	जोड़ :	1,671.40
242.25	शेष नीचे लाया गया	951.20	242.25	सामान्य रिजर्व में अंतरित आय से अधिक व्यय शेष	951.20
	— आय की तुलना में अधि खर्च सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया.	—		— शेष नीचे लाया गया	—
242.25	जोड़ :	951.20	242.25	जोड़ :	951.20

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मेसर्स मायरा एण्ड खत्री
सनदी लेखाकार

आर.वी. गुप्ता
अध्यक्ष

जे. आर. प्रभु
निदेशक

एन. पी. सारडा
निदेशक

सुधीर श्रीवास्तव
निदेशक

पी.डब्ल्यू. रेगे
निदेशक

गंगाधर गाडगिल
निदेशक

नरेन सेठ
पार्टनर

एस. एच. खान
निदेशक

पी. एन. जोशी
निदेशक

के. आर. राममूर्ती
निदेशक

ई.सी. नायर
निदेशक

रशीद जिलानी
निदेशक

मुम्बई
दिनांक : 20 जून 1996

के. एल. खेतरपाल
मुख्य महाप्रबंधक

के. प्रसाद
उप महाप्रबंधक

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

विद्यमान महत्त्वपूर्ण संकल्पनाओं का अनुपालन करते हुए और ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और पद्धति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं।

2. आय और व्यय का निर्धारण

- i) यदि अन्य प्रकार से उल्लेख न किया गया हो तो आय और व्यय की मदें सामान्यतः उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।
- ii) निक्षेप बीमा किस्तों और गारंटी शुल्क प्राप्तियों का सामान्यतः जमाराशियों और गारंटीकृत अग्रिमों से संबंधित विवरण प्राप्त होने के पश्चात् विनियोजन राजस्व आय में किया जाता है। यदि लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक ऐसे विवरण प्राप्त न हों तो सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा किये गये तदर्थ भुगतान, यदि कोई हो, को आय माना जाता है परन्तु, पिछले वर्षों के अभिलेखों की तुलना में यह राशि पर्याप्त होनी चाहिए। असमायोजित राशियाँ 'विविध लेनदार' शीर्ष के अंतर्गत आगे ले जायी जाती हैं।
- iii) निक्षेप बीमा किस्तों और गारंटी शुल्क की अप्राप्त राशि को तब तक आय में गिना जाता है जब तक कि सहभागी ऋण संस्थाओं से संबंधित विवरण प्राप्त नहीं हो जाता।
- iv) गारंटी शुल्क और बीमा किस्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए दंडस्वरूप ब्याज को ऐसे भुगतान की तारीख तक की आय में गिना जाता है और किस्तों/गारंटी शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज को आय नहीं माना जाता है।
- v) निपटाये गये जमा बीमा दावों/अदाकृत गारंटी दावों के संबंध में प्रत्याहरण अधिकारों के बल पर वसूली (दंडस्वरूप ब्याज सहित) को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है। इसी प्रकार निपटाये गये दावों और बाद में अपात्र पायी गयी वसूलियों को वसूली/समायोजन के बाद ही हिसाब में लिया जाता है।
- vi) निवेशों पर ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- vii) ऋण गारंटी निधि से संबंधित ऐसे दावे जो सूचित किए गए हैं परन्तु स्वीकार नहीं किए गए हैं, के संबंध में वर्ष के अंत

में देयता-प्रावधान पिछली प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण आधार पर किया जाता है।

- viii) ऋण गारंटी निधि और निक्षेप बीमा निधि के संबंध में वर्ष के अंत में निधि शेष के रूप में देयता का बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।
 - ix) गारंटी शुल्क की वापसी के लिए दावे और निपटाये गये दावों के बदले चुकौतियाँ निगम द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद हिसाब में ली जाती हैं ऐसे वापसी दावों के संबंध में वर्ष के अंत में देयता (कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत आनेवाले मामलों सहित) और वर्ष की समाप्ति के समय निधि-शेष के बीमांकिक मूल्यांकन पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं हो पाया है।
 - x) भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ संस्थागत व्ययों यथा छुट्टी, वेतन आदि से संबंधित प्रतिपूर्ति दावों को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- ## 3. निवेश
- i) यदि भारतीय रिजर्व बैंक की खरीद दरें उपलब्ध है तो मूल्यांकन के प्रयोजन से उन्हें ही बाजार दर के रूप में लिया गया है, अन्य मामलों में प्रतिभूतियों को देयता तालिकाओं में 14 प्रतिशत आय के आधार पर संदर्शक बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है।
 - ii) प्रतिभूतियों के लिए मूल्य-हास का प्रावधान तुलन पत्र में निवेशों में कटौती करके नहीं किया जाता, अपितु ऐसा प्रावधान लेखों के विवरण के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप निवेश रिजर्व लेखा में संचयन के रूप में किया जाता है।
 - iii) जीरो कूपन बांड्स की अधिग्रहण लागत और प्रतिदेय मूल्य में अन्तर को आय माना जाता है तथा उसे बांड की अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक वित्त-वर्ष के हिसाब में आनुपातिक रूप से बीमांकन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
 - iv) प्रतिभूतियों का अन्तर निधि अन्तरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

4. अचल आस्तियाँ

- i) अचल आस्तियों को लागत में मूल्यहास कम कर के दर्शाया जाता है।
- ii) मूल्यहास का प्रावधान अवलेखन मूल्य आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग की नियम पुस्तक में दर्शायी दरों पर किया जाता है।

5. लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)

सरकार के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अन्तर्गत भुगतान किए गए दावों के संबंध में प्रत्याहरण अधिकार के बदले समय-समय पर प्राप्त वसूलियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत उक्त योजना के

शेष कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थागत लागत खर्च के रूप में सामान्य निधि के आय व्यय लेखा के हिसाब में लिया जाता है।

6. कर्मचारी लागत

वेतन भत्तों, भविष्य निधि और उपदान निधि में योगदान के रूप में कर्मचारियों पर होनेवाले लागत खर्च भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यवस्था के अनुसार किए जाते हैं चूँकि निगम का संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आया है। वर्ष 1995-96 में कर्मचारियों पर होनेवाले व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पहली बार 14.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

7. पिछली अवधि के आय/व्यय

₹.25,000/- से अधिक आय और खर्च दोनों ही मामलों में पिछली अवधि की भूल चूक की मर्दें जो चालू अवधि में देखने में आयी हैं पिछली अवधि में जमा/नामे मानी जाती हैं।

कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर, विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचत राशि के डूबने के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार के संरक्षण से जनता के मन में विश्वास पैदा होता है, जिससे बैंकिंग सम्बन्धी आदतों का विकास होता है और बैंकिंग प्रणाली के विकास में तथा बैंकों द्वारा संसाधनों का संग्रह करने में योगदान मिलता है, इन संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताप्राप्त प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। छठे दशक तथा सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में कुछ बैंक फेल होने के परिणामस्वरूप निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई और लोगों के हितों को रक्षा प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ता जनता का विश्वास पुनः अर्जित करने का प्रयास किया गया।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरू की गई थीं, वे अब तक अपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कार्रवाई की शृंखला के रूप में शुरू की गई थीं। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की कल्पना एक ऐसी एजेंसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त प्रतिरूपी और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना :

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरू की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन करने के लिए समर्थक विधान पारित कर लिए हैं। यदि भौगोलिक क्षेत्र की परिव्याप्ति के अनुसार देखा जाए तो निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है, परन्तु इसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 10 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों के लिए ₹.1,00,000/- की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 5 पैसे वार्षिक की दर पर छमाही आधार पर अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा-संरक्षण निःशुल्क प्राप्त हो सके। अतिदेय किस्त पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 1,00,000/- रुपये तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा प्राप्त कर सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की

गई राशि के बीच (अथवा 1,00,000/- रुपये में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करें।

ऋण गारंटी योजनाएं

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिए गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया, जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिजर्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी सरकार के एजेंट के रूप में करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 विशेषज्ञ समिति, 1987 की सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत

अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों से अलग रखने की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ इस प्रकार थीं :

- (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- (ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
- (iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
- (iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
- (v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
- (vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.2 योजना संख्या (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप निगम द्वारा निम्नलिखित तीन योजनाएँ परिचालित की जाती है :

क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, 1 अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें कृषकों और खेतिहरों, लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, लघु व्यावसायिक उपक्रमों, व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएँ तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।

ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 से शुरू की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनियों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाएँ आती हैं।

ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएँ शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग

ऋण शामिल है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर-लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को संलग्नक में सारणीबद्ध किया गया है।

गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के मामले में गारंटी शुल्क 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तारीख से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 1.25 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। अन्य दो योजनाओं अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के मामले में गारंटी शुल्क की दर 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए। अतिदेय गारंटी शुल्क पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

क) स्वचालित सामूहिक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी-सुरक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्वचालित सामूहिक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और इसके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वतः ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व-आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी सुरक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं हैं।

ख) लाभ प्राथमिकताप्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है

जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए की इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं :- फुटकर व्यापारियों के मामले में ऋण राशि सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनियों के मामले में संयंत्र और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की संपूर्ण सीमाओं को भी निर्धारित किया गया है।

गारंटी को लागू करना

10. निगम ने 1 अप्रैल 1995 से गारंटी लागू करने की शर्तों में संशोधन किया है। शर्तें इस प्रकार हैं :

- (i) सहभागी ऋण संस्था को सक्षम अधिकारी के आदेश से संस्था की लेखा बहियों में खाते में बकाया राशि बट्टे खाते डालने के बाद ही दावा दायर करना चाहिए।
- (ii) निगम की गारंटी ऋण संस्था द्वारा स्वीकृत केवल मूलधन को ही सुरक्षा प्रदान करेगी और नकदी ऋण/ओवर ड्राफ्ट अन्य चक्रिय ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्येक प्रकार की ऋण सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत नियमित सीमा तक की बकाया राशि को सुरक्षा प्रदान करेगी।
- (iii) ऐसे खाते के मामले में ऋण संस्थाओं के कोई दावे नहीं स्वीकार किये जायेंगे जहाँ किसी खास खाते में उधारकर्ता से प्राप्त वसूली की राशि बट्टे खाते डालने की तारीख को खाते में कुल नामे की राशि के 25 प्रतिशत से कम है, सिर्फ निम्नलिखित अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर :
 - (क) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो चुकी है;
 - (ख) यदि क्षेत्र किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया है;
 - (ग) किसी क्षेत्र विशेष या उधारकर्ताओं के वर्ग विशेष के संदर्भ में निगम के ध्यान में लाई गई सामान्यतः परिस्थितियों का ऐसा आधार जो अपवाद माने जाने का पात्र हो।
- (iv) ऋण संस्था की खाता-बहियों में राशि को बट्टे खाते डालने की तारीख के बाद एक वर्ष के अंदर दावे निगम में प्रस्तुत किए जाएँ।

(v) ऐसे सभी दावे जो पहली अप्रैल 1995 को या इसके पश्चात् देय थे, इनके संदर्भ में दावे प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के अनुपालन की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

पात्र क्रियाकलापों के विभिन्न वर्गों के संबंध में योजनाओं में निर्धारित परिशुद्ध सीमाओं की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा मूलधन का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है। छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा सापेक्षिक रूप से उच्चतर सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों का भुगतान कर देने के पश्चात् दावा दायर करने वाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कर्ज दी गई राशि को वसूल करने के लिए कारगर उपाय करना जारी रखें और प्राप्त वसूली में से वसूली खर्च काट कर राशि

प्रत्याहरण अधिकार के तहत निगम के हिस्से की राशि लौटा दें। ऋण संस्थाओं को 22 फरवरी 1994 से यह शक्ति दे दी गई है कि वे जमानत/जामिन में परिवर्तन/निर्मुक्ति, कानूनी कार्रवाई में छूट, समझौते और वसूली योग्य राशि में कमी करने तथा बढ़ते खाते डालने जैसे मामलों में निर्णय ले सकती हैं और उन्हें निगम से पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि संबंधित संस्था के कर्मचारियों की जिम्मेदारी, धोकाधड़ी, दुर्विनियोजन इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव निगम के पूर्वानुमोदनार्थ भेजे जाने चाहिए। किसी उधारकर्ता के संबंध में गारंटी का अवलंब लेने और दावे का भुगतान हो जाने के पश्चात् उसी उधारकर्ता को दिए गए किसी अन्य ऋण के लिए निगम द्वारा गारंटी सुरक्षा तबतक नहीं दी जाएगी जबतक कि पहले ही निपटाए गये दावे के फलस्वरूप निगम को देय राशि की चुकौती न कर दी गई हो।

संलग्नक
ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

योजनाएँ	सहभागी पात्र संस्थाएं	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटी शुल्क	गारंटी सुरक्षा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(क) छोटे उधारकर्ता					
i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो	
		ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो	
		iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो	
		iv) कृषकों तथा कृषिकारोंको प्रत्यक्ष वित्त			
		1) फसल उगाना	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो	
		2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20,000 रुपये में से जो कम हो	
		3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये (अर्थात् 3 x 10,000 रुपये) में से जो कम हो	
		4) संबद्ध कार्यकलापों के लिए			
		i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो	
		ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो	
		iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो	
		iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो	
		v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो	

(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)

\$ दिनांक 1.4.1995 से निगम द्वारा दी जानेवाली गारंटी में ऋण संस्था द्वारा स्वीकृत राशि में केवल मूलधन को और नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिभ्रमणशील क्रेडिट सुविधाओं के मामले में प्रत्येक प्रकार की क्रेडिट सुविधा के तहत स्वीकृत नियमित सीमा तक बकाया धनराशि को ही शामिल किया जाएगा।

(जारी)

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
v)	कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त (शीतगार के निर्माण तथा संचालन और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों, जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार हैं) को छोड़कर	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)		चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था जो कम हो
vi)	शैक्षणिक पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दी गई ऋण सुविधाएं।		वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
vii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य प्रायोजित संगठनों को खरीद के विशिष्ट प्रयोजनों और निविष्ट वस्तुओं के समर्थन और/या इन संगठनों के हिताधिकारियों के उत्पादों के विपणन के लिए अग्रिम।		वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था)
*viii)	आवास के लिए अप्रत्यक्ष वित्त			
क)	उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण		वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
ख)	उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 25,000 रुपये तक के ऋण।		वही	वही
*ix)	आवास के लिए अप्रत्यक्ष वित्त			
i)	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निम्न आय वर्गों के लाभ के लिए आवास निर्माण हेतु किसी सरकारी एजेन्सी को दी गयी सहायता, जहाँ ऋण घटक प्रति आवास इकाई 2 लाख रुपये से कम हो।		वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 60,000/- में से जो भी कम हो (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था)
ii)	गंदी बस्ती निर्मूलन और गंदी बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी सरकारी एजेन्सी को सहायता जहाँ ऋण घटक प्रति इकाई 2 लाख रुपये से कम हो।		वही	वही
x)	उपभोग उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण		वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत

* गारंटी सुरक्षा और निगम को देय गारंटी फीस का आकलन करने के प्रयोजनार्थ 1.4.1995 से सभी आवास-निर्माण ऋणों को अलग कर दिया गया है।

(जारी)

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ii)	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रियों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो
			ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो
			iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो
			iv) शैक्षणिक ऋण	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
			v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण	वही	वही
			vi) निम्नलिखित के लिए आवास ऋण रुपये 25,000 से अधिक नहीं		
			क) व्यक्तिगत	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
			ख) सरकारी एजेन्सी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
			vii) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप		
			i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो
			ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो
			iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
			iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो
			v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
			vi) बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, भारवाही जानवरों आदि की खरीद	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो

(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)

* गारंटी सुरक्षा और निगम को देय गारंटी फीस का आकलन करने के प्रयोजनार्थ 1.4.1995 से सभी आवास-निर्माण ऋणों को अलग कर दिया गया है।


(जारी)

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख) लघु उद्योग				
iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	वाणिज्य (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ	i) लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से कम ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। ii) सीमा रहित ऋण सुविधाओं वाले पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्र के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित)	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रियों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यशील पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
			वही	वही
			वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या सम विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यशील पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
		लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त		
		i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ।	वही	(क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो। (ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो।
		ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रक्षा प्राप्त न हो।)	वही	वही
		iii) शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण	वही	(ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो।
		iv) ट्रेक्टरों, बुलडोजरों, कुआँ खोदने के उपकरणों, ग्रेसर्स, कंवाइन आदि के बड़े का रखरखाव करनेवाले और ठेके पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों को अग्रिम।	वही	वही
		v) औद्योगिक संपदा औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण	वही	वही


बीमाकृत खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
NUMBER OF INSURED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART-I



बीमाकृत जमा राशियाँ
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
AMOUNT OF INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART-II





बीमाकृत बैंकों की जमा राशियों को
बीमा सुरक्षा की सीमा
(जून 1995 के अंतिम शुक्रवार को)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO
DEPOSITS IN INSURED BANKS
(LAST FRIDAY OF JUNE 1995)

खातों की कुल संख्या 4868.07 लाख
TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
4868.07 LAKHS

निर्धारणीय जमा राशियों की कुल रकम 392071.69 करोड़ रुपये
TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS
Rs. 392071.69 CRORES

अंशतः संरक्षित खाते (1.0%)
PARTIALLY PROTECTED ACCOUNTS (1.0%)




छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT
GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

तालिका CHART IV

(CRORES OF RUPEES)




छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में
गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण
(मार्च 1995 के अंत की स्थिति)

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT
OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

तालिका CHART V


(AS AT THE END OF MARCH 1995)



छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS


संख्या
 NUMBERS
 6500000

तालिका CHART VI



करोड़ रुपये
 CRORES OF RUPEES
 1950

तालिका CHART VII




लघु उद्योगों से संबंधित निगम की गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि

(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES

तालिका CHART - VIII

(RUPEES IN CRORES)




लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
 CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES

संख्या
 NUMBERS

तालिका CHART II तालिका CHART I

करोड़ रुपये
 CRORES OF RUPEES



DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

**Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Mumbai 400 039**

**34th Annual Report of the Board of Directors,
Balance Sheets and Accounts
for the year ended
31 March 1996**

CONTENTS

	Page No.
1. Letters of Transmittal.....	iii & iv
2. Board of Directors	v
3. Organisation Chart	vi
4. Offices of the Corporation	vii
5. Principal Officers of the Corporation	viii
6. Corporate Profile	ix
7. Highlights – Progress at a glance	x
8. Directors' Report.....	1
9. Annexures to the Directors' Report	10
10. Balance Sheets & Accounts	42
11. An Outline of Functions & Activities	51

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION**

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

DICGC/72/06.02.15/96-97

29 June, 1996
8 Aashadha 1918 (Saka)

The Chief General Manager and Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
Mumbai 400 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1995-96

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

- (i) the audited Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1996 together with a signed copy of the Auditors' Report and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1996.

Yours faithfully,

Sd/-

(K. L. Khetarpaul)
Chief General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

DICGC/71/06.02.16/96-97

29 June, 1996
8 Aashadha 1918 (Saka)

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1995-96

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

1. (i) the Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1996 together with the Auditors' Report and
(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1996.
2. Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid*.

Yours faithfully,

Sd/-

(K. L. Khetarpaul)
Chief General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

R. V. GUPTA

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Mumbai.

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

J. R. PRABHU

Executive Director, Reserve Bank of India, Mumbai.

Nominated by the Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

SUDHIR SRIVASTAVA (from 27 May, 1996)

Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. H. KHAN

Chairman & Managing Director, Industrial Development Bank of India, Mumbai.

N. P. SARDA

Chartered Accountant, Mumbai.

P. W. REGE

Ex-Chairman, Saraswat Co-operative Bank Ltd., Mumbai.

E. CHANDRASEKHARAN NAIR

Co-operator, Thiruvananthapuram.

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

GANGADHAR GADGIL

Economist, Mumbai.

P. N. JOSHI

Chairman, United Western Bank Ltd., Satara, Maharashtra.


RASHID JILANI

Chairman & Managing Director, Punjab National Bank, New Delhi.

K. R. RAMAMOORTHY

Chairman & Managing Director, Corporation Bank, Mangalore.

ORGANISATION CHART



OFFICES OF THE CORPORATION

Fax No. 022-2874168

HEAD OFFICE

New India Centre,
4th, 5th, 6th, 7th & 8th Floors,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Mumbai 400 039.

Tel. Nos.

Telegram

'CREDITGARD'

Chief General Manager

202 7323 (D)
202 0299

(i) General Manager

204 4876 (D)
202 0299

(ii) General Manager

202 2408 (D)
202 0299

(i) Dy. General Manager

287 4281 (D)
202 0299

(ii) Dy. General Manager

287 4291 (D)
202 0299

(iii) Dy. General Manager

287 4362 (D)
202 0299

BRANCHES

(1) NAGPUR

Reserve Bank of India Building,
Near High Court,
Nagpur 440 001.

521406 (D)
532321
532357

'CREDITGARD'

(2) CALCUTTA

8, Council House Street, 1st Floor,
Post Box No. 17,
Calcutta 700 001.

2481154 (D)
2486019

'DISINGUAR'

(3) MADRAS

Kuralagam Building,
3rd Floor, Esplanade,
Post Box No. 5021,
Madras 600 108.

5341524 (D)
5340239

'CREDITGARD'

(4) NEW DELHI

Reserve Bank of India Building,
6, Sansad Marg,
Post Box No. 123,
New Delhi 110 001.

3716487 (D)
3710538 to 42

'DEPOSITINS'

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

CHIEF GENERAL MANAGER

R.N. Verma (till 31 December 1995)
R.S. Awasthi (from 1 January 1996 to 15 January 1996)
K.L. Khetarpaul (from 16 January 1996 to 5 July 1996)
D.S.R. Simhudu (from 8 July 1996)

GENERAL MANAGERS

D.N. Prasad
R.K. Aggarwal

DEPUTY GENERAL MANAGERS

J.P. Sharma
K. Prasad
G.K. Joshi

SECRETARY

Smt. S.S. Shenoy

DEPUTY GENERAL MANAGERS-IN-CHARGE : BRANCHES

NAGPUR

V.C. Kotian

CALCUTTA

S.S. Shetye

MADRAS

T.M. Narayanan

NEW DELHI

M.S. Jogalekar

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s Mayra & Khatri
Chartered Accountants
Mumbai 400 009

CORPORATE PROFILE

OBJECTS & PURPOSE

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited, a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank and to provide guarantee support to credit extended by participating institutions viz. commercial banks (including regional rural banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered certain categories of small borrowers and small scale industries. Effective from 1 April 1989 guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition) advances. Since 1990-91,

certain categories of priority sector advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. have been excluded from guarantee cover.

The Corporation maintains two separate funds viz. Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund. They are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more Fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this Fund. The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986.

The authorised capital of the Corporation is Rs 50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India, is the Chairman. The Board is assisted by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Reserve Bank's Nominee Director on the Board of the Corporation. The Chief General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Mumbai. It has four branches at Nagpur, Calcutta, Madras and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS — PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of Rupees)

At year-end	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. Capital	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50	50	50
2. Deposit Insurance												
i) Deposit Insurance Fund	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@	@	@
ii) Insured Banks	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,922	1,931	1,990	2,025	2,122
iii) Assessable Deposits	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,56,892	2,44,375	2,49,034	3,64,058	3,92,072
iv) Insured Deposits	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,09,316	1,64,527	1,68,405	2,66,747	2,95,575
v) Accounts (in lakhs)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,089	3,543	3,529	4,994	4,868
vi) Fully Protected Accounts (in lakhs)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	2,983	3,395	3,497	4,956	4,819
vii) Claims paid	—	1	2	3	3	44	69	131	178	179	181	190
3. Credit Guarantee												
i) Credit Guarantee Fund	—	—	27	89	118	@	@	@	@	@	@	@
ii) Guaranteed Advances												
(a) Small Borrowers	—	208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	27,692	24,444	26,348	25,484	18,910
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	3,822	4,891	7,738	10,465	16,826	19,162	15,503	14,177	13,847
iii) Claims Received (for the year)												
(a) Small Borrowers	—	—	9	25	62	255	364	505	883	1,168	1,348	1,841
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	30	71	149	241	247	260	323	379	524
iv) Claims Disposed of (for the year)												
(a) Small Borrowers	—	—	3	15	32	225	281	427	566	1,026	1,100	1,031
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	27	47	122	177	260	243	288	409	308

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities since 1987, the Credit Guarantee Fund disclosed deficit every year thereafter except for the year 1989-90. The deficit/surplus in the Fund was adjusted against surplus in the Deposit Insurance Fund in the respective years. During 1995-96, the deficit in the Credit Guarantee Fund was Rs 332.16 crores. As on 31 March 1996, a net sum of Rs 1,538.90 crores was due to Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1996

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 34th Annual Report of the Corporation for the year ended 31st March 1996.

Economic Scenario

2. The economic measures undertaken in the recent years have led to a revival of economic growth. The real output growth is expected to be around 6.0 per cent, on top of an increase of 6.3 per cent in the year 1994-95. The domestic saving rate was estimated to be 24.4 per cent. Industrial output expanded by about 12 per cent between April and January 1995-96. In the agricultural sector foodgrain production is estimated to have touched the peak of 192.6 million tonnes. The current account deficit in the balance of payments has been estimated at about 1.7 per cent of nominal GDP. While the inflation rate on a point to point basis was low at 4.3 per cent, the gross fiscal deficit of the Centre was placed at 5.9 per cent of GDP as per the revised estimates, with net RBI credit to the Central Government touching the high of Rs.19,855 crores.

The moderation in money supply growth has helped to moderate price increase. Broad money (M_3) increased by Rs.69,071 crores (13.0%) as against Rs.97,019 crores (22.3%) during the year 1994-95. The deceleration in money supply could be attributed in part of the decline in net foreign exchange assets over the year. Aggregate deposits of scheduled commercial banks increased moderately compared with the expansion recorded in 1994-95. Non-food credit, however, was substantial, the increase being of the order of Rs.43,023 crores, over and above the increase of Rs.45,776 crores in 1994-95.

The interest rate deregulation was extended to the term deposit segment of 2 years and above by the credit policy announcement of September 1995. Given the large government borrowing requirements and the high demand for bank credit responding to buoyancy in economic activity, market rates of interest in general tended to be firm. The rate of interest on the government paper was higher in 1995-96 than in the previous year. The prime lending rates of commercial banks also moved up.

Priority sector lending

3. The performance of public sector banks as a whole in lending to priority sector at Rs.69,609 crores formed 37.75% of net bank credit as at the end of March 1996 as against Rs. 61,794 crores forming 36.56% as at the end of March 1995. As compared to the position at the end of March 1995 there was a net increase of priority sector lending of Rs.7,915 crores at the end of March 1996. The public sector banks' advances to agriculture increased from Rs.23,513 crores in March 1995 to Rs.26,351 crores in March 1996. However, against the target of 18%, the banks lending for this purpose stood at 13.9% and 14.3% at the end of March 1995 and March 1996 respectively. Indian commercial banks in private sector lent Rs.4,202 crores to borrowers in priority sector which formed 32.97% of their net bank credit as at the end of September 1995. As at the end of March 1996 the outstanding small scale industries advances of public sector banks aggregated Rs.29,482 crores and constituted 16.0% of their net bank credit as against Rs.25,843 crores and 15.3% as at the end of March 1995. Reserve Bank stipulated that at least 40% of their advances under SSI segment within the priority sector should be granted to cottage industries, khadi and village industries, artisans, tiny industries, or other SSI units having credit limits upto Rs.5 lakhs.

Recovery performance

4. The total recovery of direct agricultural advances of public sector banks is showing an improving trend as seen from percentage of recovery to demand which stood at 57.6% in June 1994 to 59.5% in June 1995. However, the recovery performance in respect of Integrated Rural Development Programme (IRDP) loans of all public sector banks is showing a slightly declining trend as seen from percentage of recovery to demand which stood at 31.76% in June 1992 to 30.09% in June 1994.

IMPORTANT DEVELOPMENT

Installation of new Computer System

5.1 The Corporation has purchased RISC based State-of-the-art Computer System with 64 MB memory. The new Computer System was installed in December 1995 and was on parallel run for two months for NI-15 tape claims. At present, entire NI-

15 (Tape Claims) processing is being done on the new system. Other modules have been converted and are being tested on the new system. Apart from this, Management Information System has been taken up for computerisation. Also computation of salary for the staff and host of other items of housekeeping are being computerised.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME

Recovery of amount from the Liquidator of Bank of Karad (BOK) Ltd.

5.2 With a view to mitigating the hardship of depositors of the Bank of Karad Ltd. (BOK) (in liquidation) the Corporation had made an 'On Account' payment of Rs.37.00 crores for meeting the claims of its depositors. As per the agreed settlement of the Bombay High Court, the Liquidator, after the receipt of the sum from Bank of India and also from the recoveries effected, was to pay to the Corporation the sum so released by it. The Liquidator has so far refunded an amount of Rs.34.59 crores. The Corporation is following up the recovery of the balance amount of Rs.2.41 cores with the Liquidator.

Operations of the Corporation — An Overview

5.3 The report of the Committee appointed to review the Credit Guarantee Schemes of the Corporation, under the Chairmanship of Shri B. Rai, Ex-Chairman and Managing Director of Allahabad Bank was accepted by the Board and accordingly effective from 1st April 1995 undemoted changes were made in the operation of all the three Credit Guarantee Schemes.

- i) The participating credit institutions should lodge the claims only after the outstanding amount in the account is written off in the books of account of the institution under orders of the competent authority;
- ii) The Corporation's guarantee shall cover only the principal amount sanctioned by the credit institution and in the case of cash credit/overdraft and other revolving credit facilities, amount outstanding upto the regular limit sanctioned under each type of credit facility.
- iii) No claim shall be admitted from credit institutions in respect of accounts where recovery received from borrowers (excluding adjustment of subsidy) in a particular account is less than 25% of the

total debits in the account on the date of write off, except under exceptional circumstances as under :

- a) When borrower has expired;
 - b) When any natural calamity has affected the area;
 - c) any other ground which may merit exception depending upon the circumstances brought to the notice of the Corporation in general, for a particular area or category of borrowers;
- iv) The claims should be lodged with the Corporation within a year from the date of write-off of the amount in the books of accounts.
 - v) The condition of observance of 3 years lock-in-period for lodgement of claims has been deleted in respect of all claims which fell due for lodgement on or after 1st April 1995.

The Committee also recommended termination of Credit Guarantee Schemes of the Corporation as it felt that the schemes were not viable and seemed to have outlived their utility. However, the schemes have been extended in consultation with the Central Government for one more year i.e. 1996-97.

5.4 The ceiling amount of insurance cover for deposits with an insured bank of Rs.1,00,000/- per depositor per bank in the same right and capacity and insurance premium @ 5 paise per Rs.100/- per annum remained unchanged during the year. The total number of insured banks during the period ended 31st March 1996 rose to 2122 from 2025 as at the end of 31st March 1995. Further, the percentage of fully protected deposit accounts numbering 4818.63 lakhs constituted 98.98% of total deposit accounts. The insured deposits at Rs.2,95,574.97 crores represented 75.38% of the total assessable deposits of Rs.3,92,071.69 crores. The insurance premium received during the year amounted to Rs.226.43 crores as against Rs.193.28 crores last year. During the year, the Corporation settled the claims received from one co-operative bank for an aggregate amount of Rs.8.75 crores and made provision of Rs.6.68 crores towards contingent liability of claims in respect of 8 co-operative banks. The aggregate amount of claims paid so far in respect of 25 commercial banks and 29 co-operative banks stood at Rs.189.65 crores and repayment received totalled Rs.56.54 crores upto the end of the year.

5.5 The guaranteed advances for the year under the Corporation's three Credit Guarantee Schemes in operation aggregated Rs.32,757.06 crores as at the end of March 1995 showing a fall of 17.41 per cent over the previous year. While the guaranteed advances to small borrowers under the schemes for non-Industrial Sector decreased by 25.78 per cent, the guaranteed advances to Small Scale Industrial Sector decreased by 2.33 per cent as compared to the previous year. The claims received by the Corporation under three Schemes increased by 29.6

per cent number-wise and 37.0 per cent amount-wise. The claims settled by the Corporation decreased by 10.7 per cent number-wise and 11.3 per cent amount-wise during the year. The claims disposal rate per month was at 3,05,421 this year as against 3,42,055 per month during the previous year. The decline in disposals of claims was solely due to computer system remaining non-operational for about six months. The details regarding number and amount of claims received and settled during the year under report and the previous year are furnished below :

(Amounts in crores of Rupees)

	During 1994-95		During 1995-96		Percentage Increase (+) Decrease (-)	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
I. Claims received :						
Corporation's Scheme for						
i) Small Borrowers	47,93,205	1,348.11	62,64,590	1,841.06	(+) 30.7	(+) 36.6
ii) SSIs	1,89,593	378.71	1,91,034	524.17	(+) 0.8	(+) 38.4
Total	49,82,798	1,726.82	64,55,624	2,365.23	(+) 29.6	(+) 37.0
II. Claims settled						
Corporation's Scheme for						
i) Small Borrowers	39,11,870	1,100.26	35,09,601	1,031.42	(-) 10.3	(-) 6.3
ii) SSIs	1,92,791	409.31	1,55,448	308.01	(-) 19.4	(-) 24.7
Total	41,04,661	1,509.57	36,65,049	1,339.43	(-) 10.7	(-) 11.3

5.6 The amount of guarantee fee received and the amount of guarantee claims received as also claims

paid during the period 1989-90 to 1995-96 together with the corresponding gaps are as under :

(Rs. in crores)

Year	Guarantee fee receipts	Guarantee claims receipts	Claims paid	Gap (2) - (3)	Gap (2) - (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1989-90	593.83	548.33	508.54	+ 45.50	+ 85.29
1990-91	524.72	748.76	547.16	- 224.04	- 22.44
1991-92	565.88	627.23	462.29	- 61.35	+ 103.59
1992-93	702.78*	1143.27	633.55	- 440.49	+ 69.23
1993-94	846.09	1490.76	889.99	- 644.67	- 43.90
1994-95	829.13	1726.82	1179.01	- 897.69	- 349.88
1995-96	704.64	2365.23	1042.27	- 1660.59	- 337.63

* Includes the ploughed back provisions in respect of earlier years.

5.7 During the year 1989-90, there was considerable increase in receipts of guarantee fee on account of enhancement in the rate of guarantee fee with effect from 1st April 1989. The amount of claims received during that year had declined as compared to the previous year. Since the guarantee fee receipt fell short of claims receipts thereafter consecutively for 3 years, the financial viability of all the three Credit Guarantee Schemes was examined keeping in view the gaps between guarantee fee received and claims received and also guarantee fee and claims paid. It was, however, observed that guarantee fee received for the years 1991-92 and 1992-93 was more than the claims paid. This was mainly due to low disposal rate which resulted in increase in pending claims. With a view to making the Schemes financially viable, guarantee fee for the Small Loans Guarantee Scheme 1971 was raised to 2.5 per cent per annum with effect from 1st April 1993. In spite of this hike, the gap between the guarantee fee receipt and claims receipt has been rising. The sudden spurt in receipt of claims during the year 1995-96 is due to opting out of large number of banks. The scheme-wise position for the year 1995-96 is given below :

(Amount in crores of Rupees)			
Scheme	Guarantee claims receipt	Guarantee fee receipt	Gap
i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	1,841.06	496.90	(-) 1,344.16
ii) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	0.03	(+) 0.03
iii) Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	524.17	207.71	(-) 316.46
Total	2,365.23	704.64	(-) 1,660.59

The scheme-wise details of guarantee fee received since 1981 are given in Annexure XIII.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

6.1 During the year, 12 commercial banks and 87 co-operative banks were registered as insured banks but two co-operative banks were de-registered. Details of such banks are furnished in the Annexure-IIA. Thus, the total number of banks insured with the Corporation under the Deposit Insurance Scheme rose from 2025 as on 31st March 1995 to 2122 as on

31st March 1996. (A year-wise statement showing the number of banks registered by the Corporation since its inception in 1962 is furnished in Annexure-I).

6.2 The Deposit Insurance Scheme at present covers all commercial banks including regional rural banks and co-operative banks in 21 States and 2 Union Territories (Annexure-II). The matter regarding extension of the scheme to co-operative banks in the remaining states is pending with the state governments for carrying out the necessary amendments to their respective Co-operative Societies Act. Co-operative banks can be covered under the Scheme only if model bye-laws are made applicable to them by the respective state governments.

6.3 The number of accounts and amount of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection afforded to depositors at the end of June 1994 and June 1995 was as under:

(Rupees in crores)			
	June 1994	June 1995	
1. Total No. of accounts (in lakhs)	4994	4868	
2. Fully protected accounts (in lakhs)	4956	4819	
3. Percentage of 2 to 1	99.2	98.9	
4. Assessable deposits	Rs.3,64,058	Rs.3,92,072	
5. Insured deposits	Rs.2,66,747	Rs.2,95,575	
6. Percentage of 5 to 4	73.3	75.4	

(The above details are furnished in Annexure-III and IV). The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 63.05 per cent and 36.95 per cent respectively of the total assessable deposits as at the end of June 1995.

6.4 The category-wise break-up of the premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during the year 1994-95 and 1995-96 is furnished below :

(Rupees in crores)		
Category of banks	Premium received	
	1994-95	1995-96
i) Commercial Banks	170.95	197.99
ii) Regional Rural Banks	4.74	6.02
iii) Co-operative Banks	17.59	22.42
Total	193.28	226.43

6.5 During the year 1995-96, the Corporation settled the claim of one bank i.e. Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai for Rs.8.75 crores. Further, a provision of Rs.6.68 crores has been made in the amounts towards the claims liabilities in respect of depositors of the under mentioned banks:

- a) Supplementary claim of Rs.0.01 crore of Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, Gujarat.
- b) Rs.5.52 crores towards the expected claim of Navdeep Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat.
- c) Rs.0.34 crore towards balance amount of Metropolitan Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra.
- d) Rs.0.01 crore towards expected claim of Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., Hindupur under liquidation with effect from 31st May 1989.
- e) Rs.0.25 crore of Bijapur Industrial Co-operative Bank Ltd., Bagalkot, Karnataka under liquidation with effect from 31st August 1994.
- f) Rs.0.15 crore of Dharwar Industrial Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka under liquidation with effect from 30th August 1994.
- g) Rs.0.29 crore towards expected claim of Karnataka Kurubara Co-operative Bank Ltd., Kurubara under liquidation with effect from 17th June 1995,
- h) Rs.0.11 crore towards expected claim of Banikoppa Urban Co-operative Bank Ltd., Banikoppa under liquidation with effect from 19th June 1995.

6.6 As on 31st March 1996, the aggregate amount

(cumulative) of claims paid and provided for in respect of 25 commercial banks remained unchanged at Rs.172.92 crores. The repayments received from liquidators/banks upto March 1996 aggregated Rs.55.55 crores (including Rs.19.71 crores received during the year). A sum of Rs.0.10 crore was written off till 31st March 1996. The total amount of claims paid and provided for since inception till 31st March 1996 in respect of 29 co-operative banks (including Rs.8.75 crores paid and provided for during the year) was Rs.16.73 crores. The repayments received from liquidators/banks upto 31st March 1996 aggregated Rs.0.99 crore (including Rs.0.07 crore received during the year).

The particulars of 54 banks in respect of which the claims have been paid, written off, provided for and repayments received till 31st March 1996 are furnished in Annexure-V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL BORROWERS

7. The Corporation operates two Credit Guarantee Schemes viz., Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 for small borrowers which cover advances granted for agriculture and allied activities, transport operators, retail trade, small business etc. by commercial banks (including regional rural banks) and primary urban co-operative banks).

8. The overall performance of small borrowers Credit Guarantee Schemes is given below :

(Amount in crores of Rupees)

Category of borrowers	Guaranteed advances as on March 1995	Amount of claims received			Percentage of 5 to 2
		Upto March 1995	During 1995-96	Upto March 1996 (3 + 4)	
1	2	3	4	5	6
Farmers and Agriculturists	12,364.79	2497.05	935.63	3432.68	27.76
Other priority sector and advances	6,172.94	3079.78	881.31	3961.09	64.17
Residual category of borrower under DRI Scheme and credit facilities for consumption and for purchase or construction of house or tenements	368.67	140.31	24.12	164.43	44.60
Total:	18,906.40	5717.14	1841.06	7558.20	39.98

Small Loans Guarantee Scheme, 1971

9.1 The Scheme provides guarantee cover for advances granted for agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business etc. by commercial banks including regional rural banks.

9.2 During the year, 17 commercial banks and 134 regional rural banks were allowed by the Corporation to opt out of the Scheme (Annexure-VII). Consequently as on 31st March 1996, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased from 214 as on 31st March 1995 to 63 (comprising 22 commercial banks and 41 regional rural banks).

9.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs.18,906.40 crores as on 31st March 1995 showed decline of 25.78 percent over the previous year. This decrease is mainly due to opting out of 151 credit institutions from the Scheme. The Scheme continued to account for the bulk of the guaranteed advances to small borrowers forming 99.98 per cent of the total priority sector advances to Non-SSI segment at Rs.18,909.73 crores. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in the Annexure-VIII. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims received under the Scheme on percentage basis is given below :

Category of borrowers	Per cent of total	
	Guaranteed advances	Claims received
i) Farmers and Agriculturists	65.40	50.82
ii) Other priority sector advances	32.65	47.87
iii) DRI advances	1.95	1.31
	100.00	100.00

9.4 During the year under report the Corporation received 62,64,590 claims for Rs.1,841.06 crores as against 47,93,205 claims for Rs.1,348.11 crores received during the previous year registering an increase of 23.49 per cent and 36.57 per cent number-wise and amount-wise respectively over previous year. The amount of claims received at Rs.1,841.06 crores during the year formed 9.74 per cent of the total guaranteed advances at Rs.18,906.40 crores under the Scheme. The sector-wise break-up of claims received under all the schemes for small borrowers is given in Annexure-X.

The Corporation settled 35,09,601 claims for Rs.1031.42 crores as against 39,11,870 claims for

Rs.1,100.26 crores during the previous year. (The average monthly rate of disposal this year was 2,92,467 claims as against 3,25,989 claims during the corresponding period last year). Besides 9,91,990 claims for Rs.291.62 crores have been scrutinised and are waiting settlement for want of certain clarifications. The number of claims to be processed under the Scheme as on 31st March 1996 was 44,26,737 for Rs.1,300.95 crores (Annexure-IX).

9.5 Recoveries received during the year under report by virtue of subrogation rights aggregated Rs.392.82 crores compared to Rs.305.28 crores received during the previous year. The total amount of recoveries received since inception of the Scheme aggregated Rs.1,050.68 crores forming 20.20 per cent of claims paid at Rs.5,200.02 crores (cumulative).

Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

10.1 The scheme, introduced in 1984, covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks for non-agricultural purposes.

10.2 The number of participants in this Scheme decreased from 16 to 5 as on 31st March 1996 (Annexure-VI). The guaranteed advances as on 31st March 1995 aggregated Rs.3.33 crores as against Rs.9.59 crores as on 31st March 1994. The Corporation has not received any fresh claim during the year under the Scheme (Annexure-VIII).

B. CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL SCALE INDUSTRIES

(a) Government's Credit Guarantee Scheme (since cancelled)

11.1 The Government's Scheme has been terminated and the Corporation has finally stopped accepting claims/representations. All the pending claims under the Scheme were disposed of by March 1992. However, as an agent of the Government of India, the Corporation continues to pursue with the credit institutions for recoveries in claim paid accounts.

11.2 Out of the total amount of Rs.1.14 crores representing the recoveries received in claim paid accounts during the year 1995-96 under the Scheme, the Corporation has remitted a sum of Rs.1.03 crores to the Government after retaining an amount of Rs.0.11 crore towards administrative expenditure incurred by it.

(b) Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981

12.1 As on 31st March 1996 there were 110 credit institutions (269 as on 31st March 1995) participating in the above Scheme comprising 21 commercial banks, 32 regional rural banks and 57 co-operative banks (Annexure-VI). During the year, names of 159 credit institutions were deleted either on account of their decision to opt out of the Scheme or default in payment of guarantee fee (Annexure-VII).

12.2 The guaranteed advances to SSI sector coming under the priority sector as defined by RBI amounted to Rs.13,847.33 crores as on 31st March 1995 as against Rs.14,176.95 crores as on 31st March 1994 registering a fall by 2.33 per cent. The decrease in guaranteed advances is mainly on account of the fact that many banks have opted out from the Scheme.

12.3 The Corporation received 1,91,034 claims for Rs.524.17 crores during the year 1995-96 as against 1,89,593 claims for Rs.378.71 crores received during the previous year and disposed of 1,55,448 claims for Rs.308.01 crores as against 1,92,791 claims for Rs.409.31 crores during the year 1994-95. The details of claims received and disposed of year-wise, from 1 April 1981 onwards are given in Annexure-XI (Amount-wise break-up of claims settled during the year is given in Annexure-XII). As on 31st March 1996, as many as 76,798 claims for Rs.275.85 crores were pending. The large outstanding is mainly on account of very heavy receipt of claims from opted out credit institutions in the last two months of the financial year.

12.4 The recoveries received under the Scheme during the year under report, by virtue of the Corporation's right of subrogation, amounted to Rs.30.82 crores. The recoveries since 1981 aggregated Rs.142.98 crores as on 31st March 1996 and formed 15.27 per cent of the total amount of claims paid at Rs.936.06 crores.

12.5 The aggregate amount of claims received till 31st March 1996 under the Scheme at Rs.2,762.76 crores formed 19.95 per cent of the total guaranteed advances to SSI units under priority sector at Rs.13,847.33 crores.

12.6 The settlement of high value claims of Rs.8 lakhs and above received under the Scheme continue to be attended to by the Claims Committee. However, during the year 1995-96 no high value claim was eligible for consideration of the Committee.

ACCOUNTS

Balance Sheets and Revenue Accounts

13.1 Revenue Accounts for the year ended 31 March 1996 and Balance Sheets as at 31 March 1996, showing separately the position of Corporation's three Funds viz. General Fund, Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund together with the Auditor's Report thereon are attached.

13.2 The Corporation has adopted since 1987 the system of valuation of liabilities of Deposit and Credit Guarantee Funds on an actuarial basis. Accordingly, the net deficit in the three Funds stood at Rs.8.70 crores after providing for pending claims etc. as against the net deficit of Rs.125.64 crores during the year 1994-95. The Deposit Insurance Fund revealed a surplus of Rs.332.97 crores as against Rs.225.47 crores during the year ended 31 March 1995 after making all the necessary provisions to the satisfaction of Auditors. However, the Credit Guarantee Fund showed a deficit of Rs.332.16 crores as against Rs.348.69 crores during the earlier year ended 31 March 1995, after providing for pending claims, etc. and also taking into account the actuarial estimates of incremental liability for the year ended 31 March 1996. The deficit of Rs.332.16 crores has been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund. The General Fund showed a deficit of Rs.9.51 crores as against a deficit of Rs.2.42 crores during the earlier year. The deficit of Rs.9.51 crores has been adjusted against General Reserve after taking into account the financial assistance of Rs.14.00 crores received from RBI towards staff expenses.

13.3 As mentioned in the last year's Report, a net sum of Rs.1206.74 crores was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the close of business on 31 March 1995 on account of surplus/deficits from the year 1987 onwards. The current year's deficit of Rs.332.16 crores in the Credit Guarantee Fund has also been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund. Consequently, the amount due to Deposit Insurance Fund has increased to Rs.1538.90 crores as at the end of the year.

Budgetary Control

14. The Corporation has evolved various Returns under Management Information System (MIS) and exercises budgetary control over revenue and expenditure under its three Funds, viz., Deposit

Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund.

Investments

15.1 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts which were not required for the time being were invested in Central Government Securities, including Treasury Bills. The details of investments are furnished in Annexure-XIV. The depreciation in the investments of the three Funds has been fully provided for, to the satisfaction of the Auditors.

Investment Committee

15.2 As mentioned in the last Annual Report the various recommendations of the Rai Committee (formed to suggest ways to improve the yield on investments) were examined and necessary action/steps initiated.

- i) Regarding amendment of Section 25 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the matter is still pending with the Government of India. However, it is being followed up vigorously for early action.
- ii) The matter regarding permitting the Corporation to treat the Investments as stock-in-trade is being further re-examined in consultation with the Tax Consultants of the Corporation to weigh the pros and cons of the same keeping in view the changing scenario of the debt markets.
- iii) The matter regarding granting of special status to the Corporation under the relevant provisions of the Income-Tax Act (Section 44/115B) for the purpose of assessing its tax liability on the lines of Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation has been taken up with the Government of India and their decision is awaited.

GENERAL

Auditors

16.1 In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s. Mayra and Khatri, Chartered Accountants, Mumbai, as

Auditors of the Corporation for the year ended 31 March 1996.

Promotion of Hindi

16.2 The Corporation has been continuously taking all necessary steps for progressive use and promotion of Hindi in its day-to-day working. The Head Office of the Corporation has been notified under Rule 10(4) of the Official Language Rules, 1976. The quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee of the Corporation have been held regularly. The progress in regard to use of Hindi is reviewed periodically and apt measures for promoting its use are also discussed in the meetings. All letters received in Hindi are replied to in Hindi only. All circulars, office orders etc. are issued bilingually. The Annual Report of the Corporation is also published bilingually. The agenda papers and minutes of the meetings of the Board of the Corporation are also prepared bilingually. Further, Hindi newspapers, magazines and books are purchased and made available to the staff members. "Aaj Ka Shabd" is being displayed in the Corporation. With a view to promoting use of Hindi, various cultural programmes and competitions were organised on the eve of "The Hindi Day/The Hindi Fortnight".

Training and Deputation

16.3 At the request of the Small Industries Development Bank of India, Mumbai, a familiarisation programme on the institutional arrangements available for promotion and financing of small and medium scale industries and administration and formulation of credit guarantee/insurance scheme was arranged by the Corporation which was also attended by 5 Officials of Central Bank of Sri Lanka.

A pilot training programme on various aspects of the working of the Corporation for the benefit of all officers was held for one hour daily from 16th May 1995 to 26th May 1995. Besides, a meeting of Deputy General Managers/Assistant General Managers of the Corporation's branches at Delhi, Calcutta, Nagpur and Madras was also arranged at the Corporation's Head Office at Mumbai wherein they were briefed on the functions and working of various departments of the Head Office of the Corporation. The Corporation also deputed its officers to various training institutions of commercial banks and the RBI to deliver talks on the Schemes of the Corporation and settlement of claims thereunder. The staff of the Corporation at all levels were also deputed to the training programmes offered by the RBI at its various training centres and during

the year under report, 30 officers and 33 clerical staff were deputed for these training programmes. As advised by the RBI, the staff of the Corporation are also being considered for base level training in computer with external training institutions.

Inspection and Financial Audit by Reserve Bank of India

16.4 The Inspection Department of Reserve Bank of India carried out a quick review of the compliance furnished by the Corporation on System and Staffing Report, 1994 on Head Office from 21st June 1995 to 29th June 1995. Inspection Department has also carried out the Systems and Staffing Inspection of the Nagpur, Calcutta and New Delhi branches of the Corporation during the year. The Regional Audit Cell of Reserve Bank of India also conducted the audit of the Corporation's Head Office for the half-years ended March 1995 and September 1995. It also carried out the audit of the 4 branches of the Corporation during 1995. The irregularities pointed out/suggestions made in their reports have mostly been rectified/implemented by the Corporation.

Management

17. Shri R.V. Gupta, Deputy Governor, Reserve Bank of India was nominated as Chairman of the

Corporation (under Section 6(1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961) vice Shri S.P. Talwar, Deputy Governor with effect from 24th May 1995. Shri J.R. Prabhu, Executive Director, Reserve Bank of India was nominated as a Director in terms of Section 6(1)(b) of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Act, 1961 vice Shri S.N. Razdan, Executive Director with effect from 1st December 1995. Shri K.L. Khetarpaul has taken over as Chief General Manager with effect from 16th January 1996 on the transfer of Shri R.S. Awasthi.

18. During the year ended 31st March 1996, four meetings of the Board of Directors of Corporation were held.

19. The Board highly appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE
AND CREDIT
GUARANTEE
CORPORATION
MUMBAI 400 039

For and on behalf of
the
Board of Directors

(R.V. GUPTA)
Chairman

Dated: 20 June 1996

ANNEXURE - I

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

Year/Period	No. of registered banks at the commencement of the year/period	No. of Banks registered during the year/period	No. of banks deregistered where Corporation's liability			Total No. of registered banks at the end of the year/period (2 + 3 - 6)
			was attracted	was not attracted	Total (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	—	2	9	11	276
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1971 to 1975	83	544	—	16	16	611
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 to 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 to 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-91	1921	8	5	2	7	1922
1991-92	1922	14	2	3	5	1931
1992-93	1931	3	2	1	3	1931
1993-94	1931	63	1	3	4	1990
1994-95	1990	36	—	1	1	2025
1995-96	2025	99	1	1	2	2122

Category-wise break-up of insured banks at the end of 1993-94, 1994-95 and 1995-96

Year	No. of insured banks			
	Commercial Banks	RRBs	Co-operative Banks	Total
1993-94	80	196	1714	1990
1994-95	90	196	1739	2025
1995-96	102	196	1824	2122

ANNEXURE - II

**SUMMARY OF INSURED BANKS
(As on 31 March 1996)**

i) Commercial Banks	102
ii) Regional Rural Banks	196
iii) Co-operative Banks	1824
Total	<u>2122</u>

State-wise Break-up of Co-operative Banks

<i>State / Union Territory</i>	<i>Apex</i>	<i>Central</i>	<i>Primary</i>	<i>Total</i>
State				
1. Andhra Pradesh	1	22	64	87
2. Assam	1	1	8	10
3. Bihar	1	34	4	39
4. Delhi	1	—	15	16
5. Goa	1	—	6	7
6. Gujarat	1	21	296	318
7. Haryana	1	13	8	22
8. Himachal Pradesh	1	2	4	7
9. Jammu & Kashmir	1	3	3	7
10. Karnataka	1	22	220	243
11. Kerala	1	14	57	72
12. Madhya Pradesh	1	45	51	97
13. Maharashtra	1	31	418	450
14. Manipur	1	—	5	6
15. Orissa	1	17	14	32
16. Rajasthan	1	27	28	56
17. Tamil Nadu	1	21	133	155
18. Tripura	1	—	1	2
19. Uttar Pradesh	1	57	49	107
20. West Bengal	1	17	48	66
21. Punjab	1	17	5	23
Union Territory				
1. Pondicherry	1	—	1	2
2. Daman & Diu	—	—	—	—
TOTAL	22	364	1438	1824

ANNEXURE – II 'A'

BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED DURING THE YEAR 1995-96

A. REGISTERED

I. Commercial Banks

1. Bank of Punjab Ltd.
2. Times Bank Ltd.
3. Dresdner Bank AG
4. Development Credit Bank Ltd.
5. Commerzbank AG
6. Bank of Ceylon
7. The Siam Commercial Bank Ltd.
8. Cho Hung Bank
9. IDBI Bank Ltd.
10. Fuji Bank Ltd.
11. The Arab Bangladesh Bank Ltd.
12. Bank International Indonesia

II. Co-operative Banks

State

Name of the Bank

Maharashtra (28)

1. Nandurbar Merchants Co-operative Bank Ltd.
2. Shri Siddhi Vinayak Nagari Sahakari Bank Ltd.
3. Chaitanya Urban Co-operative Bank Ltd.
4. Godavari Urban Co-operative Bank Ltd.
5. Vasundhara Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
6. Latur Urban Co-operative Bank Ltd.
7. Priyadarshini Mahila Sahakari Bank Ltd.
8. Shri Vyankatesh Co-operative Bank Ltd.
9. Priyadarshini Nagari Sahakari Bank Ltd.
10. Shri Chhatrapati Rajarshi Shahu Urban Bank Ltd.
11. Shripatrao Dada Sahakari Bank Ltd.
12. Shiv Parvati Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd.
13. Yadav Co-operative Bank Ltd.
14. Parner Taluka Sainik Sahakari Bank Ltd.
15. Sahyadri Sahakari Bank Ltd.
16. Laxmi Vishnu Sahakari Bank Ltd.
17. Bhavani Urban Co-operative Bank Ltd.
18. Manmandir Co-operative Bank Ltd.
19. Nasik Dist. Industrial & Mercantile Co-operative Bank Ltd.

20. The Ichalkaranji Merchants Co-operative Bank Ltd.
21. Shree Gajanan Maharaj Urban Co-operative Bank Ltd.
22. Dr. Shivaji Rao Patil Nilangekar Urban Co-operative Bank Ltd.
23. Shree Gajanan Nagari Sahakari Bank Ltd.
24. Venkateshwara Sahakari Bank Ltd.
25. Shri Shiveshwar Nagari Sahakari Bank Ltd.
26. Jai Shivarai Nagari Sahakari Bank Ltd.
27. Jivhaje Co-operative Bank Ltd.
28. Ajit Nagari Co-operative Bank Ltd.

Karnataka (12)

1. Sahyadri Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Sindhanur Urban Co-operative Bank Ltd.
3. Ramnagaram Urban Co-operative Bank Ltd.
4. Raichur Zila Mahila Pattana Bank Ltd.
5. Manvi Pattana Sahakari Bank Niyamitha
6. Mysore Dist. Mahila Bank Niyamitha
7. Kittur Rani Channamna Mahila Pattana
8. Sri Lakshmi Mahila Sahakari Bank Niyamitha
9. Sri Sarnabasaveshwar Pattana Sahakari Bank Niyamitha
10. Abhivridhi Mahila Sahakari Bank Niyamitha
11. Bidar Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.
12. Dakshina Kannada Mahila Co-operative Bank Niyamitha

Bihar (1)

1. Madhepura Urban Devi Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh (5)

1. Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Sahakari Bank Maryadit
2. Jaraneshwar Nagrik Sahakari Bank Maryadit
3. Dr. Ambedkar Nagrik Sahakari Bank Maryadit
4. Ujjain Nagrik Sahakari Bank Maryadit
5. Pragati Mahila Nagrik Sahakari Bank Maryadit

Delhi (1)

1. Jamia Co-operative Bank Ltd.

Andhra Pradesh (3)

1. The Warangal Urban Co-operative Bank Ltd.
2. The Yadagiri Lakshmi Narasimha Co-operative Bank Ltd.
3. Sri Kalyani Co-operative Urban Bank Ltd.

Gujarat (6)

1. The Gandhidham Mercantile Co-operative Bank Ltd.
2. Bhuj Mercantile Co-operaitve Bank Ltd.
3. Prime Co-operative Bank Ltd.
4. The Varachha Co-operative Bank Ltd.
5. Jamnagar Mahila Sahakari Bank Ltd.
6. The Mandvi Mercantile Co-operative Bank Ltd.

Kerala (1)

1. Kerala Mercantile Co-operative Bank Ltd.

Punjab (23)

1. The Punjab State Co-operative Bank Ltd.
2. Amritsar Central Co-operative Bank Ltd.
3. Faridkot Central Co-operative Bank Ltd.
4. Hoshiarpur Central Co-operative Bank Ltd.
5. Kapurthala Central Co-operative Bank Ltd.
6. Moga Central Co-operative Bank Ltd.
7. Patiala Central Co-operative Bank Ltd.
8. Sangrur Central Co-operative Bank Ltd.
9. Bhatinda Central Co-operative Bank Ltd.
10. Fazilka Central Co-operative Bank Ltd.
11. Gurdaspur Central Co-operative Bank Ltd.
12. Jullunder Central Co-operative Bank Ltd.
13. Ludhiana Central Co-operative Bank Ltd.
14. Ferozpur Central Co-operative Bank Ltd.
15. Nawanshahr Central Co-operative Bank Ltd.
16. Ropar Central Co-operative Bank Ltd.
17. Fatehgarh Sahib Central Co-operative Bank Ltd.
18. The Mansa Central Co-operative Bank Ltd.
19. Pathankot Hindu Co-operative Urban Bank Ltd.
20. Nakodar Hindu Co-operative Bank Ltd.
21. Citizen Urban Co-operative Bank Ltd.
22. Kurali Urban Co-operative Bank Ltd.
23. Amritsar Municipal Employees Central Department Co-operative Thrift & Credit Society Ltd.

Rajasthan (4)

1. Rajputana Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.
2. The Udaipur Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.
3. The Udaipur Mahila Samriddhi Urban Co-operative Bank Ltd.
4. Rajlaxmi Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.

Uttar Pradesh (3)

1. City Co-operative Bank Ltd.
2. Hardoi Urban Co-operative Bank Ltd.
3. Federal Co-operative Bank Ltd.

B. BANKS DEREGISTERED

Maharashtra (2)

1. Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai on account of its liquidation.
2. Development Co-operative Bank Ltd., Mumbai on account of its conversion into a commercial bank by the name of Development Credit Bank Ltd.

ANNEXURE - III

**STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE
DEPOSITORS OF INSURED BANKS**

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As on the last Friday of December 1961 and the last working day of June 1981 to June 1995)

<i>Year</i>	<i>No. of fully protected accounts[⊙] (in lakhs)</i>	<i>Total No. of accounts (in lakhs)</i>	<i>Percentage of (2) to (3)</i>	<i>Insured deposits[⊙] (Rs. in crores)</i>	<i>Total assessable deposits (Rs. in crores)</i>	<i>Percentage of (5) to (6)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.97	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.15	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6
1994-95	4,956.05	4,993.99	99.2	2,66,746.65	3,64,057.60	73.3
1995-96	4,818.63	4,868.07	99.0	2,95,574.97	3,92,071.69	75.4

⊙ i.e. Number of accounts with balance not exceeding Rs.1,500/- till the end of 1967, Rs.30,000/- from 1981 onwards till 1992-93 and Rs.1 lakh from 1993-94 onwards.

ANNEXURE – IV

**STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE
DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS
1993-94, 1994-95 AND 1995-96**

<i>Year</i>	<i>Category of banks</i>	<i>Total No. of insured banks</i>	<i>No. of reporting banks</i>	<i>Insured deposits (Rs. in crores)</i>	<i>Total assessable deposits (Rs. in crores)</i>	<i>Percentage of (5) to (6)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1993-94	Commercial Banks	80	65	1,41,794.51	2,16,024.27	65.64
	Regional Rural Banks	196	130	4,003.92	4,398.41	91.03
	Co-operative Banks	1,714	1,122	22,606.39	28,611.15	79.01
	Total	1,990	1,317	1,68,404.82	2,49,033.83	67.62
1994-95	Commercial Banks	90	67	2,15,264.62	3,03,895.17	70.84
	Regional Rural Banks	196	152	5,784.95	6,386.63	90.58
	Co-operative Banks	1,739	1,053	45,697.08	53,775.81	84.98
	Total	2,025	1,272	2,66,746.65	3,64,057.61	73.27
1995-96	I Commercial Banks					
	(i) SBI Group	8	7	79,647.32	94,046.17	84.69
	(ii) Public Sector	19	17	1,47,740.78	1,92,612.38	76.70
	(iii) Foreign Banks	35	25	6,301.90	24,293.30	25.94
	(iv) Private Sector					
	(a) Scheduled	38	32	17,056.62	26,036.61	65.51
	(b) Non-Scheduled	2	2	62.45	67.52	92.94
	Total	102	83	2,50,809.07	3,37,055.98	74.41
	II Regional Rural Banks	196	160	7,643.56	8,077.91	94.62
	III Co-operative Banks	1,824	1,380	37,122.34	46,937.80	79.09
Total	2,122	1,623	2,95,574.97	3,92,071.69	75.38	

ANNEXURE - V

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND
REPAYMENTS RECEIVED AS ON 31 MARCH 1996

(Rs. in lakhs)

Sr. No.	Name of the bank (the figures in bracket indicate the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid and provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3) - (4)
1	2	3	4	5
I. COMMERCIAL BANKS				
i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full				
\$	1) Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
*	2) Shree Jadeya Shankar Ling Bank Ltd., Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
*	3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)	46.32	46.32	—
*	4) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.04	7.04	—
*	5) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	2.08	2.08	—
	Total 'A'	64.81	64.81	—
ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation had been paid in part and balance due has been written off				
*	6) Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37 (1.16)	—
*	7) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)	1.08	0.31 (0.77)	—
*	8) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)	0.18	0.14 (0.04)	—
*	9) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.42 (4.38)	—
*	10) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.73 (3.61)	—
*	11) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)	0.28	0.18 (0.10)	—
	Total 'B'	20.21	10.15 (10.06)	—
(Figures in bracket indicate the amount written off)				

(Contd.)

ANNEXURE – V (Contd.)

1	2	3	4	5
	iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
*	12) National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
*	13) Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
	(Figures in brackets relate to payments prohibited under the Scheme of amalgamation)			
*	14) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69
*	15) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)	1,162.78	497.32	665.46
*	16) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)	146.59	41.65	104.94
*	17) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987)	3,340.62	750.34	2,590.28
*	18) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)	2,191.67	176.56	2,015.11
*	19) United Industrial Bank, Calcutta (1990)	3,501.58	58.05	3,443.53
*	20) Traders Bank Ltd., New Delhi (1990)	306.34	130.92	175.42
*	21) Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur (1990)	1,078.36	303.51	774.85
*	22) Bank of Tamil Nadu Ltd., (1990)	764.50	122.17	642.33
*	23) Parur Central Bank Ltd., North Parur (1990)	260.92	71.71	189.21
*	24) Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)	725.77	51.53	674.24
@	25) Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)	3,700.00	3,258.66	441.34
	Total 'C'	17,207.07	5,480.08	11,726.99
	Total 'A' + 'B' + 'C'	17,292.09	5,555.04	11,726.99
II.	CO-OPERATIVE BANKS			
	i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full			
\$\$	26) Malvan Co-operative Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.84	1.84	+
%	27) Bombay Peoples' Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)	10.72	10.72	++
@	28) Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)	18.37	18.37	+++
@	29) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	2.19	2.19	++++
	Total 'D'	33.12	33.12	—
	ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
@	30) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)	5.73	—	5.73
@	31) Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1977)	2.76	—	2.76
@	32) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)	0.60	—	0.60

(Contd.)

ANNEXURE - V (Contd.)

1	2	3	4	5
*	33) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri (1978)	46.43	12.33	34.10
*	34) Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1979)	11.57	5.60	5.97
*	35) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1979)	7.02	3.06	3.96
*	36) Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1979)	13.17	3.31	9.86
*	37) Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	12.95	78.36
*	38) Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985)	13.96	—	13.96
*	39) Adarsh Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985)	2.74	0.65	2.09
*	40) Kurduwadi Merchants Urban Co-operative Bank Ltd., Kurduwadi (1986)	4.85	3.65	1.20
@	41) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986)	22.85	12.16	10.69
@	42) Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987)	9.61	2.28	7.33
@	43) Hind Urban Co-operative Credit Bank Ltd., Lucknow (1988)	10.95	—	10.95
@	44) Yellamanchili Co-operative Bank Ltd., Yellamanchili (1990)	4.36	—	4.36
@	45) Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala (1991)	3.89	—	3.89
@	46) Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., Kundara (1991)	17.37	7.86	9.51
@	47) Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-operative Bank Ltd., Manoli (1991)	17.44	1.00	16.44
@	48) Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Baroda (1991)	74.85	—	74.85
@	49) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)	125.00	—	125.00
*	50) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., (1993)	37.11	1.16	35.95
@	51) Bhadravathi Town Co-op. Bank Ltd., (1994)	0.26	—	0.26
@	52) Bhiloda Nagrik Sahakari Bank Ltd., Bhiloda (1994)	19.84	—	19.84
@	53) Citizen's Urban Co-op. Bank Ltd., Indore (1994)	220.57	—	220.57
	54) Chetana Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1995)	875.49	—	875.49
	Total 'E'	1,639.73	66.01	1,573.72
	Total 'D' + 'E'	1,672.85	99.13	1,573.72
	Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E'	18,964.94**	5,654.17	13,300.71

\$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.

\$\$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd. in 1984.

* Scheme of amalgamation.

@ Banks taken into liquidation.

+ Provision of Rs.0.02 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

++ Provision of Rs.2.07 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provision of Rs.0.14 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

++++ Provision of Rs.0.11 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

% The Bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd. in 1987.

** Amount under column 3 includes 'On A/c.' Payments made to Bank of Karad Ltd. (Rs.37 crores) and Metropolitan Co-operative Bank Ltd. (Rs.1.25 crores) (both under liquidation).

Notes : The figures of claims given above are after effecting adjustments.

ANNEXURE - VI

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS AS ON 31ST MARCH 1996

Name of the Guarantee Scheme	Total number of participants as on 31st March 1995				Credit institutions joined (+) / withdrawn (-) / ceased (-) during the period April 1995 - March 1996				Total number of participants as on 31st March 1996			
	Comml. Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total	Comml. Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total	Comml. Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	39	175	—	214	(-) 17	(-) 134	—	(-) 151	22	41	—	63
2. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	16	16	—	—	(-) 11	(-) 11	—	—	5	5
3. Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	39	139	91	269	(-) 18	(-) 107	(-) 34	(-) 159	21	32	57*	110

* State Co-operative Bank 1
 Central Co-operative Banks 40
 Primary Urban Co-operative Banks 16
57

ANNEXURE – VII

SCHEME-WISE NAMES OF BANKS WITHDRAWN/DELETED FROM THE LIST OF PARTICIPATING
CREDIT INSTITUTIONS DURING THE YEAR 1995-96

A. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

Sr. No. Name of Institution

i) Commercial Banks

1. Bank of India
2. Canara Bank
3. Corporation Bank
4. Indian Bank
5. Indian Overseas Bank
6. Oriental Bank of Commerce
7. Punjab & Sind Bank
8. UCO Bank
9. Vijaya Bank
10. Bank of Rajasthan Ltd.
11. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
12. Catholic Syrian Bank Ltd.
13. Dhanalakshmi Bank Ltd.
14. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
15. Karnataka Bank Ltd.
16. South Indian Bank Ltd.

ii) Foreign Bank

1. The Sakura Bank Ltd.

iii) Regional Rural Banks

Withdrawn

1. Adhiyaman Gramin Bank
2. Akola Gramin Bank
3. Alaknanda Gramin Bank
4. Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank
5. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
6. Aravali Kshetriya Gramin Bank
7. Arunachal Pradesh Rural Bank
8. Avadh Grameena Bank
9. Baitarani Gramya Bank
10. Banaskantha Mehsana Gramin Bank
11. Bara Banki Gramin Bank
12. Bardhaman Gramin Bank
13. Bastar Kshetriya Gramin Bank
14. Basti Gramin Bank
15. Bhagirath Gramin Bank
16. Bhandara Gramin Bank
17. Bhilwara — Ajmer Kshetriya Gramin Bank

ANNEXURE – VII (Contd.)

18. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
19. Bikaner Kshetriya Gramin Bank
20. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
21. Bolangir Anchalik Gramya Bank
22. Buldhana Gramin Bank
23. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
24. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank
25. Champaran Kshetriya Gramin Bank
26. Chaitanya Grameena Bank
27. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
28. Chhatrasal Gramin Bank
29. Chickmagalur — Kodagu Grameena Bank
30. Chitradurg Gramin Bank
31. Damoh Panna Sagar Kshetriya Gramin Bank
32. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
33. Dewas — Shajapur Kshetriya Gramin Bank
34. Dhenkanal Gramya Bank
35. Durg — Rajnandjaon Gramin Bank
36. Dungarpur — Banswara Kshetriya Gramin Bank
37. Etawah Kshetriya Gramin Bank
38. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
39. Farrukhabad Gramin Bank
40. Ganga Yamuna Gramin Bank
41. Giridih Kshetriya Gramin Bank
42. Golconda Grameena Bank
43. Gomati Gramin Bank
44. Gopalganj Kshetriya Gramin Bank
45. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
46. Gurdaspur — Auritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank
47. Gurgaon Gramin Bank
48. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank
49. Nadoti Kshetriya Gramin Bank
50. Haryana Kshetriya Gramin Bank
51. Hazaribag Kshetriya Gramin Bank
52. Himachal Gramin Bank
53. Hisar Sirsa Kshetriya Gramin Bank
54. Howrah Gramin Bank
55. Indore — Ujjain Kshetriya Gramin Bank
56. Jammu Rural Bank
57. Jamnagar Gramin Bank
58. Jamuna Gramin Bank
59. Junagadh — Amroli Gramin Bank
60. Kakathiya Grameena Bank
61. Kalahandi Anchalik Gramya Bank

ANNEXURE – VII (Contd.)

62. Kamraaz Rural Bank
63. Kapurthala — Ferozpur Kshetriya Gramin Bank
64. Khasi Jaintia Rural Bank
65. Kisan Gramin Bank
66. Kolar Gramin Bank
67. Krishna Grameena Bank
68. Kshetriya Gramin Bank (Hoshangabad)
69. Kshetriya Kisan Gramin Bank
70. Kutch Gramin Bank
71. Madhubani Kshetriya Gramin Bank
72. Manjira Grammena Bank
73. Marathawada Gramin Bank
74. Marudhar Kshetriya Gramin Bank
75. Marwar Gramin Bank
76. Mayurakashi Gramin Bank
77. Mewar Anchalik Gramin Bank
78. Mithila Kshetriya Gramin Bank
79. Mizoram Rural Bank
80. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
81. Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank
82. Nadia Gramin Bank
83. Nagarjuna Grameena Bank
84. Nainital- Almora Kshetriya Gramin Bank
85. Netravati Grameena Bank
86. Nimar Kshetriya Gramin Bank
87. Palamau Kshetriya Gramin Bank
88. Penchamal Gramin Bank
89. Pandyan Grama Bank
90. Pithorogarh Kshetriya Gramin Bank
91. Pragjyotish Gaonlia Bank
92. Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank
93. Prathama Bank
94. Puri Gramya Bank
95. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank
96. Raigarh Kshetriya Gramin Bank
97. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
98. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
99. Katlam Mandsaur Kshetriya Gramin Bank
100. Ratnagiri- Sindhudurg Gramin Bank
101. Rayalaseema Grameena Bank
102. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank
103. Sahyadari Gramin Bank
104. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
105. Sangameshwara Grameena Bank
106. Santhal Pargana Gramin Bank

ANNEXURE – VII (Contd.)

107. Saran Kshetriya Gramin Bank
108. Saryu Gramin Bank
109. Sharda Gramin Bank
110. Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank
111. Shivalik Kshetriya Gramin Bank
112. Shivpuri- Guna Kshetriya Gramin Bank
113. Shri Venkateswara Grameena Bank
114. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank
115. Siwan Kshetriya Gramin Bank
116. Saravasthi Grameena Bank
117. Sri Ganganagar Kshetriya Grameena Bank
118. Sree Anantha Grameena Bank
119. Sri Rama Grameena Bank
120. Sri Saraswathi Grameena Bank
121. Sri Sathavahana Grameena Bank
122. Sri Visakha Gramin Bank
123. Surat Bharuch Gramin Bank
124. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank
125. Tulsi Gramin Bank
126. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
127. Vallalar Grama Bank
128. Valsad Dangs Gramin Bank
129. Varada Grameena Bank
130. Vidur Gramin Bank
131. Visveshvaraya Grameena Bank
132. Yavatmal Gramin Bank

Deleted

1. Bhagalpur - Banka Kshetriya Gramin Bank
2. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank

B. SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS) GUARANTEE SCHEME, 1984

Withdrawn

Sr. No. Name of Institution

1. Sirkali Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd.
3. Srivilliputtur Co-operative Urban Bank Ltd.
4. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd.
5. Mahad Co-operative Urban Bank Ltd.
6. Citizen's Co-operative Bank Ltd.
7. Ambasamudram Co-operative Urban Bank Ltd.
8. George Town Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE – VII (Contd.)

Deleted

1. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Pudukkottai Co-operative Town Bank Ltd.
3. Navjeevan Co-operative Bank Ltd.

C. SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

i) Nationalised Banks

1. Canara Bank
2. Corporation Bank
3. Indian Bank
4. Indian Overseas Bank
5. Oriental Bank of Commerce
6. Punjab and Sind Bank
7. UCO Bank
8. Vijaya Bank

ii) Other Commercial Banks

1. Bank of Rajasthan Ltd.
2. Bareilly Corporation Bank Ltd.
3. Catholic Syrian Bank Ltd.
4. Dhanalakshmi Bank Ltd.
5. Jammu and Kashmir Bank Ltd.
6. Karnataka Bank Ltd.
7. South Indian Bank Ltd.
8. Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.
9. Bank of America National Trust and Savings Association
10. Sakura Bank Ltd.

iii) Regional Rural Banks

1. Adhiyaman Grama Bank
2. Akola Gramin Bank
3. Alakananda Gramin Bank
4. Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank
5. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
6. Aravali Kshetriya Gramin Bank
7. Baitarani Gramya Bank
8. Barabanki Gramin Bank
9. Bardhman Gramin Bank
10. Bastar Kshetriya Gramin Bank
11. Bhandara Gramin Bank
12. Bhilwara Ajmer Kshetriya Gramin Bank
13. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
14. Bikaner Kshetriya Gramin Bank

ANNEXURE – VII (Contd.)

15. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
16. Bolangir Anchalik Gramya Bank
17. Buldhana Gramin Bank
18. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
19. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank
20. Chaitanya Grameena Bank
21. Chickmagalur Kodagu Grameena Bank
22. Chitradurga Gramin Bank
23. Damoh-Panna Sagar Kshetriya Gramin Bank
24. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
25. Dewas Shajapur Kshetriya Gramin Bank
26. Dhenkanal Gramya Bank
27. Dungarpur Banswara Kshetriya Gramin Bank
28. Durg Rajnandgaon Gramin Bank
29. Faridkot Bhatinda Kshetriya Gramin Bank
30. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
31. Gomati Gramin Bank
32. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
33. Gurgaon Gramin Bank
34. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank
35. Haryana Kshetriya Gramin Bank
36. Hazaribagh Kshetriya Gramin Bank
37. Himachal Gramin Bank
38. Hissar Sirsa Kshetriya Gramin Bank
39. Howrah Gramin Bank
40. Indore Ujjain Kshetriya Gramin Bank
41. Jamnagar Rajkot Gramin Bank
42. Jamuna Gramin Bank
43. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
44. Junagadh Amreli Gramin Bank
45. Kakathiya Grameena Bank
46. Kalahandi Anchalik Gramya Bank
47. Kamaraz Rural Bank
48. Kapurthala — Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
49. Kashi Gramin Bank
50. Khasi Jaintia Rural Bank
51. Kolar Gramin Bank
52. Kutch Gramin Bank
53. Mallabhum Gramin Bank
54. Manjjira Grameena Bank
55. Marathwada Gramin Bank
56. Marwar Gramin Bank
57. Marudhar Kshetriya Gramin Bank
58. Mayurakshi Gramin Bank
59. Mewar Anchalik Gramin Bank

ANNEXURE – VII (Contd.)

60. Mizoram Rural Bank
61. Nadia Gramin Bank
62. Nagarjuna Grameen Bank
63. Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank
64. Netravati Grameena Bank
65. Nimar Kshetriya Gramin Bank
66. Palmau Kshetriya Gramin Bank
67. Panchmahal Gramin Bank
68. Pandyan Grama Bank
69. Pithoragarh Kshetriya Gramin Bank
70. Pragiyotish Gaonlia Bank
71. Prathama Bank
72. Puri Gramya Bank
73. Raigarh Kshetriya Gramin Bank
74. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
75. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
76. Ratlam Mandsaur Kshetriya Gramin Bank
77. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank
78. Rayalaseema Grameena Bank
79. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank
80. Sahyadri Gramin Bank
81. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
82. Sangameshwara Grameena Bank
83. Santhal Paraganas Gramin Bank
84. Saryu Gramin Bank
85. Shahajahanpur Kshetriya Gramin Bank
86. Sharda Gramin Bank
87. Shivalik Shetriya Gramin Bank
88. Shivpuri Guna Kshetriya Gramin Bank
89. Siwan Kshetriya Gramin Bank
90. South Malbar Gramin Bank
91. Sravasthi Gramin Bank
92. Sree Anantha Grameena Bank
93. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank
94. Sri Rama Grameena Bank
95. Sri Saraswathi Grameena Bank
96. Sri Sathavahana Grameena Bank
97. Sri Venkateswara Grameena Bank
98. Sri Visakha Grameena Bank
99. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank
100. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank
101. Tulsi Gramin Bank
102. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
103. Valsad Dangs Gramin Bank
104. Vallar Grama Bank

ANNEXURE – VII (Contd.)

105. Varada Grameena Bank
106. Visveshwaraya Grameena Bank
107. Yavatmal Gramin Bank

iv) Co-operative Banks

1. Bhimavaram Co-operative Bank Ltd. (Andhra Pradesh)
2. Guduwada Co-operative Urban Bank Ltd. (Andhra Pradesh)
3. Gujarat State Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
4. Guntur Dist. Co-operative Central Bank Ltd. (Andhra Pradesh)
5. Nellore Dist. Co-operative Central Bank Ltd. (Andhra Pradesh)
6. Mehsana Dist. Central Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
7. Sabarkantha Dist. Central Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
8. Surat Dist. Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
9. Citizen's Co-operative Bank Ltd. (Jammu & Kashmir)
10. Kanara Dist. Central Co-operative Bank Ltd. (Karnataka)
11. Sri Kanyakaparneswari Co-operative Bank Ltd. (Karnataka)
12. Alwaye Urban Co-operative Bank Ltd. (Kerala)
13. Pathanamthitta Dist. Co-operative Bank Ltd. (Kerala)
14. Sultan's Bathery Co-operative Bank Ltd. (Kerala)
15. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd. (Maharashtra)
16. Mahad Co-operative Urban Bank Ltd. (Maharashtra)
17. Pune Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit (Maharashtra)
18. Solapur Dist. Industrial Co-operative Bank Ltd. (Maharashtra)
19. Ammapet Urban Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
20. Attur Town Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
21. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd. (Tamil Nadu)
22. Central Co-operative Credit Bank Ltd. (Tamil Nadu)
23. George Town Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
24. Kancheepuram Central Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
25. Madras Central Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
26. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
27. Mannargudi Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
28. Namakkal Co-operative Urban Bank Ltd. (Tamil Nadu)
29. Shevapet Urban Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
30. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd. (Tamil Nadu)
31. Srivilliputtur Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
32. Tiruchirapalli Hirudayapuram Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
33. Tirunelveli Central Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
34. Villupuram Co-operative Urban Bank Ltd. (Tamil Nadu)

ANNEXURE – VIII

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of Rupees)

Scheme/Category of Borrowers	As at the end of June							As at the end of March							% to total in Col. 15
	1972	1981	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 ₹	10 ₹	11 ₹	12 ₹	13 ₹	14 ₹	15 ₹	16
SMALL BORROWERS															
(A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR															
I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971															
	205.71	3546.24	7045.38	8842.29	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	24429.24	26339.75	25474.28	18906.40	100.00
i) Farmers & Agriculturists	134.67	2267.52	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	17075.41	12364.79	65.40
ii) Transport Operators	28.29	477.56	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58								
iii) Retail Traders	28.34	398.86	709.84	972.45	1191.85	1257.99	1795.38								
iv) Professional & Self-employed persons	9.14	165.66	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99	14519.56 ^{\$}	8727.03 ^{\$}	8973.00 ^{\$}	7514.44 ^{\$}	8102.11 ^{\$}	7840.98 ^{\$}	6172.94 ^{\$}	32.65
v) Business Enterprises	5.27	150.08	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18								
vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	86.56	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	557.89	368.67	1.95
II. Small Loans (Financial Corpns.) Guarantee Scheme, 1971															
	2.56	10.89	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	—	#	#	#	#	
III. Service Co-op. Societies Guarantee Scheme, 1971															
	0.12	1.32	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	#	#	#	#	
IV. Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984															
	—	—	5.69*	10.76	14.96	25.00	35.19								
i) Transport Operators	—	—	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31								
ii) Retail Traders	—	—	2.64	4.51	5.53	7.67	8.51								
iii) Professional & Self-employed persons	—	—	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74	20.70 ^{\$}	10.98 ^{\$}	13.77 ^{\$}	14.34 ^{\$}	8.08 ^{\$}	9.59 ^{\$}	3.33 ^{\$}	—
iv) Business Enterprises	—	—	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63								
Total of I, II, III & IV	208.39	3558.45	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	25483.87	18909.73	100.00

ANNEXURE – VIII (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SSI BORROWERS															
(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR															
V. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981															
All SSI Units including cottage industries etc.	—	3716.43 [®]	4890.86	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	14176.95	13847.33	
Grand Total (A) + (B)	208.39	7274.88	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53⁺	46543.18[*]	43605.50	41850.49	39660.82	32757.06	

[®] As on 31 March 1981. ^{*} As on 31 December 1984.

£ Due to non-receipt of statements from several participating credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances port-folio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

\$ The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

+ Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs.35851.33 and Rs.37410.16 crores respectively.

Terminated w.e.f. 1 April 1992.

ANNEXURE – IX

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of Rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of (vide Columns 4 & 5)					
					Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upto end of 1977	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23
During 1978	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
During 1979	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
During 1980	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
During 1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77
During 1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
During 1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
During 1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
During 1985	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
During 1986	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
During 1987	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
During 1988-89	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21
During 1989-90	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
During 1990-91	20,87,562	505.05	19,00,904	427.17	18,62,697	415.35	4,202	1.42	34,005	10.40
During 1991-92	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
During 1992-93	36,81,272	883.29	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
During 1993-94	46,72,885	1,167.60	33,58,702	1,026.36	32,88,353	816.44	5,782	188.79	64,567	21.13
During 1994-95	47,93,205	1,348.11	39,11,870	1,100.26	38,60,522	1,170.15	3,428	0.88	47,920	21.23
Total 'A'	2,28,99,464	5,717.14	1,86,66,531	4,644.48	1,79,76,105	4,193.74	2,93,266	324.66	3,97,160	126.08

(Contd.)

ANNEXURE – IX (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
During 1995-96										
1. S.L.G. Scheme, 1971	62,64,590	1,841.06	35,09,601	1,031.42	34,52,981	1,006.28	738	1.53	55,882	23.61
2. S.L. (F.C.) G. Scheme, 1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. S.L. (Co-op. Banks) G. Scheme, 1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total 'B' (1 + 2 + 3)	62,64,590	1,841.06	35,09,601	1,031.42	34,52,981	1,006.28	738	1.53	55,882	23.61
Cum. Total of 'A' + 'B'	2,91,64,054	7,558.20	2,21,76,132	5,675.90	2,14,29,086	5,200.02	2,94,004	326.19	4,53,042	149.69
Tapes Returned 'C'			+ 15,25,601\$	+ 448.35\$			+15,25,601\$	+448.35\$		
Grand Total ('A' + 'B' + 'C')	2,91,64,054	7,558.20	2,37,01,733	6,124.25	2,14,29,086	5,200.02	18,19,605	774.54	4,53,042	149.69

Break-up of Pending Claims

	No.	Amount in crores of Rs.
1. Claims processed but payment held up for various reasons	43,594	12.72
2. Claims to be processed	44,26,737	1,300.95
3. Claims processed but not settled for want of clarification	9,91,990	291.62
Total	<u>54,62,321</u>	<u>1,605.29</u>

\$ No. and value of claims on magnetic tapes returned to banks due to tape read error etc. and these claims when received back will be taken as fresh receipt.

Note : The total of claims shown in the break-up of pending claims is the net of grand total under receipts column and the claims disposed of column. The value has been worked out by multiplying the total number of claims with average disposed of claim value for the year 1995-96.

ANNEXURE - X

SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Rupees in crores)

Sr. No.	Category of Borrowers	Total claims received upto 31 March 1995		Claims received during April 1995 to March 1996		% to total number in Col. 5	% to total amount in Col. 6	Cumulative total upto March 1996		% to total amount in Col. 10
		Number@	Amount@	Number@	Amount@			Number@	Amount@	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Farmers and Agriculturists	1,07,15,866	2,497.05	31,96,194	935.63	51.02	50.82	1,39,12,060	3,432.68	45.42
2.	Transport operators	8,33,484	515.02	2,02,973	76.77	3.24	4.17	10,36,457	591.79	7.83
3.	Retail Traders	61,56,262	1,683.79	18,45,548	555.63	29.46	30.18	80,01,810	2,239.42	29.62
4.	Professionals and Self-employed persons	19,41,570	465.70	3,98,428	115.99	6.36	6.30	23,39,998	581.69	7.70
5.	Business Enterprises	17,06,150	415.27	4,71,724	132.92	7.53	7.22	21,77,874	548.19	7.25
6.	Residual Category of Borrowers under DRI Scheme	14,74,513	126.65	1,30,303	18.23	2.08	0.99	16,04,816	144.88	1.92
7.	Credit Facilities for Consumption and for Purchase or Construction of Houses etc.	71,619	13.66	19,420	5.89	0.31	0.32	91,039	19.55	0.26
	Total	2,28,99,464	5,717.14	62,64,590	1,841.06	100.00	100.00	2,91,64,054	7,558.20	100.00

@ Provisional.

ANNEXURE - XI

**STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI)
GUARANTEE SCHEME, 1981**

(Amount in crores of Rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of						Claims pending as at the end of the year	
	No.	Amount	No.	Amount	Claims paid		Claims withdrawn/returned under objection		Claims rejected		No.	Amount
					No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount		
1 Apr. 1981 to 31 Dec. 1981	1308	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	1308	1.74
1 Jan. 1982 to 31 Dec. 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.01
1 Jan. 1983 to 31 Dec. 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.66
1 Jan. 1984 to 31 Dec. 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.91
1 Jan. 1985 to 31 Dec. 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41	12248	115.82
1 Jan. 1986 to 31 Dec. 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67	15672	153.67
1 Jan. 1987 to 31 Dec. 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81	20177	197.19
1 Jan. 1988 to 31 Mar. 1989 (15 months)	93716	216.90	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24	32542	257.53
1 Apr. 1989 to 31 Mar. 1990	74894	192.58	101579	368.08	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27	5857	82.03
1 Apr. 1990 to 31 Mar. 1991	83809	243.71	76148	249.25	65694	131.81	8968	71.53	1486	45.91	13518	76.49
1 Apr. 1991 to 31 Mar. 1992	78447	217.26	80510	255.67	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61	11455	38.08
1 Apr. 1992 to 31 Mar. 1993	129968	259.98	118147	243.21	100751	94.92	16261	110.35	1135	37.94	23276	54.85
1 Apr. 1993 to 31 Mar. 1994	144165	323.16	123031	287.72	93008	73.55	25728	162.22	4295	51.95	44410	90.29
1 Apr. 1994 to 31 Mar. 1995	189593	378.71	192791	409.31	153743	100.86	34446	235.51	4602	72.94	41212	59.69
1 Apr. 1995 to 31 Mar. 1996	191034	524.17	155448	308.01	78857	35.99	69005	180.39	7586	91.63	76798	275.85
Total	1119054	2762.76	1042256	2486.91	798468	936.06	218916	1116.03	24872	434.82		

Branch-wise position of pending claims as on 31 March 1996

(Rs. in crores)

	No.	Amount
Nagpur	6303	30.22
Calcutta	24020	82.09
Madras	20286	58.24
New Delhi	26189	105.30
Total	76798	275.85

ANNEXURE – XII

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1995-96 UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

Claims for amount	Claims pending as on 31 March 1995		Receipt during the year		Disposal during the year						Total disposal during the year		Claims pending as on 31 March 1996	
					Claims paid		Claims withdrawn/ returned under objection		Claims rejected					
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Upto Rs.25,000/-	37577	15.06	155782	97.83	77706	31.91	58336	27.57	4050	4.56	140092	64.04	53267	48.85
Above Rs.25,000/- and upto Rs.1 lakh	2652	9.82	27352	108.33	1097	3.13	7570	25.49	2090	7.98	10757	36.60	19247	81.55
Above Rs.1 lakh and upto Rs.5 lakhs	796	18.08	5925	135.09	53	0.87	2297	53.08	844	20.44	3194	74.39	3527	78.78
Above Rs.5 lakhs and upto Rs.8 lakhs	101	6.34	816	51.04	—	—	328	20.65	245	15.14	573	35.79	344	21.59
Above Rs.8 lakhs	86	10.39	1159	131.88	1	0.08	474	53.60	357	43.51	832	97.19	413	45.08
Total	41212	59.69	191034	524.17	78857	35.99	69005	180.39	7586	91.63	155448	308.01	76798	275.85

ANNEXURE – XIII

STATEMENT INDICATING SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED
DURING THE YEARS 1981 TO 1995-96

(Amount in crores of Rupees)

Scheme	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 months)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36	631.64	496.90
2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971@	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	—	—	—	—	—
3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971@	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	0.01	0.01	—	—	—	—
4. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12	0.14	0.03
5. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61	197.35	207.71
Total	40.21	57.67	71.17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88	702.78	846.09	829.13	704.64

* 1981	Rs.39,000/-	* 1985	Rs.5,000/-
* 1982	Rs.73,000/-	* 1986	Rs.1,000/-
* 1983	Rs.14,000/-	* 1987	Rs.7,000/-
* 1984	Rs.25,000/-	* 1988-89	Rs.58,000/-

@ These Schemes have been terminated with effect from 1 April 1992.

ANNEXURE – XIV

**INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND
IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1996**

(Amount in crores of Rupees)

Particulars	Rate	Deposit Insurance Fund				Credit Guarantee Fund				General Fund				
		Face value	Book value	Value as per rates	% of value to book value	Face value	Book value	Value as per rates	% of value to book value	Face value	Book value	Value as per rates	% of value to book value	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(A) Securities which have depreciated :														
1.	6.50% Loan 2003	67.51	2.66	2.66	1.80	67.67	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	6.75% Loan 2006	61.60	18.22	18.21	11.22	61.61	0.65	0.65	0.40	61.54	—	—	—	—
3.	6.75% Loan 2007	59.90	1.12	1.12	0.67	59.82	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	7% Loan 2009	58.61	40.68	40.71	23.84	58.56	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	7.50% Loan 2010	60.55	55.59	53.63	33.66	62.76	2.86	2.84	1.73	60.92	—	—	—	—
6.	8% Loan 2011	62.77	130.98	121.58	82.22	67.63	—	—	—	—	4.85	4.45	3.04	68.31
7.	8.75% Loan 2010	68.14	3.78	3.78	2.58	68.25	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	9% Loan 2013	67.86	101.98	100.09	69.20	69.14	—	—	—	—	14.15	14.17	9.60	67.75
9.	9.50% Loan 2008	75.11	23.19	22.96	17.42	75.87	0.65	0.65	0.49	73.85	—	—	—	—
10.	10% Loan 2014	73.93	75.78	75.67	56.02	74.03	4.09	4.06	3.02	74.38	10.95	10.97	8.10	73.84
11.	10.25% Loan 2012	76.29	39.57	39.63	30.19	76.20	—	—	—	—	10.26	10.27	7.83	76.17
12.	10.50% Loan 2014	77.19	55.98	55.96	43.20	77.21	—	—	—	—	7.39	7.38	5.70	77.24
13.	11.50% Loan 2006	86.76	85.28	86.47	73.99	85.57	20.57	20.57	17.85	86.78	2.00	2.00	1.74	87.00
14.	11.50% Loan 2007	86.17	0.02	0.03	0.02	66.67	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	11.50% Loan 2008	85.66	5.85	5.85	5.01	85.64	8.35	7.80	7.15	91.67	—	—	—	—
16.	11.50% Loan 2009	85.22	109.60	109.87	93.40	85.01	102.38	102.42	87.25	85.19	—	—	—	—
17.	11.50% Loan 2011	84.49	81.32	80.37	68.71	85.50	8.68	8.41	7.33	87.16	—	—	—	—
18.	11.50% Loan 2015	83.51	87.12	87.14	72.75	83.49	—	—	—	—	11.10	11.12	9.27	83.36
19.	11.64% G.S. 2000	93.67	105.56	105.96	98.88	93.32	34.44	34.45	32.26	93.64	—	—	—	—
20.	11.75% G.S. 2001	92.40	33.70	33.70	31.14	92.40	70.86	68.66	65.48	95.37	0.19	0.18	0.17	100.00
21.	12% G.S. 2011	87.59	77.04	76.71	67.48	87.97	348.08	345.62	304.88	88.21	—	—	—	—
22.	12.30% G.S. 1998	97.96	36.40	36.40	35.66	97.97	44.55	44.61	43.64	97.83	—	—	—	—
23.	12.50% G.S. 2004	93.82	33.28	34.39	31.22	90.78	100.00	101.25	93.82	92.66	—	—	—	—
24.	12.50% Loan 2007	92.05	160.15	160.78	147.42	91.96	223.85	224.79	206.06	91.66	—	—	—	—
25.	12.60% G.S. 2000	97.48	—	—	—	—	45.00	45.09	43.87	97.29	—	—	—	—

(Contd.)

ANNEXURE - XIV (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	12.70% G.S. 2001	96.85	—	—	—	—	75.00	75.15	72.64	96.97	—	—	—	—
27.	13.12% G.S. 1999	98.73	1.55	1.68	1.53	91.07	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	13.40% G.S. 2002	98.09	70.92	71.27	69.57	97.61	88.88	89.32	87.18	97.60	—	—	—	—
29.	12% G.S. 1999	96.05	—	—	—	—	6.00	5.82	5.76	98.97	—	—	—	—
30.	11.55% G.S. 2002	90.72	—	—	—	—	41.61	38.68	37.75	97.60	—	—	—	—
31.	13.25% G.S. 2000	98.50	110.01	111.27	108.36	97.38	47.89	48.28	47.17	97.70	—	—	—	—
32.	12% G.S. 1997	98.98	—	—	—	—	51.00	50.99	50.48	98.98	—	—	—	—
33.	12.75% 1996	—	46.54	46.97	—	—	77.19	77.50	—	—	—	—	—	—
34.	10.50% 1996	—	9.11	9.16	—	—	0.17	0.17	—	—	—	—	—	—
35.	10.50% 1996 II Series	—	—	—	—	—	25.00	25.00	—	—	—	—	—	—
Total (A)			1602.98	1594.02	1277.16		1427.75	1422.78	1216.21		60.89	60.54	45.45	
(B) Securities which have appreciated :														
1.	5.75% Loan 2002	67.61	3.00	1.85	2.03	109.14	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	'0' Coupon Bond 1999	77.01	125.00	69.35	96.26	138.78	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	'0' Coupon Bond 2000	93.67	0.01	0.01	0.01	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	13.65% G.S. 1999	100.26	6.86	6.86	6.88	100.29	1.02	1.02	1.02	100.00	—	—	—	—
5.	13.85% G.S. 2000	100.91	—	—	—	—	1.35	1.35	1.36	100.74	—	—	—	—
6.	13.50% G.S. 1997	100.35	—	—	—	—	70.00	70.00	70.25	100.38	—	—	—	—
7.	'0' Coupon Bond 2000 (IInd issue)	67.29	3.93	2.13	2.64	123.94	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	4 years GOI Floating rate Bond 1999	100.30	—	—	—	—	12.42	12.42	12.46	100.32	—	—	—	—
9.	14% G.S. 2005	101.15	5.90	5.90	5.97	101.19	30.60	30.60	30.95	101.14	13.50	13.50	13.66	101.19
10.	13.65% 3 years G.S 1998	100.54	20.37	20.42	20.48	100.29	119.53	119.69	120.17	100.40	—	—	—	—
11.	13.50% G.S. 1997 (IIIRD issue)	100.35	1.75	1.75	1.75	100.57	6.70	6.70	6.72	100.30	—	—	—	—
12.	GOI Floating rate 1999 (IInd issue)	100.30	—	—	—	—	3.00	3.00	3.01	100.33	—	—	—	—
Total (B)			166.82	108.27	136.02		244.62	244.78	245.94		13.50	13.50	13.66	
Total (A) + (B)			1769.80	1702.29	1413.18		1672.37	1667.56	1462.15		74.39	74.04	59.11	

(Contd.)

ANNEXURE - XIV (Contd.)

**(C) Government of India
91/364 Days Treasury
Bills :**

Due Date		Face value	Book value	Rate	Yield	Face value	Book value	Rate	Yield	Face value	Book value	Rate	Yield	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	6 April 1996	—	—	—	—	—	1.50	1.46	96.9950	—	—	—	—	—
2.	13 April 1996	35.85	34.74	96.86	9.30	0.64	0.62	96.86	—	0.88	0.85	96.86	—	—
				to										
				97.9913										
3.	20 April 1996	30.24	29.29	96.86	9.40	6.37	6.17	96.86	—	—	—	—	—	—
				to										
				9.80										
4.	26 April 1996	—	—	—	—	7.87	7.65	97.2184	—	—	—	—	—	—
5.	27 April 1996	51.02	49.44	96.87	8.86	27.77	26.95	96.86	—	0.15	0.15	96.86	—	—
				to				to						
				97.3172				97.4849						
6.	4 May 1996	40.06	38.80	96.86	8.89	41.93	40.66	96.86	—	—	—	—	—	—
				to				to						
				97.7119				97.7119						
7.	14 February 1997	—	—	—	—	30.00	26.52	88.40	—	—	—	—	—	—
8.	10 May 1996	—	—	—	—	15.00	14.57	97.1154	—	—	—	—	—	—
9.	11 May 1996	1.06	1.03	96.86	10.02	0.20	0.19	96.86	—	—	—	—	—	—
10.	20 May 1996	4.94	4.79	96.86	9.23	8.99	8.71	96.86	—	—	—	—	—	—
				to				to						
				97.1038				97.1038						
11.	24 May 1996	0.10	0.09	96.87	9.21	2.57	2.49	96.8700	—	—	—	—	—	—
				to				to						
				9.27				96.9033						
12.	25 May 1996	2.22	2.15	96.86	9.47	8.74	8.47	96.86	—	0.14	0.14	96.86	—	—
				to				to						
				13.30										
13.	1 June 1996	14.93	14.46	96.86	9.14	21.80	21.11	96.86	—	—	—	—	—	—

(Contd.)

ANNEXURE – XIV (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	19 July 1996		0.10	0.10	95.1965	9.14 to 9.39	1.82	1.73	95.1965	—	—	—	—	—
15.	2 August 1996		5.70	5.09	89.0122 to 91.7408	—	6.64	5.92	89.0122 to 91.7408	—	1.77	1.58	89.4702 to 89.01222	—
16.	27 September 1996		0.18	0.16	89.5227	13.50	0.18	0.16	89.5227	—	0.14	0.12	89.5227	—
17.	22 November 1996		0.50	0.44	88.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	20 December 1996		—	—	—	—	0.58	0.52	88.50	—	—	—	—	—
19.	3 January 1997		—	—	—	—	1.20	1.06	88.50	—	—	—	—	—
20.	17 January 1997		0.06	0.05	88.44	13.50	0.95	0.84	88.44	—	—	—	—	—
21.	31 January 1997		32.00	28.29	88.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total (C)					218.96	208.92			184.75	175.80			3.08	2.84
Total (A) + (B) + (C)				1988.76	1911.21		1857.12	1843.36				77.47	76.88	

	<i>Deposit Insurance Fund</i>	<i>Credit Guarantee Fund</i>	<i>General Fund</i>
Book value	1537.89	1320.12	60.54
Depreciated value	1277.16	1216.21	45.45
Depreciated value to be provided	260.73	103.91	15.09
Existing provision	184.23	67.20	16.38
Additional provision required	76.50	36.71	Nil

AUDITORS' REPORT

Mayra and Khatri
Chartered Accountant,
Bhagwan Bhuvan, 3rd Floor,
31, Israil Mohalla Street,
Masjid Bunder Road,
Mumbai-400 009.

We have audited the attached Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31 March 1996 and also the Revenue Accounts of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report that :

- i) we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounts read with the accounting policies and the notes thereon give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner as required and exhibit a true and fair view :

- (a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the State of Affairs of the Corporation as at 31 March 1996 and,
- (b) in the case of the Revenue Accounts (i) of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and (ii) of the deficit in the case of Credit Guarantee Fund and General Fund of the Corporation for the year ended on that date.

For **Mayra and Khatri**
Chartered Accountants

Sd/-
(Naren Sheth)
Partner

Place : Mumbai
Dated : 20 June 1996.

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
I – DEPOSIT INSURANCE FUND

<i>Previous Year</i>		LIABILITIES	<i>Deposit Insurance Fund</i>		<i>Credit Guarantee Fund</i>	
<i>Deposit Insurance Fund</i>	<i>Credit Guarantee Fund</i>					
<i>Rs. in lakhs.</i>	<i>Rs. in lakhs</i>		<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>
16885.00	179271.00	1. Fund (Balance at the end of the year)		20273.00		177543.00
163.88	—	2. Surplus Balance (as per Revenue Account annexed)		245.12		—
16174.88	6720.21	3. Investment Reserve: Balance at the beginning of the year	18422.76		6720.21	
2247.88	—	<i>Add: Amount provided for during the year</i>	7649.86		3671.40	
18422.76	6720.21			26072.62		10391.61
—	2025.56	4. Claims intimated and claims admitted but not paid		—		1285.80
1592.36	101732.90	5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		667.99		171178.45
86.56	—	6. Insured deposits remaining unclaimed		87.76		—
		7. Other Liabilities				
5894.45	4726.51	i) Sundry Creditors	6145.88		1231.67	
120673.70	—	ii) Credit Guarantee Fund	153889.90		—	
12081.45	—	iii) Provision for Income Tax	12081.45		—	
138649.60	4726.51			172117.23		1231.67
175800.16	294476.18	Total		219463.72		361630.53

As per our report of even date attached.

For M/s. Mayra & Khatri
Chartered Accountants

R.V. Gupta
Chairman

J.R. Prabhu
Director

N.P. Sarda
Director

Naren Sheth
Partner

Gangadhar Gadgil
Director

S.H. Khan
Director

P.N. Joshi
Director

Mumbai
Dated : 20 June 1996

K.L. Khetarpaul
Chief General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on 31 March 1996
AND CREDIT GUARANTEE FUND

<i>Previous Year</i>				<i>Deposit Insurance Fund</i>		<i>Credit Guarantee Fund</i>	
<i>Deposit Insurance Fund</i>	<i>Credit Guarantee Fund</i>	ASSETS		<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>
<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>						
6.78	148.98	1.	Balance with RBI		18.22		409.23
143526.82	153683.19	2.	Investments in Central Government Securities (at cost)		191120.97		184336.43
			<i>D.I. Fund</i>				
			<i>C.G. Fund</i>				
			<i>Rs. in lakhs</i>				
			<i>Rs. in lakhs</i>				
			Face Value	198875.92		185711.87	
			Market Value	127715.98		121620.52	
6163.01	4205.50	3.	Interest accrued on investments		7854.40		5232.48
		4.	Other Assets				
659.53	10.25	i)	Outstanding premium, Guarantee fees and excess claims paid due from Banks/Credit Institutions	839.74		333.70	
11.68	25.86	ii)	Outstanding interest on overdue premium and guarantee fee	97.00		98.84	
0.06	—	iii)	Amount paid towards claims remaining undisbursed with the liquidator of banks	0.06		—	
—	—	iv)	GOI Credit Guarantee Scheme (Old) for Small Scale Industries	—		—	
—	120673.70	v)	Deposit Insurance Fund	—		153889.90	
24139.31	15728.70	vi)	Income-Tax deducted at source	19533.33		17329.95	
1292.97	—	vii)	Sundry Debtors	—		—	
					20470.13		171652.39
175800.16	294476.18		Total		219463.72		361630.53

Sudhir Srivastava
Director

P.W. Rege
Director

K.R. Ramamoorthy
Director

E.C. Nair
Director

Rashid Jilani
Director

K. Prasad
Deputy General Manager

**DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I — DEPOSIT INSURANCE FUND**

<i>Previous Year</i>		EXPENDITURE	<i>Deposit Insurance Fund</i>		<i>Credit Guarantee Fund</i>	
<i>Deposit Insurance Fund</i>	<i>Credit Guarantee Fund</i>		<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>
<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>		<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>
		To Claims –				
220.51	115256.93	a) Paid during the year	875.48		101941.99	
—	2025.56	b) Admitted but not paid	—		1285.80	
		<i>Add :</i>				
1592.36	101732.90	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year	667.99		171178.45	
<u>1812.87</u>	<u>219015.39</u>		<u>1543.47</u>		<u>274406.24</u>	
		<i>Less :</i>				
811.62	74191.36	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year	1592.36		101732.90	
		<i>Add :</i>				
591.05	—	Excess provision written back (per contra)	716.87		—	
<u>1592.30</u>	<u>144824.03</u>	Net Claims		667.98		172673.34
2247.88	—	To Provision for depreciation in the value of investment		7649.86		3671.40
16885.00	179271.00	To Fund at the end of the year (as per actuarial valuation)		20273.00		177543.00
22547.30	—	To Net surplus carried down		33297.43		—
<u>43272.48</u>	<u>324095.03</u>	Total		<u>61888.27</u>		<u>353887.74</u>
—	34868.75	To Net deficit brought down		—		33216.19
34868.75	—	To Transfer to Credit Guarantee Fund		33216.19		—
163.88	—	To Balance carried to Balance Sheet		245.12		—
<u>35032.63</u>	<u>34868.75</u>	Total		<u>33461.31</u>		<u>33216.19</u>

As per our report of even date attached.

For M/s. Mayra & Khatri
Chartered Accountants

R.V. Gupta
Chairman

J.R. Prabhu
Director

N.P. Sarda
Director

Naren Sheth
Partner

Gangadhar Gadgil
Director

S.H. Khan
Director

P.N. Joshi
Director

Mumbai
Dated : 20 June 1996

K.L. Khetarpaul
Chief General Manager

**CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')**

year ended on 31 March 1996

AND CREDIT GUARANTEE FUND

<i>Previous Year</i>		INCOME	<i>Deposit</i>	<i>Credit</i>	<i>Deposit</i>	<i>Credit</i>
<i>Insurance</i>	<i>Guarantee</i>		<i>Insurance</i>	<i>Guarantee</i>	<i>Insurance</i>	<i>Guarantee</i>
<i>Fund</i>	<i>Fund</i>		<i>Fund</i>	<i>Fund</i>	<i>Fund</i>	<i>Fund</i>
<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>		<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>
8030.00	152073.00	By Balance of Fund at the beginning of year	16885.00	179271.00		
19328.56	—	By Deposit insurance premia (including interest on overdue premia)	22642.89	—		
—	82913.71	By Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fee)	—	70464.93		
1705.79	33117.22	By Recoveries in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid including interest on overdue repayments	1977.64	42632.56		
591.05	—	By Excess provision for Deposit Insurance Claims written back (per contra)	716.87	—		
13603.80	21101.43	By Income from Investments (Gross)	18653.18	27573.66		
			<i>Deposit</i>	<i>Credit</i>		
			<i>Insurance</i>	<i>Guarantee</i>		
		Tax deducted at source for 1995-96	3790.67	5483.71		
		Previous year	2943.77	4492.03		
—	—	By Profit on Sale of Investment	5.09	263.51		
13.28	20.92	By Interest on Advance Tax/TDS	1007.60	465.89		
—	34868.75	By Net deficit carried down	—	33216.19		
<u>43272.48</u>	<u>324095.03</u>	Total	<u>61888.27</u>	<u>353887.74</u>		
12485.33	—	By Balance brought forward from last year	163.88	—		
22547.30	—	By Net surplus brought down	33297.43	—		
—	34868.75	By Transfer from Deposit Insurance Fund (per contra)	—	33216.19		
<u>35032.63</u>	<u>34868.75</u>	Total	<u>33461.31</u>	<u>33216.19</u>		

Sudhir Srivastava
Director

P.W. Rege
Director

K.R. Ramamoorthy
Director

E.C. Nair
Director

Rashid Jilani
Director

K. Prasad
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
II — GENERAL

Previous Year (Rs. in lakhs)	LIABILITIES	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1. CAPITAL			
5,000.00	Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961			5,000.00
	2. RESERVE			
	A) General Reserve			
1,129.35	Balance at the beginning of the year	887.10		
	Add: Financial Assistance received from RBI to meet staff expenses	<u>1,400.00</u>		
		2,287.10		
<u>242.25</u>	Less: Deficit transferred from Revenue Account	<u>951.20</u>		
887.10	Balance at the end of the year		1,335.90	
	B) Investment Reserve			
1,638.47	Balance at the beginning of the year	1,638.47		
<u>—</u>	Add: Amount provided during the year	<u>—</u>		
1,638.47			1,638.47	
<u>22.51</u>	C) Capital Reserve		<u>22.51</u>	
2,548.08				2,996.88
	3. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
623.19	Outstanding Expenses	780.40		
0.86	Sundry Creditors	14.36		
<u>223.00</u>	Provisions for Income Tax	<u>223.00</u>		
847.05				1,017.76
<u>8,395.13</u>	Total			<u>9,014.64</u>

As per our report of even date attached.

For M/s. Mayra & Khatri
Chartered Accountants

(R.V. Gupta
Chairman

J.R. Prabhu
Director

Sudhir Srivastava
Director

Naren Sheth
Partner

S.H. Khan
Director

P.N. Joshi
Director

K.R. Ramamoorthy
Director

Mumbai
Dated : 20 June 1996

K.L. Khetarpaul
Chief General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1996
FUND

<i>Previous Year (Rs. in lakhs)</i>	ASSETS	<i>Rs. in lakhs</i>	<i>Rs. in lakhs</i>
	1. CASH		
0.11	i) In hand	0.12	
3.53	ii) With RBI	7.67	
3.64			7.79
7,025.22	2. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (AT COST)		7,688.22
	<i>(Rs. in lakhs)</i>		
	Face Value	7,747.10	
	Market Value	6,195.11	
250.16	3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT		237.41
	4. OTHER ASSETS		
17.17	a) Furniture, fixture and equipment less depreciation	45.16	
1.25	b) Stock of stationery	1.78	
0.92	c) Pre-paid expenses	0.84	
34.32	d) Advances for expenses, staff allowances receivable from RBI etc. and other deposits	98.07	
940.84	e) Income Tax deducted at source	935.37	
	5. AMOUNT DUE FROM		
121.61	i) Credit Guarantee Fund	—	
—	ii) Deposit Insurance Fund	—	
1,116.11			1,081.22
8,395.13	Total		9,014.64

N.P. Sarda
Director

E.C. Nair
Director

K. Prasad
Dy. General Manager

P.W. Rege
Director

Rashid Jilani
Director

Gangadhar Gadgil
Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Form 'B'
Revenue Account for the year ended 31 March 1996
II — GENERAL FUND

Previous Year (Rs. in lakhs)	EXPENDITURE	Amount (Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)	INCOME	Amount (Rs. in lakhs)
774.69	To Salaries & allowances and contribution to staff provident fund	1,286.78	700.87	By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs.166.02 lakhs Previous Year Rs.171.27 lakhs)	675.58
27.50	„ Contribution to staff pension and Gratuity Fund	96.73			
0.04	„ Directors' and Committee Members' Fees	0.01	21.09	„ Recoveries in claims paid account in Government of India's Credit Guarantee Schemes for Small Scale Industries (Old)	23.10
0.28	„ Directors' and Committee Members' Travelling & other Allowances	0.35			
88.12	„ Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	192.97	0.69	„ Miscellaneous Receipts	0.94
13.99	„ Establishment, Travelling and Halting Allowances	17.74	1.25	„ Interest on Advance Tax / Tax deducted at source	20.58
1.34	„ Computer Consumables	2.55			
5.40	„ Printing & Stationery	6.22	242.25	„ Balance being excess of Expenditure over Income for the year carried down	951.20
4.94	„ Postage, Telegrams & Telephones	5.07			
0.49	„ Auditors' Fees	0.49			
1.93	„ Legal Charges	7.37			
44.19	„ Miscellaneous Expenses	44.90			
3.24	„ Depreciation	10.22			
	— „ Provision for Depreciation on Investment	—			
	— „ Balance being excess of Income over Expenditure for the year carried down	—			
<u>966.15</u>	Total	<u>1,671.40</u>	<u>966.15</u>	Total	<u>1,671.40</u>
242.25	„ Balance brought down	951.20	242.25	„ Balance being excess of Expenditure over Income transferred to General Reserve	951.20
	— „ Balance being excess of Income over Expenditure transferred to General Reserve	—			
				— „ Balance brought down	—
<u>242.25</u>	Total	<u>951.20</u>	<u>242.25</u>	Total	<u>951.20</u>

As per our report of even date attached.

For M/s. Mayra & Khatri
Chartered Accountants

R.V. Gupta
Chairman

J.R. Prabhu
Director

Sudhir Srivastava
Director

N.P. Sarda)
Director

P.W. Rege
Director

Gangadhar Gadgil
Director

Naren Sheth
Partner

S.H. Khan
Director

P.N. Joshi
Director

K.R. Ramamoorthy
Director

E.C. Nair
Director

Rashid Jilani
Director

Mumbai
Dated : 20 June 1996

K.L. Khetarpaul
Chief General Manager

(K. Prasad)
(Dy. General Manager)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

The financial statements are prepared by following going concern concept and on the historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country.

2. Recognition of Income and Expenditure

- i) Items of income and expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- ii) Receipts towards deposit insurance premia and guarantee fees are generally appropriated as revenue income on receipt of relevant statements of deposits and guaranteed advances, and in cases where such statements are not received till the finalisation of accounts, ad-hoc payments, if any, made by the participating credit institutions are recognised as income, if considered adequate when compared with the previous years' records. Un-adjusted amounts are carried forward under the head 'Sundry Creditors'.
- iii) Unrealised amount of deposit insurance premia and guarantee fee is not recognised as income, unless the relevant statements are received from the participating credit institutions.
- iv) Penal interest for delay in payment of guarantee fee and insurance premia is accounted as income upto the date of last such payment by the credit institutions and interest on outstanding amount of premia/guarantee fee is not recognised as income.
- v) The recovery (including penal interest) by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid is accounted in the year in which it is received. Likewise, recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realised/adjusted.
- vi) Interest on investments is accounted on accrual basis.
- vii) Provision for year end liability in respect of claims intimated but not admitted

pertaining to Credit Guarantee Fund is made on prudential basis taking into consideration the past trends.

- viii) Adequate provision is made on the basis of actuarial valuation of the liability towards fund balances as at the end of the year in respect of Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund.
- ix) The claims for refund of guarantee fees and of repayments against claims settled are accounted for on such refund claims being admitted by the Corporation. The year end liability towards such refund claims (including cases falling under Agricultural Rural Debt Relief Scheme, 1990) and its impact on the actuarial valuation of fund balances as at the close of the year remain undetermined.
- x) Claims for reimbursement from RBI against certain establishment expenses, such as, leave salary etc., are accounted on realisation basis.

3. Investments

- i) Investments are valued at cost or market value, whichever is lower. For the purpose of valuation, RBI purchase rates where available have been adopted as market rates and in other cases securities have been valued at indicative market rates based on 14 per cent yield to maturity tables.
- ii) Provision for diminution in the value of Securities is not deducted from investments in the balance sheet but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed proforma of statement of accounts.
- iii) The difference between acquisition cost and redemption value of zero coupon bonds is recognised as income on accrual basis proportionately in each financial year over the term of bonds.
- iv) Inter Fund transfer of securities is made at cost price.

4. Fixed Assets

- i) Fixed assets are stated at cost less depreciation.
- ii) Depreciation is provided on the written down value basis at the rates indicated in the Banking Department Manual of RBI.

5. Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)

As per arrangements arrived at with the Government, from time to time part of recoveries effected towards subrogation rights in respect of claims paid under the Government of India's Credit Guarantee Scheme for SSI (Old) is being accounted for the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 towards cost of

establishment expenditure for managing the residual work of the said scheme.

6. Employees' Cost

Employees' cost such as salaries, allowances, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India since all the staff of the Corporation is on deputation from the Reserve Bank of India. For the first time RBI assistance of Rs.14.00 crores has been received to meet the staff expenses for 1995-96.

7. Prior Period Income/Expenditure

Income and expenditure over Rs.25,000/- in each case pertaining to prior period items arising in current period on account of errors and omissions are considered as prior period credits/debits.

AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

INTRODUCTION :

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of Credit Guarantee Schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME :

Institutional Coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced

with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including regional rural banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 10 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs.1,00,000/-.

Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium. The premium at the rate of 5 paise per annum per hundred rupees is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue premium.

Payment of Insurance Claims

5.1 When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs.1,00,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs.1,00,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected

by him/it from out of assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

CREDIT GUARANTEE SCHEMES

Extension of Guarantee Support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, were intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending needbased credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operations since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of credit guarantee functions relating to small scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987, the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of

guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes in operation till end March 1992 were as indicated below :

- (i) Small Loans Guarantee Scheme 1971
- (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
- (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
- (iv) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
- (v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
- (vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 With the termination of the schemes at (ii), (iii) and (v) above with effect from 1 April 1992, the Corporation presently operates the following three schemes:

- (i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including regional rural banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans.
- (ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including regional rural banks, co-operative banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industries units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.
- (iii) The Small Loans (Co-operative Banks)

Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban) co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act, 1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) co-operative banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the priority sector advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 2.50 per cent per annum for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only. The regional rural banks are however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e. @ 1.25 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Scheme. The guarantee fee rate for two other schemes viz. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and Small Loans (SSI) Guarantee Scheme 1981, is 1.50 per cent per annum. The fee is required to be paid regularly and in advance on an annual basis in order to keep the guarantee in force. Penal interest @ 8% above Bank Rate is charged on overdue guarantee fee.

GUARANTEE COVER — KEY CHARACTERISTICS

Automatic Bulk Coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursement without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for cov-

ering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to "Priority Sector" borrowers

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of Guarantee

10. The Corporation has revised the conditions for invocation of guarantee with effect from 1.4.1995. The conditions are as follows:

- (i) The participating credit institutions should lodge the claims only after the outstanding amount in the account is written off in the books of account of the institution under orders of the competent authority.
- (ii) The Corporation's guarantee shall cover only the principal amount sanctioned by the credit institution and in the case of cash credit/overdraft and other revolving credit facilities, amount outstanding upto the regular limit sanctioned under each type of credit facility.
- (iii) No claim shall be admitted from credit institutions in respect of accounts where recovery received from borrowers (excluding adjustment of subsidy) in a particular account is less than 25% of the total debits in the account on the date of write off, except under exceptional circumstances as under:
 - (a) When borrower has expired;
 - (b) When any natural calamity has affected the area;
 - (c) any other ground which may merit exception depending upon the circumstances brought to the notice of the Corporation in general, for a

particular area or category of borrowers;

- (iv) The claims should be lodged with the Corporation within a year from the date of write-off of the amount in the books of credit institution.
- (v) The condition of observance of 3 years lock-in period for lodgement of claims has been deleted in respect of all claims which fell due for lodgement on or after 1st April 1995.

The Corporation pays 50% of the principal amount in default subject to certain absolute limits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment

of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Since 22 February 1994, credit institutions have been delegated powers to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write-off and they are not required to obtain the Corporation's prior approval. The proposals involving staff accountability, frauds, misappropriation etc., have, however, to be referred to the Corporation for its prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

ANNEXURE
CREDIT GUARANTEE SCHEMES — SALIENT FEATURES

Schemes	Eligible participants	Category of Borrowers	Guarantee fee	\$Guarantee cover	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A) SMALL BORROWERS					
l) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	Commercial Banks (including Regional Rural Banks)	(i) Transport Operators	2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. In case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	50% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower.	
		(ii) Retail Traders	— do —	50% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower.	
		(iii) Professional & Self-employed Persons & Business Enterprises	— do —	50% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower.	
		(iv) Farmers & Agriculturists — Direct Finance			
		1) For raising crops	— do —	50% of the amount in default or Rs.10,000/- whichever is lower.	
		2) For developmental activities	— do —	50% of the amount in default or Rs.20,000/- whichever is lower.	
		3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	— do —	50% of the amount in default or Rs.30,000/- (i.e. Rs.10,000 x 3) whichever is lower.	
		4) For allied activities			
		i) Pisciculture	— do —	50% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower.	
		ii) Sericulture	— do —	50% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower.	
		iii) Animal Husbandry	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.	
		iv) Poultry Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower.	
		v) Dairy Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.	
(With overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity)					
<p>\$ With effect from 1.4.1995 the Corporation's guarantee shall cover only the principal amount sanctioned by the credit institution and in the case of cash credit/overdraft and other revolving credit facilities, amount outstanding upto the regular limit sanctioned under each type of credit facility.</p>					

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>(v) Indirect Finance to Agriculture As per RBI definition of priority sector except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981)</p>	2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually. (In case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)		50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/ institution.
	<p>(vi) Education Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose.</p>		— do —	50% of the amount in default.
	<p>(vii) State Sponsored Organisations for SCs/STs Advances sanctioned by State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and support of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations.</p>		— do —	50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/ institution).
	<p>*(viii) Housing-Direct Finance a) Loans upto Rs.2 lakhs for construction of houses granted to all categories of borrowers.</p>		— do —	50% of the amount in default.
	<p>b) Loans upto Rs.25,000/- for repairs to damaged houses granted to all categories of borrowers.</p>		— do —	— do —
	<p>*(ix) Housing Indirect Finance i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing house exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs.2 lakhs per housing unit.</p>		— do —	50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/ institution).
	<p>ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers where loan component does not exceed Rs.2 lakhs per housing unit.</p>		— do —	— do —

* All Housing Loans have been excluded with effect from 1.4.1995 for the purposes of guarantee cover and computation of guarantee fee payable to the Corporation.

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		(x) Consumption Pure consumption loans granted consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme.	— do —	50% of the amount in default.	
II) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	Primary Urban Co-operative Banks	i) Transport Operators	1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower.	
		ii) Retail Traders	— do —	50% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower.	
		iii) Business Enterprises & Professional & Self-employed Persons	— do —	50% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower.	
		iv) Educational Loans	— do —	50% of the amount in default.	
		v) Consumption Loans to Individuals upto Rs.500/-	— do —	— do —	
		*vi) Housing Loans not exceeding Rs.25,000/- to			
		a) Individuals	— do —	50% of the amount in default.	
		b) Government Agency	— do —	50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/ institution.	
		vii) Activities allied Agriculture			
		i) Pisciculture	— do —	50% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower.	
		ii) Sericulture	— do —	50% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower.	
		iii) Animal Husbandry	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.	
		iv) Poultry Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower.	
v) Dairy Farming	— do —	50% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.			
vi) Purchase of bullock carts, camel carts, pack animals etc.	— do —	50% of the amount in default or Rs.10,000 whichever is lower.			

(With overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity)

All Housing Loans have been excluded with effect from 1.4.1995 for the purposes of guarantee cover and computation of guarantee fee payable to the Corporation.

(Contd.)

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B) SMALL SCALE INDUSTRIES				
Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies	i) Small Scale Industrial Units (including ancillary units) to whom credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate extended.	1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs.20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		ii) Small Scale Industrial units in backward areas with credit facilities without any limit.	— do —	— do —
		iii) Small Scale Industrial units (including ancillary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs.2 lakhs.	— do —	50% of the amount in default or Rs.20 lakh (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs or working capital) whichever is lower.
		Indirect Finance to SSI		
		i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries.	— do —	(a) 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. (b) 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate.
		ii) Government sponsored Corporation/organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee)	— do —	— do —
		iii) Loans for constitution and running of cold storage	— do —	50% (as stated above) of the amount in default or Rs.20 lakhs (Rs.10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower.
		iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisation who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis.	— do —	— do —
		v) Industrial Estates Loans for setting industrial estate	— do —	— do —

